खण्ड-154, अंक-7
गुरूवार, 3 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(25 अगस्त, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 154 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २५ अगस्त, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कन्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
गन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री

बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हक़ीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फ़रहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री

मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
राम लाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री

सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २५ अगस्त, १९५५

तारांकित प्रश्न

मुहम्मदपुर, पथरी और खटीमा बिजली घरों का अनुमानित तथा संशोधित व्यय

*१—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुहम्मदपुर बिजलीघर, शारदा बिजलीघर और पथरी बिजलीघर का अनुमानित व्यय क्या था और अब उनके संशोधित व्यय का क्या अनुमान है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—मुहम्मदपुर, पथरी और खटीमा बिजली घरों का अनुमानित और संशोधित व्यय इस प्रकार है:

बिजली घर का नाम	अनुमानित व्यय	संशोधित व्यय
(अ) मुहम्मदपुर जल विद्युत गृह	१०१.८२ लाख	१२९.८९ लाख
(ब) पथरी जल विद्युत गृह	२९६.०७ लाख	३७६.५७ लाख
(स) खटीमा जल विद्युत गृह	२८९.१४ लाख	७४७.७५ लाख

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री महोदय का ध्यान प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ २६ की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि मूल अनुमानित व्यय में मुख्य बिजलीघर का व्यय केवल १० लाख कूता गया था जिसका अनुमानित व्यय अब १ करोड़ ३३ लाख ३६ हजार है ?

श्री धर्मसिंह—यह तो देखना होगा तभी उसका उत्तर दिया जा सकता है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अनुमानित व्यय, संशोधित व्यय और उसके पश्चात् जो वास्तविक व्यय होता है उसमें इतना अधिक अन्तर क्यों हो जाता है ?

श्री धर्मसिंह---क्या माननीय सदस्य यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बात किसी विशेष व्यय से संबंधित है या अलग-अलग से संबंधित है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---खटीमा जल विद्युत गृह में २ करोड़ ८९ लाख १४ हजार अनुमानित व्यय था और संशोधित व्यय ७ करोड़ ४७ लाख ७५ हजार दिया गया है, यह तो तिगुने से ज्यादा हो गया है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---ओरिजिनल एस्टिमेट जो इसका है वह सन् ४५ से पहले का दिया हुआ है और सन् ४५ के बाद वेजेज में और दीगर चीजों की कीमतों में जो चीजें उसमें दरकार होती थीं चौगुने और पंचगुनेका फर्क हो गया। दूसरे जो वहां काम हो रहा था उसमें यह दिक्कत पेश आई कि पानी की सतह में पानी ही पानी निकलने लगा और वह किसी प्रकार सूखता नहीं था। मुझे याद है १०० से ज्यादा ट्यूबवेल्स इसके लिये लगाये गये तब काम चलाया गया और एक पावर स्टेशन उनके वास्ते बिजली मुहइया करने के लिये लगाया गया और उस सतह को खुश्क करके पूरे तौर पर यह काम वहां शुरू किया गया। ये तीन कारण थे जिनकी वजह से उनके खर्च में फर्क आया।

रजा टेक्सटाइल, रामपुर को बिजली की सप्लाई

*२---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामपुर बिजली घर तथा हाइडेल ग्रिड से रजा टेक्सटाइल, रामपुर को सरकार घाटे पर बिजली देती है?

श्री धर्मसिंह---सर्वश्री रजा टेक्सटाइल को रामपुर पावर हाउस से बिजली दी जा रही है। बिजली घाटे पर नहीं दी जा रही है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या यह सही नहीं है कि रजा टेक्सटाइल को ५ पाई फी यूनिट की दर से १५०० किलोवाट बिजली दी जा रही है जबकि प्रत्येक यूनिट की जो कीमत है वह १६.४ पाई पड़ती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---रजा टेक्सटाइल को जो बिजली दी गई है वह हमारी गवर्नमेंट के जमाने में नहीं दी गई। उनको बिजली मिली पुराने जमाने में जब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। उनसे एक मुआहिदा हुआ था और उस मुआहिदे के मुताबिक वह कार्यवाही जारी है जिसको कि मर्जर के वक्त शायद कायम रक्खा गया। जो फीगर्स बतलाये गये हैं वे ठीक हैं या गलत, यह मैं नहीं बतला सकता लेकिन यह समझा सकता हूं कि जो बात सवाल में कही गई है वह गलत है। उनको घाटे में बिजली नहीं दी जा रही है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगेकि किस दर पर बिजली दी जा रही है और क्या खर्चा बिजली पर प्रति यूनिट पड़ रहा है ?

श्री धर्मसिंह---उनको १०७ पर यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है और खर्चा जो हम लोगों को आकर पड़ता है वह १०.३९ पर यूनिट पड़ता है।

१९५३ तथा १९५४ में दफा १२४ (ए) में गिरफ्तार व्यक्ति

*३---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत २ वर्षों में प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति प्रदेश में १२४ (ए) आई० पी० सी० के मातहत गिरफ्तार किये गये ?

पुलिस उपमंत्री-(श्री जगनप्रसाद रावत)---सन् १९५३ में १
और १९५४ में ३

नोट---तारांकित प्रश्न ३-५ श्री सीताराम शुक्ल ने पूछे।

*४--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ये व्यक्ति किन-किन जिलों में कितनी-कितनी संख्या में हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--गोरखपुर १, अलीगढ़ १, बस्ती २ ।

*५--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १२४ (ए) आई० पी० सी० में गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल में विशेष सुविधा दी जाती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं।

*६--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--[१९ अगस्त, १९५५ को प्रश्न संख्या ४८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

१९५३--५४ में पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमे

*७--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५३-५४ में कितने पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमें चलाये गये और उनमें से कितने अपराधी सिद्ध हुये ?

श्री जगनप्रसाद रावत--सन् १९५३ में ५४७ तथा १९५४ में ६८२ पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमें चलाये गये और उनमें से क्रमशः ८२ तथा ८६ अपराधी सिद्ध हुये।

*८--श्री रामदुलारे मिश्र--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितने अपराधी ऐसे हैं जो घूसखोरी तथा बलात्कार के मामले में पकड़े गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इनमें से कुल ४२ अपराधी घूसखोरी तथा १३ बलात्कार के मामले में पकड़े गये।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि १९५३ और ५४ में जो कर्मचारी अपराधी सिद्ध हुए हैं वह किस जिले में किस पद पर काम करते थे ?

श्री अध्यक्ष--यह तो बहुत हैं । मैं इतने नाम सुनवाने के लिए तैयार नहीं हूं ।

श्री रामदुलारे मिश्र--बलात्कार के मामले में पकड़े गये दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उन पर मुकदमे चलाये गये ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्द शहर-)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कर्मचारी दोषी पाये गये उनमें गजटेड पोस्ट के कितने थे और नानगजेटेड पोस्ट के कितने थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जितने मैंने आंकड़े दिये हैं सब नान-गजटेड पोस्ट के हैं ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इनमें केवल घूस खोरी में कितने मुकदमे चलाये गये, कितने उसमें दोषी हुए और जो छूटे हैं उनमें कितने निर्दोष साबित हुए और कितनी संख्या में छोड़े गये ?

श्री अध्यक्ष--यह तो बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं। टुकड़ों में कीजिये

श्री रतनलाल जैन---माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि घूसखोरी में कितने मुकदमें चलाये गये और उनमें से कितने में सजा हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन मुकदमों का जिक्र किया गया है क्या यह मुकदमे केवल वही हैं जो कि सरकार द्वारा चलाये गये या उनमें वह भी हैं जो कि प्राइवेट कम्प्लेंट्स द्वारा चलाये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जो सरकार द्वारा चलाये गये ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों को घूस लेते समय किस ऐंजेसी द्वारा पकड़ा जाता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---घूस लेने के सम्बन्ध में जो मुकदमें चलाये जाते हैं कुछ तो अगर जांच करने के बाद साबित हो जाता है कि मुकदमा चल सकता है, तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। दूसरे अगर कोई घूस देने से पहले इत्तला देता है तो हमारे मैजिस्ट्रेट और दूसरे अफसर जाते हैं और मौके पर गिरफ्तार करते हैं ।

थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ के मुअत्तल चौकीदारों के स्थान पर उनके भाइयों की नियुक्ति

*९---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि जनवरी से दिसम्बर सन् १९५४ तक (एक साल में) आजमगढ़ जिले के महराज गंज थाने के कितने चौकीदार किन-किन अपराधों में मुअत्तल रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---सन् १९५४ में आजमगढ़ जिले के महाराज गंज थाने के ५ चौकीदार मुअत्तल रहे, तीन दफा १४८/३२४ भा० द० वि० के एक मुकदमें में फंसे होने के कारण और शेष दो भ्रष्टाचार की शिकायतों के कारण ।

*१०---श्री उमाशंकर---क्या सरकार को पता है कि मुअत्तल चौकीदारों के सगे भाइयों तथा अन्य सगे सम्बन्धियों को ही एवज चौकीदार बनाया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---केवल दो चौकीदारों के एवज में रखे गये चौकीदार उनके सगे भाई थे । उन लोगों के नियुक्त किये जाने के दो कारण थे । एक तो यह कि थोड़े समय के लिये कार्य करने को कोई अन्य उपयुक्त व्यक्ति तैयार नहीं थे और दूसरे कि वे मुअत्तल चौकीदारों से अलग रहते थे और उनके विरुद्ध कोई ऐसी बात न थी जिसके कारण उन्हें नियुक्त न किया जाता ।

श्री उमाशंकर---चौकीदार जो भ्रष्टाचार के इल्जाम में मुअत्तल थे उनकी मुअत्तली करने की क्या जरूरत थी और उनके सगे भाई जो उनकी जगह पर नियुक्त किये गये उनकी क्या जरुरत थी, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---मुअत्तल करने की वजह यह थी कि उनके खिलाफ शिकायत थी और उनकी जगह पर जो भाई नियुक्त किया गया तो उसका मैंने कारण बता दिया कि बहुत थोड़े समय के लिये उनको रखा गया और क्योंकि कोई आदमी इस काम पर आने के लिये तैयार नहीं होता था और चूंकि उनके भाई के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी इसलिये उनके भाई को ही इस काम पर नियुक्त कर दिया गया ।

श्री उमाशंकर---मैंने पूछा था कि मुअत्तल करने की क्या जरूरत थी ?

श्री अध्यक्ष---वह तो बता दिया गया ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ५ आदमी मुअत्तल थे वह अब तक मुअत्तल हैं या उनकी मुअत्तली खत्म हो गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस संबंध में तो नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उमाशंकर---क्या यह सच है कि यह पांचों चौकीदार चोरियों , डाकों आदि के अनेक मामलों में शामिल रह चुके हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---संभव है लेकिन चूंकि इसकी तफसील मेरे पास नहीं है, इसलिये कह नहीं सकता । जितनी सूचना मेरे पास थी वह मैंने आपको दी ।

गोरखपुर जिले में जंगल पिपरा रसूलपुर की कटाई का ठेका

*११---**श्री रामरतन प्रसाद** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जंगल पिपरा रसूलपुर, तहसील महराजगंज, जिला गोरखपुर को, जिसका काटना चीफ कन्सर्वेटर ने रोक दिया था, फिर काटने की इजाजत दे दी गई है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---जी हां ।

*१२---**श्री रामरतन प्रसाद** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस समय उस जंगल की अनुमानित कीमत क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---१,०६,८३८ रुपया ।

श्री रामअवध सिंह (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसके बारे में स्थानीय डी० एफ० ओ० की क्या राय थी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यहां जो रिपोर्ट आयी है वह चीफ कंजरवेटर की है । उन्होंने लिखा है कि दूसरे आदमी ने जो शिकायत की थी वह उनको ठीक मालूम हुई और उन्होंने तब दोनों आदमियों को आपसी सलाह करने की राय दी बाद को उन दोनों की राय एक हो गयी और पिछली आज्ञा पर से रोक हटा ली गई ।

श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह जंगल रोक देने के बाद फिर उसके काटने की इजातज क्यों दी गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---उस जंगल का ठेका दिये जाने के बाद एक आदमी ने दरख्वास्त दी कि वह भी उस ठेकेदार का साथी और है । उसने दरख्वास्त दी तो रोक लगा दी बाद को तब उन दोनों आदमियों की राय से वह जंगल दिया गया वे दोनों जिम्मेदार हुए ।

टिहरी-गढ़वाल में कैसर हिन्द क्षेत्र में लिसा डिपो तथा जंगलात चौकियां

*१३---**श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट** (जिला टिहरी गढ़वाल)---क्या यह सही है कि टिहरी-गढ़वाल में चिन्यालीसौड़ नामक स्थान के समीप जंगलात विभाग ने कैसर हिन्द जमीन को बिना नियमानुसार प्राप्त किये उस पर कब्जा कर लिसा डिपो बना दिया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी नहीं ।

*१४---**श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट**---क्या यह सही है कि उस क्षेत्र के एस० डी० ओ० ने इस सम्बन्ध में सरकार से कोई लिखा-पढ़ी की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

नोट---तारांकित प्रश्न ११-१२ श्री रामअवध सिंह ने पूछे ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं ।

*१५—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जंगलात विभाग ने टिहरी सर्किल में नियमानुसार भूमि प्राप्त किये बिना कैसर हिन्द क्षेत्र में लिसा डिपो तथा जंगलात चौकियां बनाई हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी नहीं ।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि जंगलात विभाग ने चिन्याली सौड़ नामक स्थान पर जो रेजिन डिपो बनाया है वह भूमि जंगलात की नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि जी नहीं । वह भूमि तो स्वयं जंगलात की है ।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस स्थान पर डिपो बनाया गया है वह भूमि जंगलात की नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वह भूमि स्वयं जंगल की है और वह महाराजा साहब के समय से जंगलात ही के अन्तर्गत मानी जाती है और उसके अन्दर इस प्रकार के कार्य होते आये हैं ।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टिहरी-गढ़वाल)—क्या मंत्री जी को विदित है कि स्वयं जंगल के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने का नियम दूसरा है और जंगलात के अन्दर दूसरा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मुमकिन है कि प्राइवेट इंडिविडुअल्स के लिये ऐसा कोई नियम हो । मगर जहां तक सरकारी कार्यवाही का सम्बन्ध है यह परम्परा रही है कि जंगलात विभाग को जब आवश्यकता पड़ती है तो अपना काम उस वन भूमि पर इसी प्रकार खोल लेता है ।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी को मालूम है कि स्वयं भूमि की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सेंक्शन देता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह ठीक है । मैंने कह दिया कि व्यतिगत मामले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किया करता है ।

पथौरा और राजापुर षड्यंत्रों के अभियुक्त

*१६—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच षैड्यंत्र केस में कुल कितने अभियुक्त प्रारम्भ में गिरफ्तार किये गये थे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—बहराइच षडयंत्र केस नाम से कोई घटना नहीं हुयी, पथौरा और राजापुर षडयंत्र केस हुये थे जिनके सम्बन्ध में कुल १९ व्यक्ति गिरफ्तार हुये थे ।

*१७—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अब तक कुल कितने अभियुक्त केस से छोड़े जा चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—५ व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस ने केस नहीं चलाया और ५ न्यायालय से बरी हो गये, शेष व्यक्तियों को सजाऐं हो गयी हैं ।

एटा जिले में डकैतियां, चोरियां, कत्ल और स्त्रियां भगाने के मामले

*१८—श्री बाबूराम गुप्त (जिला एटा)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में एटा जिले में थानेवार कितनी डकैतियां, चोरियां, कत्ल और स्त्रियों के भगाने की रिपोर्टें हुईं, कितनों पर मुकदमें चलाये गये और कितनों को सजा हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मांगी हुई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६३२ पर।)

श्री बाबूराम गुप्त—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५५ रिपोर्टेड केसेज थे उनमें से ३३ पर ही मुकदमा क्यों चला ?

श्री जगनप्रसाद रावत—बाकी के मामलों में इस तरह की शहादत मुहैया नहीं हुई कि उन पर मुकदमा चलाया जा सकता।

इटावा जिले में डाके व कत्ल तथा रिपोर्ट न लिखने की शिकायत

*१९—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले से उन्हें कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि डाके की वारदात होने पर भी वहां की स्थानीय पुलिस डाके की रिपोर्ट इन्दराज नहीं करती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस प्रकार की एक शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है किन्तु जांच करने पर निराधार सिद्ध हुयी।

*२०—श्री मिहरबान सिंह—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में सन् ५३ व ५४ में कितने डाके पड़े व कत्ल हुये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सन् १९५३ में ८ डाके और ३१ कत्ल तथा सन् ५४ में १० डाके और २२ कत्ल हुये।

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो शिकायत प्राप्त हुई है उसकी जांच उन्हीं अधिकारियों के द्वारा करवाई गई जिनके विरुद्ध शिकायत थी या सी० आई० डी० विभाग के किसी दूसरे अधिकारी से कराई गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिसके विरुद्ध शिकायत हुई थी उसके उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करायी गई।

वन-खंडों में टोंग्या केन्द्र तथा टोंग्या लगाने की शर्तें

*२१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन स्थानों अथवा वन विभागों (खंडों) में 'टोंग्या' गांवों द्वारा "प्लान्टेशन" लगवाये जाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६३३-६३४ पर।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन टोंग्या गांव द्वारा प्लान्टेशन लगवाने और उन्हें पौधे लगाने के एवज में जमीन दिये जाने के नियम क्या हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जहां पर टोंग्या लगाये जाते हैं उनके साथ शर्त यह होती है कि जो पेड़ लगाये जाते हैं १२ फीट के फासले पर हों। उसके बीच में वे खेती करते हैं और जब तक पेड़ बड़े नहीं होते हैं तब तक खेती कर सकते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो उनको दूसरी जगह दे दी जाती है वहां पर यही कार्य करते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि रामनगर वन-खंड के रामपुर, चोपड़ा और लेटी यह टोंग्या गांवों ने सरकार को आवेदन भेजा है कि अब टोंग्या पर्याप्त लग चुके हैं उनके पास अब जमीन नहीं है इसलिये उनको जिस जमीन में वे बसे हुए हैं वह जमीन उन्हें लीज पर दे दी जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अगर और जमीन नहीं है तो और पौधे लगेंगे नहीं। मगर लीज पर क्या दिया जायगा क्योंकि वन खड़े हो गये हैं और कोई खाली जमीन नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि रामनगर के इन तीन गांवों के टोंग्या में बिल्कुल दूसरी प्रणाली है ?

श्री अध्यक्ष--इतना ब्योरा वह कैसे बता सकेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि रामनगर के वन-खंड में तीन टोंग्या के गांव जो जमीन टोंग्या गांव वालों के पास है उस पर पेड़ नहीं लगाये गये हैं बल्कि ३७ साल से लगातार खेती ही कर रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--तो फिर तो यह टोंग्या ही नहीं हुआ वह तो खालिस खेती का कार्य हुआ।

जेल उद्योग के डाइरेक्टर की नियुक्ति के नियम

*२२--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)-- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेल उद्योगों के डाइरेक्टर की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के परामर्श से सरकार करती है ?

*२३--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस स्थान पर नियुक्ति के लिये क्या योग्यता निर्धारित है और आयु की क्या कैद है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी इस सम्बन्ध में नियम नहीं बने हैं परन्तु विचार यही है कि भविष्य में नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के परामर्श से हुआ करें।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जो नियुक्तियां की गईं वे किन विशेष योग्यताओं को देख कर की जाती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-- साधारण तौर से अभी दो ही नियुक्तियां हुईं और इतना समझा गया कि यह लोग इस काम को चला सकेंगे और ऐडहाक तरीके से कर ली गई।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय जो डाइरेक्टर साहब काम कर रहे हैं उनकी क्या योग्यता है और क्या आयु है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वे इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के बी० एस-सी० हैं और बर्लिन यूनीवर्सिटी का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और वियना की डाक्टरेट इन ऐग्रीकल्चर केमिस्ट्री हैं और आयु तो कहते हैं जो मरते वक्त तक होती है, वह तो मुझे मालूम नहीं अगर उनका मतलब वय से है तो वे ५२, ५३ के करीब होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जेल उद्योग के डाइरेक्टर के पद का निर्माण प्रथम बार कब हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--६, ७ वर्ष हुए शायद।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह ७ वर्ष से इस सेवा के नियम अब तक क्यों नहीं बन पाये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कई बार तो सवाल यह उठा कि जेल इंडस्ट्रीज की कोई डाइरेक्टोरेट होनी ही नहीं चाहिये, जेल की स्टैंडिंग कमेटी में यह सवाल आया, फाइनेंस कमेटी में आया, बहरहाल जो कमेटी अब बैठायी गई है जेल इंडस्ट्रीज की बाबत उसकी रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं तब उसके बाद कुछ निर्णय हो सकेगा।

*२४--**श्री कमलासिंह** (जिला गाजीपुर)--[२२ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*२५-२७--**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)--[७ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या २६-२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आजमगढ़ शहर में बिजली की दरें

*२८--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ शहर के नागरिकों को बिजली सन् १९५३ और सन् १९५५ में किस दर से प्रदान की गई है?

श्री धर्मसिंह--आजमगढ़ शहर में १-४-५३ से बिजली की दरों की एक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है। उन दरों में तब से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६३५ पर।)

*२९--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ और सन् १९५५ की दरों में अन्तर क्यों है?

श्री धर्मसिंह--प्रश्न ही नहीं, उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ शहर में बिजली सन् ५३ में आजमगढ़ पावर हाउस से मिलती थी और ५५ में मऊ पावर हाउस से मिलती है?

श्री धर्मसिंह--जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या वित्त मंत्री जी इसका पता फिर से लगायेंगे कि सन् ५३ और ५५ की दरों में आजमगढ़ और मऊ की बिजली में अन्तर है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं तो।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार के पास आजमगढ़ शहर के नागरिकों की इस बात की शिकायत आयी है कि उनको बिजली पिछली दर से ज्यादा पर दी जाती है?

श्री धर्मसिंह--जी, इस तरह की तो कोई सूचना है नहीं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि आजमगढ़ के नागरिकों को इस समय जब से मऊ पावर हाउस से बिजली मिलने लगी है, नियमित रूप से बिजली नहीं मिलती है, इसकी शिकायत लोगों को है?

श्री धर्मसिंह--इस तरह की तो कोई शिकायत है नहीं।

श्री उमाशंकर--क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि इसी सदन में उन्होंने एक बार बताया है कि जब मऊ पावर स्टेशन से बिजली आजमगढ़ शहर को दी जायगी तो कानपुर के बराबर उसकी दर कर दी जायगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी, याद है, अगरचे मैंने कही नहीं है। मगर बात यह मैंने कहीं कही है जरूर और उसकी वजह यह है कि मऊ के ऊपर पावर स्टेशन कुछ दिनों के बाद वैसा ही हो जाने वाला है जैसा कि कानपुर का पावर स्टेशन। तो उसकी जो बिजली बनेगी उसका खर्चा उसी किस्म का होगा जैसा कानपुर का है। इस वक्त तो वहां डिजिल पावर स्टेशन है और फिर मऊ से दूर है आजमगढ़, वहां तक लाइन लगाने वगैरह में जो खर्चा हुआ होगा उसकी वजह से वह कुछ बढ़ी हुई है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में जो बिजली सप्लाई होती है वह ए० सी० है या डी० सी०।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--ए० सी० है वह तो।

आगरा की विजयनगर कालोनी में चोरियां

*३०--**श्री देवकी नन्दन विभव** (जिला आगरा)--क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि आगरा की विजयनगर कालोनी में गत वर्ष कितनी चोरियां हुईं?

श्री जगनप्रसाद रावत--१२

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन चोरियों में कितनी हानि हुई और कितनी चोरियों का पता लगा?

श्री जगनप्रसाद रावत--कितनी हानि हुई इसकी तफसील तो इस समय नहीं। लेकिन इनमें से ५ चोरियों का पता लगा, उन पर मुकदमा चलाया गया, उनको सजा हो गयी बाकी सात का ठीक-ठीक पता नहीं चला।

पुलिस लाइन, लखनऊ में आये हुये जवान

*३१--**श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुलिस लाइन, लखनऊ में भिन्न-भिन्न जिलों से स्थानान्तरित होकर आये कितने पुलिस के जवान ऐसे हैं जिन्हें अब तक कहीं तैनात नहीं किया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसा कोई नहीं है।

*३२--**श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय** (अनुपस्थित)--क्या सरकार पुलिस के ऐसे जवानों की संख्या बतायेगी कि जिन्हें तीन महीने से ऊपर हो गये और अब तक जगह नहीं मिली?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसा कोई नहीं है।

रायबरेली शहर में चोरियां

*३३--**श्री रामशंकर द्विवेदी** (जिला रायबरेली)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ मार्च, १९५५ ई० से २३ मार्च, ५५ ई० तक रायबरेली शहर में कितनी चोरियां हुईं?

श्री जगनप्रसाद रावत--३।

श्री रामशंकर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन चोरियों में चोरों ने मारपीट भी की है?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसकी तफसील तो मेरे पास नहीं है।

श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन चोरियों में कितने हथियार चोरी गये?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह तफसील तो मेरे पास नहीं है।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार तो यह ज्ञात है कि एक एम० एल० ए० का रिवाल्वर भी उसमें चोरी गया?

श्री जगनप्रसाद रावत--यदि ऐसा हुआ तो मुझे बहुत अफसोस है।

*३४-३५--**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)--[हटा दिये गये।]

आजमगढ़ जिले में भारतीय दंड-विधान की धारा १०७, ११७ व १५१ के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

*३६--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में फरवरी और मार्च सन् १९५५ में भारतीय दण्ड विधान की धारा १०७, ११७ और १५१ में कितनी-कितनी गिरफ्तारियां हुईं?

श्री जगनप्रसाद रावत--मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६३६ पर।)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विवरण-पत्रिका में जो २५ गिरफ्तारियां लिखी हुई हैं घोसी तहसील में, वह किस-किस थाने की और किस-किस गांव की हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह तो तफसील बहुत लम्बी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि घोसी तहसील में एक ही व्यक्ति के ऊपर एक ही साल में ३-३ मुकदमे धारा १०७ के चलाये जाते हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत--यदि कोई विशेष उदाहरण माननीय सदस्य देंगे तो उसकी जांच करायी जायगी।

थाना हसायन, जिला अलीगढ़ में कत्ल के मामलों के चालान

*३७--**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना हसायन, जिला अलीगढ़ में सन् १९५४ तथा १९५५ में जो कत्ल हुये उनमें से कितने केस चालान हुये तथा कितने बिना चालान छोड़ दिये गये?

श्री जगनप्रसाद रावत--सन् १९५४ में कत्ल के ५ मामले हुये जिनमें से ३ का चालान हुआ और २ का पता न चल सका। सन् १९५५ में कत्ल का एक मामला हुआ जिसमें अभी जांच जारी है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो तीनों पर मुकदमा चल रहा है उनमें से कितने लोगों को सजा हुई है?

श्री जगनप्रसाद रावत--जब मुकदमे में सजा हो जायगी तभी मैं बतला सकता हूं।

नगला घासी, जिला अलीगढ़ के निवासियों की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*३८--**श्री नेकराम शर्मा** (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि नगला घासी, मजरा डडैसरी, थाना सिकन्दराराऊ के ग्रामवासियों को पुलिस ने बुरी तरह पीटा तथा वहां की औरतों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया? यदि हां, तो सरकार ने शिकायत पाने पर क्या कार्यवाही की?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं। ऐसा एक शिकायती पत्र आया था परन्तु जांच करने पर आरोप सही नहीं पाये गये।

नोट--तारांकित प्रश्न ३७-३८ श्री शिव नारायण ने पूछे।

*३९—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[२१ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सरकारी अधिकारियों के शिकार खेलने पर नियंत्रण

*४०—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी अधिकारियों को विशेषकर दौरे के समय शिकार न खेलने के लिये उसने कोई आदेश दे रखे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय पर अगस्त, १९५२ में शासन द्वारा आदेश निकाले गये थे। उनकी एक प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६३७ पर।)

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मुख्य मंत्री को पता है कि सरकार द्वारा दिये हुए आदेशों का पूर्णतया पालन नहीं हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आज तक तो ऐसी शिकायत किसी ने की नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस अपने सन् ५२ के आदेश के मुख्य तथ्यों को सदन के सामने पेश करने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसमें यही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट यह तो नहीं कहती कि कोई शिकार न करे अगर कोई सरकारी अफसर कहीं जाय। मगर खासतौर से शिकार की पार्टियों का संगठन करना, शिकार का आयोजन कराना, खास तौर से शिकार के लिए ही जाना, यह उचित नहीं है।

*४१—श्री लक्ष्मणराव कदम—[१५ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी के रेट व म्युनिसिपल बोर्ड के साथ एग्रीमेंट

*४२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी बिजली कम्पनी से वहां के म्युनिसिपल बोर्ड का बिजली सप्लाई करने का जो Agreement था उसकी मियाद कब खत्म हो गई और उक्त कम्पनी अभी तक क्या रेट चार्ज करती थी तथा अब क्या चार्ज करना चाहती है?

श्री धर्मसिंह—(१) झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी व म्युनिसिपल बोर्ड में जो एग्रीमेंट था उसकी मियाद ९ अक्टूबर, सन् १९५३ को खत्म हुई थी और अभी तक नये एग्रीमेंट की शर्तों के बारे में उनमें कोई समझौता नहीं हुआ। समझौता न होने तक पुराने रेट पर ही स्ट्रीट लाइट के लिये बिजली दी जा रही है।

(२) जो रेट अभी तक लागू हैं वह रेट और जो अब कम्पनी लेना चाहती है उनकी एक लिस्ट माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६३८ पर।)

*४३—श्री नारायणदत्त तिवारी—[हटा दिया गया।]

आजमगढ़ जिले में सहकारी संघ द्वारा चालित भट्ठों से लाभ

*४४—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कोआपरेटिव विभाग की ओर से कितने भट्ठे चल रहे हैं और सन् १९५३-५४ में और १९५४-५५ में इसमें कितना मुनाफा या हानि हुई है?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—सन् १९५३-५४ में आजमगढ़ जिले में कुल ४० भट्ठे सहकारी संघों द्वारा चलाये गये और इस वर्ष इन भट्ठों से १,५५,७०३ रुपये का लाभ हुआ। १९५४-५५ में ५९ भट्ठे चलाये । ५९ भट्ठों में से अभी तक १९ भट्ठे का ही आय-व्यय फलक प्राप्त हुआ है जिनसे ९६,८७८ रुपये का लाभ हुआ है।

रानी सराय कोआपरेटिव यूनियन, जिला आजमगढ़ के संचालक मंडल की मुअत्तली

*४५—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की रानी सराय कोआपरेटिव यूनियन का बोर्ड मुअत्तल है? यदि हां, तो क्यों और कब से?

श्री मंगला प्रसाद—हां, रानी की सराय सहकारी-संघ का संचालक-मंडल (बोर्ड) विभागीय आदेशों का पालन न करने तथा कुप्रबन्ध के लक्षण दृष्टिगत होने के कारण डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बनारस द्वारा १८-६-५५ से मुअत्तल कर दिया गया।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय मंत्री कृपया बतायेंगे कि रानी की सराय का सहकारी बोर्ड जो मुअत्तल किया गया उसने किन आदेशों का पालन नहीं किया और कौन से कुप्रबन्धों के लक्षण पाये गये?

श्री मंगलाप्रसाद—यह जिस बिना पर किया गया था उसकी एक सूची बहुत लम्बी चौड़ी है वह माननीय सदस्य को मिल गयी होगी, उसमें सब चीजें हैं। वह काफी लम्बी चौड़ी है, अगर माननीय अध्यक्ष महोदय कहें तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—उसको पढ़ने की तो मैं इजाजत नहीं दूंगा लेकिन अगर आप मुख्तसिर में कुछ बताना चाहें माननीय सदस्य को तो बता दें।

श्री मंगलाप्रसाद—उसमें भट्ठे का प्रबन्ध ठीक नहीं था और इस तरह से वहां काम करने वालों से काम लिया गया कि सब छोड़ कर चले गये। जिस आदमी को डिसमिस किया गया था उसको फिर से रख लिया गया। एक साहब लोटूराम हैं उनको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया, उनसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई जैसी कि लेनी चाहिये। इसके अलावा सीताराम, जो उसके परमानेंट मैनेजर थे उनको बगैर चार्जशीट के निकाल दिया गया। इसके अलावा दसियों और हैं।

श्री अध्यक्ष—इतना लम्बा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा बता करकेयेंगे कि सहकारी संघों में प्रति हजार पर लागत के अलावा कितना मुनाफार लि ईंटोंया जाता है?

श्री मंगलाप्रसाद—कोई नियत मुनाफा नहीं होता है। कुछ भट्ठे शहर के नजदीक होते हैं जहां कोयला आसानी से मिल जाता है, किन्हीं में कोयला कम खर्च होता है, नये भट्ठे पुराने भट्ठे, सब में अलग-अलग होता है लेकिन हर जगह कलेक्टर ने तय कर रखा है कि इतने भाव पर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास ईंट बिकेगी। उस भाव पर बिकती है और कम पर भी बिकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि रानी की सराय कोआपरेटिव यूनियन के मंडल को जो मुअत्तल किया गया तो मुअत्तिली का आदेश देने के पहले अभियोगों की जांच करायी गयी थी? यदि हां, तो किस के द्वारा?

श्री मंगलाप्रसाद--मुअत्तल करने के पहले जितनी जांच आवश्यक थी वह कर ली गयी है और उसके बाद जांच जारी है। जांच का फैसला आने के बाद उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जायगी।

नगर उपभोक्ता सहकारी समिति, आजमगढ़ में लगी पूंजी तथा उसका आडिट

*४६--श्री विश्रामराय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सहकारी उपभोक्ता संघ, शहर आजमगढ़ में कितना रुपया लगा है और पिछले वर्षों में कब इसका हिसाब आडिट हुआ?

श्री मंगलाप्रसाद--नगर उपभोक्ता सहकारी समिति, आजमगढ़ की कारोबारी पूंजी ५२,३३१ रुपया है। पिछले साल १९५३-५४ के हिसाब का आडिट १२-१०-५४ को दिया गया था।

जिला बुलन्दशहर के अन्तर्गत थानेवार दिये गये बन्दूकों के लाइसेंस

*४७--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर के थाना बिसरख, दादरी, दनकौर और सिकन्दराबाद में से प्रत्येक में कितने-कितने प्रार्थना-पत्र दिसम्बर, सन् १९५४ से मई, सन् १९५५ तक बन्दूकों के लाइसेंस के लिये आये?

*४८--क्या सरकार यह बतायेगी कि उनमें से थानेवार कितने-कितने लाइसेंस दिये गये?

श्री जगनप्रसाद रावत--सूचना संलग्न सूची में देखिये।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६३९ पर।)

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र, जिन पर अधिकांश में लाइसेंस नहीं दिया गया, मुख्य कारण क्या है?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसका साधारण कारण तो यह है कि जो लाइसेंस पाने के लिये शर्तें आवश्यक होती हैं उनकी पूर्ति नहीं हुई। यदि किसी विशेष प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में माननीय सदस्य पूछेंगे तो उसका मैं खास तौर से पता लगा दूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह सही है कि अधिकांश प्रार्थना-पत्र वह हैं जो जिलाधीश और पुलिस कप्तान ने स्वयं दिलाये थे और वह भी खारिज कर दिये गये?

श्री जगनप्रसाद रावत--ऐसी बात मालूम होती है कि उन्होंने खुद प्रार्थना-पत्र दिलाये और बाद को रिजेक्ट कर दिये, इसका क्या कारण हो सकता है। अलग-अलग प्रार्थना-पत्र के बारे में पूछा जाय तो पता लगाया जा सकता है वर्ना उन्होंने खुद प्रार्थना-पत्र मंगवाये और बाद को उन्हें ठीक नहीं समझा इसलिये खारिज कर दिया।

रिहन्द डैम के निर्माण हेतु व्यय की गई धनराशि

*४९--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या वित्त मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि बजट वर्ष १९५४-५५ में रिहन्द डैम के निर्माण के लिये निश्चित ४ करोड़ रुपये में कितना व्यय हुआ है?

श्री धर्मसिंह--एकाउन्टेंट जेनरल के कार्यालय में मार्च, १९५५ के पूरक खाता के बन्द न होने के कारणवश पूरे खर्च का विवरण नहीं दिया जा सकता। फिर भी अन्तिम प्रदत्त संख्याओं का विवरण निम्न प्रकार है :--

विद्युत विभाग	.. ..	११,६०,०००
सिंचन विभाग	.. ..	७०,६२,०००
योग	..	८२,२२,०००

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस ४ करोड़ रुपये में से कितना धन खर्च हुआ इसका विवरण कब तक प्राप्त हो जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जो जवाब दिया गया है उससे मालूम होता है कि यह तो एकाउन्टेंट जनरल की बात है जब भी वह भेज दें, मैं नहीं कह सकता कि वह कब भेजेंगे।

परगनाधीशों के हेडक्वार्टर्स, तहसील के केन्द्र स्थानों पर रखने का प्रश्न

*५०--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परगनाधीशों के हेडक्वार्टर्स तहसील के केन्द्र स्थानों पर रखने के लिये वह कब तक निर्णय लेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है इस प्रश्न पर आदेश जारी करने से पहले कई मुख्य बातों का प्रबन्ध करना है जैसे कि परगनाधीशों की कचहरी, निवासस्थान तथा विचाराधीन बन्दियों का हवालात के लिये तहसील में उपयुक्त स्थान का प्रबन्ध, इत्यादि। किन्तु आशा है कि निर्णय शीघ्र ही लिया जावेगा।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार इस स्कीम को उदाहरण के तौर पर चंद जिलों में जारी करने के लिये तैयार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, उसूली तौर पर मान लिया है और जहां इन्तजाम हो सकेगा वहां यह स्कीम फौरन जारी कर दी जायगी।

श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार ने जिलों से जानकारी की है कि जिन-जिन सहूलियतों का मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया है वह मौजूद हैं या नहीं या मालूमात हासिल की हैं और अगर की है तो वह क्या आई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई है लेकिन मैं इस समय बतला नहीं सकता कि वह क्या-क्या आई हैं।

श्री शिवनारायण--जिन तहसीलों में मकान बने हुये हैं उनके लिये आदेश होना चाहिये कि वहां वे जाकर मुस्तकिल तौर पर रहें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, निस्संदेह।

कानपुर से फतेहपुर बिजली ले जाने का प्रबन्ध

*५१--श्री अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर पावर हाउस से फतेहपुर बिजली ले जाने का काम सरकारी agency द्वारा या गैर-सरकारी agency द्वारा कराया जायेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--कानपुर से फतेहपुर बिजली ले जाने का काम इस सरकार के कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिस्ट्रेशन K. E. S. A. द्वारा होगा ।

*५२--**श्री अनन्त स्वरूप सिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त काम कब से शुरू हो जायेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह विषय सरकार के विचाराधीन है और सरकार इसको जहां तक हो सके जल्द आरम्भ कराना चाहती है ।

खागा, जिला फतेहपुर में बिजली देने का विचार

*५३--**श्री अनन्त स्वरूप सिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील टाउन खागा (जिला फतेहपुर) को विद्युत देने की कोई योजना रिहेंड डैम योजना के अलावा सरकार के विचाराधीन है या नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां । खागा तहसील टाउन (जिला फतेहपुर) का विद्युतकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत करण नामक योजना में करने का विचार है ।

*५४--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--[१४ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

दुर्गा टूरिंग टाकीज, रामपुर पर इंटरटेनमेंट टैक्स की चोरी का मुकदमा

*५५--**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय इंटरटेनमेंट टैक्स कमिश्नर ने गत सितम्बर मास में रामपुर के सिनेमा-गृहों का निरीक्षण किया था तथा वहां इंटरटेनमेन्ट टैक्स की चोरी का एक बड़ा मामला पकड़ा था ?

*५६--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह चोरी किस सिनेमा द्वारा कब से की जा रही थी तथा कितने टैक्स की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । यह चोरी दुर्गा टूरिंग टाकिज द्वारा की जा रही थी। सम्भवत: यह चोरी मई २३, १९५४ ई० से हो रही थी। टैक्स की चोरी की ठीक राशि का पता नहीं चल सका क्योंकि पुराने रिकर्डस आदि जलाये जा चुके थे ।

*५७--**श्री कृष्णशरण आर्य**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस चोरी के मामले को न्यायालय के समक्ष चलाया गया है ? यदि हां, तो किस तारीख को इंटरटेनमेन्ट टैक्स कमिश्नर ने अपनी जांच की रिपोर्ट दी थी तथा किस तारीख को मामला न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । इंटरटेनमेन्ट ऐन्ड बैटिंग टैक्स कमिश्नर ने अपनी जांच की रिपोर्ट तारीख १६ सितम्बर, १९५४ ई० को दी तथा मामला ३-१२-५४ को न्यायालय में पेश किया गया ।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वह इस बात की जांच करायेंगे कि इंटरटेनमेन्ट इन्सपेक्टर और स्थानीय सिनेमा-मैजिस्ट्रेट ने ५ महीने तक जिले में जांच क्यों नहीं की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जब मुकदमे का फैसला होगा उसके बाद ही और इस किस्म की जांच हो सकती है ।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन्टरटेनमेन्ट कमिश्नर की रिपोर्ट देने के ढाई महीने बाद मामला अदालत में क्यों भेजा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--महज एक आफिसर की रिपोर्ट पर मुकदमा चलाना नहीं होता है। इसमें बहुतसी बातों की जांच करनी पड़ती है कि मुकदमा चल सकता है या नहीं।

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिले में चोरी व डकैती की वारदातों में मृत्युएं

१--**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार २४ फरवरी, १९५५ के प्रश्न १५ से १७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि मरे हुये लोग चोर, डाकू थे या जिनके घर डाका या चोरी हुई उनके पक्ष के थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मरे हुये व्यक्ति, जिनके यहां चोरी या डकैती हुयी उनके पक्ष के थे।

जिला रायबरेली में डाके, चोरियां तथा कत्ल

२--**श्री रामप्रसाद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में सन् १९५३ और १९५४ ई० में अलग-अलग कितने डाके व कितनी चोरियां व कितने कत्ल हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६४० पर।)

गजटेड सरकारी अधिकारियों को जिले के अन्य सरकारी अधिकारियों से भेंट करने के आदेश

३--**श्री कृष्णशरण आर्य**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गजटेड सरकारी अधिकारियों के जिलों में नियुक्त अथवा स्थानान्तरण हो कर जाने पर वहां के अन्य सरकारी अधिकारियों तथा किन्हीं असरकारी व्यक्तियों के यहां जाकर भेंट करने के विषय में कोई सरकारी नियम अथवा आदेश हैं ?

४--यदि हां, तो क्या सरकार उन नियमों अथवा आदेशों की प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बताने की कृपा करेगी कि वह कब से प्रचलित हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के पैरा ग्राफ ४२१ से ४२४ इस विषय पर लागू हैं। उनकी एक प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है। इसी संबंध में २५ नवम्बर, १९४८ को और ५ अक्तूबर, १९५० को कुछ आदेश निकाले गए थे। इनकी भी प्रतिलिपियां मेज पर हैं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६४१-६४३ पर।)

देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाके में भुखमरी विषयक कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री श्री राजनारायण जी के कामरोको प्रस्ताव के बारे में कुछ बताने वाले थे।

मुख्यमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मेरे पास देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पत्र आया है जिसके जरिये से उन्होंने बर्थ एन्ड डेथ रजिस्टर की अटेस्टेड कापी भेजी है जिससे यह साबित होता है कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरा बल्कि जो भी मृत्यु हुई है वे नेचुरल डेथ से हुई हैं। जिन राजेन्द्र त्रिपाठी का जिक्र माननीय राजनारायण जी ने किया था उनके बयान की भी अटेस्टेड कापी इसके साथ है। उसको भी मैं आपके पास भेज सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--कल जो बयान के पत्र के बारे में आपने बतलाया था कि फिर से जांच की गयी है और बयान हुआ है वह पत्र आपको मिला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--त्रिपाठी जी के २० अगस्त वाले बयान की अटेस्टेड कापी है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने हाथ से अटेस्ट की है।

श्री अध्यक्ष---(श्री राजनारायण से) अब आप किस तरह से समझते हैं कि इस प्रश्न पर विवाद हो सकता है ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, जो कामरोको प्रस्ताव मैंने आपकी सेवा में उपस्थित किया था उस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने स्थानीय अधिकारियों से जांच-पड़ताल करा कर इस संबंध में एक बयान दिया है। मैं अभी इसको क्यों ऐसा समझता हूं इसके बारे में मैं माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं। यदि वे ध्यान से हमारे तर्क को सुनेंगे.....

श्री अध्यक्ष--तर्क का सवाल नहीं है। आप इसमें यह बताइये कि अर्जेन्सी और निश्चितता क्या है ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं इसी बारे में कहता हूं और इसको सुन कर आप इस मत पर आ जायेंगे कि यह प्रश्न अरजेन्ट और निश्चित है। श्रीमन्, हमारे पास श्री राजेन्द्र प्रसाद जी का पत्र, जिसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उसकी नकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनके पास भेजी है, कोई अलग से नहीं आया है। हमारे पास वहां के करीब १२५ पंच और सरपंच, सभापति, उपसभापति तथा और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन सब के दस्तखतों से एक पत्र आया है। उन्होंने लिखा है कि वहां के १५०-२०० घरों के आदमी भूखों मर रहे हैं और वहां पर लोगों की मृत्यु की संभावना है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी को वहां के स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि उन लोगों की मृत्यु नेचुरल डेथ से हुई है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में स्थानीय अधिकारियों ने समुचित छानबीन नहीं की है क्योंकि श्री चन्द्रबली सिंह जी, जो वहां के सम्मानित व्यक्ति हैं और कई पत्रों के सम्वाददाता भी हैं और सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री भी हैं उन्होंने भी भूधर धोबी, जिसके मरने की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने मानी है और जिसकी अवस्था ४० वर्ष की थी, वह तीन दिन तक सड़क पर भूखा रह कर मरा है, ऐसा कहा है।

श्री अध्यक्ष--इतना सुनने के बाद आप इसकी अर्जेन्सी और निश्चितता कैसे बतलाते हैं ?

श्री राजनारायण---मैं उसी पर आ रहा हूं कि यह निश्चित भी है। भूधर धोबी जिसके मरने के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को खबर मिली है कि वह नेचुरल डेथ (स्वाभाविक मृत्यु) से मरा है, मेरे पास इसके निश्चित प्रमाण हैं कि वह तीन दिन तक उपवास करने के बाद बोधर सिंह के घर से रोटी खायी और फिर रोटी की तलाश में इन्दरपुर-गौरीपुर सड़क पर मरा है और वहीं पर गाड़ा भी गया है। श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास खबर दी है वह एक वही पुरानी परिपाटी के अनुसार जो चली आती है दी है कि उसकी नेचुरल डेथ हुई है। जब मेरे पास इसके निश्चित प्रमाण हैं कि वह घर में नहीं मरा है बल्कि सड़क पर मरा है और वहीं पर गाड़ा भी गया है तो मैं समझता हूं कि कामरोको प्रस्ताव की आवश्यकता ज्यादा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह कहा कि ४० दिन पहले बाढ़ ही नहीं थी, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री से और इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ की परिस्थिति को, वर्षा की परिस्थिति को यदि देखा जाय तो वह करीब करीब १२, १३ जुलाई से ही आरम्भ है और १४, १५ जुलाई तक कुछ जिलों में बहुत ही भीषण वर्षा हुई, इसलिये करीब-करीब ४० दिन तो हो ही जाता है। मालूम होता है कि हिसाब लगाने में माननीय मुख्य मंत्री जी जल्दी की है।

इसके अतिरिक्त भी श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हमारे पास प्रधान, उप-प्रधान, ३५ पंच और १२५ गांव के व्यक्तियों के जिम्मेदार लोगों के हस्ताक्षर हैं तो फिर माननीय मुख्य मंत्री जी इसका विश्वास क्यों नहीं करते हैं। ऐसी हालत में माननीय मुख्य मंत्री जी अपने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनायें जो वहां जाकर निश्चित रूप से पता लगाये कि असलियत क्या है? पुराने कर्मचारियों के सहारे इसकी ठीक-ठीक जांच नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह देवरिया और गोरखपुर का ही सवाल नहीं है बल्कि यह १४, १५ जिले का सवाल है जहां कि बाढ़ आयी है। यह बस्ती का भी सवाल है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी अपने जिले के कर्मचारियों की बातों पर ही विश्वास करें कि सरकारी कर्मचारियों की बातें सोलहों आने सत्य हैं तब तो मैं समझता हूं कि वह सत्य का गला ही घोंटा जायगा। हम लोग जो इंडिपेंडेंट सोर्स (स्वतंत्र साधन) से पता लगाते हैं वे ज्यादा सत्यपूर्ण होती हैं।

श्री अध्यक्ष--आप अपील न करें, कृपया सिर्फ इसकी निश्चितता बतलायें।

श्री राजनारायण--मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब प्रधान, उप प्रधान, ३५ पंच और १२५ जिम्मेदार व्यक्तियों के हस्ताक्षर मौजूद हैं तो इससे साफ पता लगता है कि वहां पर भुखमरी की हालत है तथा आगे भी कठिनाई पैदा हो सकती है। उसी के साथ-साथ जो भूधर धोबी मरा है वह भी सड़क पर मरा है और सड़क पर ही गाड़ा भी गया है। फिर यह कहना कि उसकी मृत्यु नेचुरल डेथ (स्वाभाविक मृत्यु) हुई है तो यह उचित नहीं मालूम होता है। यह बिलकुल निश्चित है कि वह व्यक्ति भूख से मरा है, अकाल से मरा, नेचुरल डेथ से नहीं मरा। जो दो-दो और तीन-तीन साल के लड़के मरे हैं उसको भी माननीय मुख्य मंत्री ने मान तो लिया है कि ७ मृत्युएं हुई हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये सब नेचुरल डेथ से मरे। हमारा कहना है कि अन्न न मिलने की वजह से वे मरे हैं। इससे बढ़कर निश्चित बात क्या हो सकती है? जब कि हमारे पास इतने प्रमाण-पत्र हैं, इतने जिम्मेदार व्यक्तियों के हस्ताक्षर मौजूद हैं तो इसकी अर्जेन्सी भी इससे मालूम हो जाती है। यह परिस्थिति केवल दो-चार जिलों में ही नहीं रह सकती है बल्कि और जिलों में भी हो सकती है। इसलिये मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी पोलिटिक्स का ख्याल न करके, चाहे वे कांग्रेस पार्टी के हों या किसी दूसरी पार्टी के हों, उनको इसका समर्थन करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--पहले मैं इसकी मंजूरी सदन से लूंगा।

[श्री अध्यक्ष]

बाढ़ के सम्बन्ध में क्या क्या परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, बाढ़ के बाद भी और आगे भी क्या परिस्थिति होगी, इस विषय में इस भवन में दो ढाई दिन वादविवाद हो चुका है। जहां तक उससे जो उत्पन्न परिस्थितियां हैं और उसके लिए जो कार्यवाही करना है, उसके विषय में सदन ने और सरकार ने अपनी राय व्यक्त कर दी। इसलिये उसके लिए अब फिर कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह वाकयात हुए या नहीं, अगर निश्चिततौर पर मालूम हो जाता कि ऐसी बात हुई है तो उसके कारणों पर कि ऐसा क्यों हुआ और वह किसकी जिम्मेदारी है, इन बातों के बारे में बहस हो सकती थी, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद मैं समझता हूं कि जो ७ मृत्यु के वाकयात बताये गए, उनमें से वह केवल १ धोबी के मामले को तो कन्टेस्ट करते हैं कि वह भूख से मरा, परन्तु बाकी बच्चों वगैरह के मामले में स्पष्ट मालूम होता है कि वे दो-दो ढाई-ढाई साल के बच्चे भूख से मरे होंगे या नहीं, इस बारे में स्थिति अनिश्चित सी मालूम होती है। जहां तक इसकी अरजेंसी का सवाल है वैसे तो इसकी अरजेंसी आम तौर से बाढ़ के परिणामों पर विचार की हो सकती थी, लेकिन इस पर बहस हो चुकी है। इसलिये इन वाकयात के बल पर इसको अब कोई अर्जेन्सी नहीं है और इसलिए विषय अब अर्जेन्ट नहीं रह जाता क्योंकि इस पर बहस हो ही चुकी है कि ऐसी परिस्थिति में क्या कार्यवाही होनी चाहिए और इस पर सदन अपनी राय दे चुका है। ऐसी अवस्था में इसकी अनिश्चितता के कारण मैं इजाजत नहीं देता हूं और यह उचित नहीं समझता हूं कि मैं माननीय राजनारायण जी को इस कामरोको प्रस्ताव को उपस्थित करने की तकलीफ दूं।

कानपुर में मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष— दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री जगन्नाथ मल्ल ने दिया है। वह यह है कि "तीन मास की लम्बी हड़ताल के बाद काम पर पुनः लिए जाने की आशा करने वाले ४ हजार एवजी मजदूर एक महीने से कानपुर की मिलों के फाटक पर हाजिरी देकर वापस लौट जाने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं, लक्ष्मी रतन काटन मिल के १११ मुस्तकिल मजदूरों को फिर से काम पर नहीं लिया जा रहा है और ५० मजदूर कार्यकर्ताओं को समझौता हो जाने के बाद भी जेल से छोड़ा नहीं जा रहा है। इससे उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस हड़ताल के सम्बन्ध में भी मैं समझता हूं कि काफी बहस पहले भी हो चुकी है और हड़ताल के सम्बन्ध में और तसफिये के बारे में शायद कुछ कार्यवाही चल रही है इसलिये मैं कामरोको प्रस्ताव द्वारा इस पर पुनः बहस उठाने की अरजेन्सी नहीं समझता हूं, लेकिन एक बार चूंकि मैंने प्रस्ताव को पढ़ दिया है, मैं इतना अवश्य चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जो इससे सम्बन्धित हैं वह अगर इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहें तो सदन को बता दें और चूंकि इस विषय में अखबारों में भी कुछ न कुछ आता ही रहता है और इस तरह की चीजों को सदन में लाया गया है, इसलिए अगर मंत्री जी इस विषय में अपना कोई स्टेटमेंट देना चाहें, जिससे वहां की क्या परिस्थिति है यह स्पष्ट हो जाय तो मैं उसकी इजाजत दे दूंगा। लेकिन इस कामरोको प्रस्ताव को मैं अवैध करार देता हूं।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय में केवल इतना कहना है कि मेरे पास कोई सूचना इस सम्बन्ध में नहीं है। यदि वह चाहेंगे तो इस बारे में मालूमात करा सकता हूं। यह तो करीब-करीब सभी मिलों में हमेशा ही परिस्थिति रहती है कि या तो कुछ न कुछ मजदूर निकाले जाते हैं या एवजी के लिए

मजदूर इन्तजार करते रहते हैं और अगर किसी को अनियमित रूप से निकाला जाता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है और वह अदालत में जाकर उसके लिए न्याय प्राप्त कर सकता है। इस वक्त मेरे सामने इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। अगर आपकी आज्ञा होगी तो लेबर कमिश्नर से इत्तला मंगा कर बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप अगर स्पष्टीकरण देना उचित समझें तो किसी भी रोज दे सकते हैं, मैंने इस वक्त यह काम रोको प्रस्ताव अबैध करार दे दिया है।

प्रदेशीय सरकार तथा मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब माननीय राजनारायण जी ने फिर से एक अविश्वास का प्रस्ताव मेरे पास भेजा है, नये रूप में भेजा है। मैं सदन को बता दूं कि चूंकि मुझे प्रस्ताव को दुरुस्त करने का अधिकार नियमों में दिया हुआ है, यदि कोई प्रस्ताव फार्म में ठीक न आता हो, तो मैंने इसे कहीं कहीं दुरुस्त कर दिया है, जिस दुरुस्ती को प्रस्तावक ने स्वीकार कर लिया है। इसलिये उसको इन आर्डर तो मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रस्तुत नियम से वह अनियमित नहीं है। नियम के अनुसार यदि सदन के पंचमांश सदस्य इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति देने के पक्ष में खड़े हो जायंगे तो इस प्रस्ताव के लिये सदन की अनुमति मानी जावेगी और कोई दूसरा दिन मुकर्रर करूंगा जब इस प्रस्ताव पर बहस होगी और उससे कम खड़े हुए तो यह समझा जायगा कि सदन की अनुमति नहीं है। प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"यह सदन वर्तमान उत्तर प्रदेशीय सरकार तथा उसके मंत्रिमंडल की नीति और कार्यों में अपना अविश्वास प्रकट करता है क्योंकि :—

१—उसने अपने जीवनकाल में जनता की आर्थिक क्षमता का ध्यान किये बिना मनमाने ढंग से बिक्री कर, बिजली कर, कोर्ट फीस, स्टाम्प ड्यूटी, शिक्षा शुल्क, सिंचाई कर, चकबन्दी कर लगाकर गरीब जनता के ऊपर गरीबी का बोझ बढ़ाया है और उसने विकास योजनाओं में सार्वजनिक धन का अपव्यय किया है और उसे इस अवधि में बहुत सी योजनाओं में हजारों और रुपये खर्च होने के बाद बन्द करनी पड़ी है।

२—उसने समाज तथा नौकरियों में विद्यमान महान आर्थिक विषमता को मिटाने की ओर कोई कदम नहीं उठाया है।

३—वह मिलों द्वारा उत्पन्न कपड़ा, चीनी, सीमेंट, खाद तथा किसानों द्वारा उत्पन्न रुई, ईख, गेहूं आदि वस्तुओं के दामों में न्याय के आधार पर संतुलन कायम करने में असमर्थ रही है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं का मिल मालिकों द्वारा शोषण हो रहा है।

४—उसने लगान में कमी न कर, जमीन जोतने की अधिकतम सीमा निर्धारित न कर तथा भूमि बटवारे की समस्या टालकर, जमींदारी उन्मूलन द्वारा किसानों और खेत मजदूरों का जो वास्तविक हित हो सकता था उसके रास्ते में रुकावट पैदा कर दी है।

५—न्याय पंचायतों में सरकारी अधिकारियों को पंचों की नियुक्ति का अधिकार देकर उसने स्वायत्त शासन की नींव पर कुठाराघात किया है।

६—उसने शिक्षा क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा कर विद्यार्थियों का स्वस्थ और स्वतन्त्र विकास रोक दिया है तथा शिक्षा के स्वतन्त्र रूप को विकृत कर दिया है।

७—वह कानून और व्यवस्था तथा जनता की सुरक्षा करने में असमर्थ रही है जिसके फलस्वरूप प्रदेश में मारकाट, लूटमार, चोरी, डाका तथा कत्ल के वाकयातों में वृद्धि हो रही है।

[श्री अध्यक्ष]

८--वह शिकमी काश्तकारों तथा सीरदारों के हकों को सुरक्षित करने में असमर्थ रही है, जिससे कई स्थानों में वे गैरकानूनी ढंग से बेदखल हो रहे हैं।

९--उसने संकुचित अभिनवीकरण की योजना पर जोर देकर कानपुर के मजदूरों को ८० दिन की हड़ताल चलाने पर बाध्य किया और उसकी पुलिस ने हड़ताल के दिनों में मजदूरों के साथ बर्बरता का व्यवहार किया, जिस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया।

१०--उसने जनता को सस्ता न्याय दिलाने तथा इक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को अलग करने की ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

११--पूर्वी जिलों में बाढ़ की भयंकरता से जो जनता की जान और माल की हानि हुई, उसके बचाव करने में सरकार असफल रही है और उसके शासन में निरीक्षण की ढील के कारण आजमगढ़ तथा गोरखपुर के बांध उचित मरम्मत के अभाव से टूटे और आजमगढ़ शहर तथा गोरखपुर का बहुत सा भाग जलमग्न हुआ।"

अब मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जो लोग अनुमति देने के पक्ष में हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जावें।

***श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम २२३ की ओर दिला कर अपने को स्पष्ट करने के लिये ५ मिनट का वक्त चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष--मेरे सामने सवाल कौन सा पेश करियेगा। अभी तो सवाल यह है कि जो लोग इसके पक्ष में हों वे अपने स्थान पर खड़े हो जायं। इस बीच में कोई प्रश्न तो उठता नहीं। क्या कोई वैधानिक प्रश्न उठाना है?

श्री गेंदा सिंह--प्रश्न तो यह है कि हमें अगर अपने स्थान पर खड़ा होना है...

श्री अध्यक्ष--इस समय केवल अपने स्थान पर खड़े होने का प्रश्न है। आप चाहेंगे यह बतलाना कि खड़े क्यों हुए तो बाद में कह सकते हैं और अगर नहीं खड़े होते हैं तो उसका कारण भी बाद में बतला सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--बात यह है कि नियमों के अनुसार एक दिक्कत जरूर होती है कि हम जो यह मोशन है इसमें न संशोधन कर सकते हैं और न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। इसलिये अब दिक्कत हमारे सामने यह होती है कि जैसा यह मोशन है उस पर या तो हम बिल्कुल खड़े न हों या फिर खड़े ही हों। इसलिये अपनी स्थिति को स्पष्ट करना नेता विरोधी दल के लिये आवश्यक है, क्योंकि कंसलटेशन हमसे नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष--एक्सप्लेनेशन का आपको मौका मिलेगा, लेकिन आपके कार्य कर लेने के बाद। जो लोग इसकी अनुमति देने के पक्ष में हैं वे कृपया खड़े हो जायं। इसके ऊपर ऐक्शन आप ले लें यानी खड़े हो या न खड़े हों और ऐक्शन लेने के बाद यानी खड़े हुए तो उसके कारण बताने के लिये बाद में मैं इजाजत दे दूंगा और अगर आप नहीं खड़े हुए तो उसके कारण बतलाने के लिये भी मैं आपको मौका दे दूंगा।

जो माननीय सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हैं वे खड़े हो जायं।

(२३ सदस्यों के खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुमति देने के पक्ष में २३ की संख्या है और चूंकि यह संख्या इस सदन के सब सदस्यों की पंचमांश संख्या से बहुत कम है इसलिये सदन की अनुमति इसके लिये नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

श्री गेंदा सिंह अब अगर आप स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि माननीय राजनारायण जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है वह वर्तमान सरकार के विरोध में जितना नहीं है या जितना उसको एक्सपोज करने का इरादा नहीं है, जितना कि उसका इरादा विरोधी दलों को बदनाम करने का है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके कुछ कारण आपके सामने बताना चाहता हूं। प्रमाण के तौर पर इस अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि पिछले तीन साढ़े तीन वर्षों के भीतर कभी भी राजनारायण जी ने इस प्रकार की चेष्टा नहीं की कि वर्तमान सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाते।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय गेंदासिंह जी ने किसी नियम का हवाला दिया और आपने उनसे यह कह दिया कि वे क्यों खड़े हुए इसके ऊपर कुछ कारण दें। मगर उस व्यवस्था के अनुसार 'माननीय राजनारायण जी के ऊपर वे आपत्तियां प्रकट करने लगे। अगर आप इस पर कुछ व्यवस्था नहीं देंगे तो मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर बाद में आपसे मौका चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष---अगर आपका नाम लेंगे तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह---मैं कह रहा था कि साढ़े तीन वर्षों के भीतर उन्हें कभी इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि वे इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लावें। हां, कभी-कभी वह चर्चा किसी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने की करते थे जो कम से कम सरकार से सम्बन्ध नहीं रखता और उसमें हमारी राय नहीं होती थी।

श्री अध्यक्ष---पार्टी के अन्दर की बातें कहने की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गेंदा सिंह---मैं उसे छोड़ देता हूं। अब इस वक्त उन्होंने उपयुक्त अवसर समझा है जब कि वह केवल दो आदमी रह गये हैं।

श्री राजनारायण---तीन, तीन।

श्री गेंदा सिंह---मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने यह उपयुक्त अवसर इसे कैसे समझा। यह जितने भी कारण अविश्वास के प्रस्ताव में लिखे गये हैं सभी कारण ऐसे हैं जो पिछले चार पांच दिन के भीतर ही उत्पन्न नहीं हुए हैं। पिछली गवर्नमेंट जब से बनी, या इस गवर्नमेंट के बनने से पहले से भी कारण हैं और पांच छः दिन से पहले जब से सेशन शुरू हुआ है उसके पहले से ही कारण हैं। लेकिन एक घटना जरूर घटी जो चाहे दुर्घटना हो, कि माननीय राजनारायण जी आज हमारे दल में नहीं हैं। अगर वह कारण है तब तो मुझे उनसे कुछ कहना नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आप केवल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आप क्यों खड़े हुए। आपने क्यों उचित समझा इसके लिए कारण बताएं।

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं बातों को आपसे निवेदन कर देता हूं कि हमारे खड़े होने का क्या कारण है। कारण यह है कि जब हम ऐसा समझते हैं,

[श्री गेंदासिंह]

हमको भी इस बात की प्रबल इच्छा है कि हम इस सरकार को हटा सकें, सरकार को अपदस्थ कर सकें। लेकिन अपदस्थ करने का एक तरीका है और सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव हम ला सकें और पास करा सकें, हमारी ऐसी प्रबल कामना है। राजनारायण जी से वह कामना कमजोर नहीं है। लेकिन दिक्कत हमारी यह है कि राजनारायण जी के प्रस्ताव के पक्ष में हम वोट देते समय इस बात को सोचते हैं कि आखिर इस सदन में २१६ मेम्बर जब तक कम से कम हमारे साथ न हों तब तक कम से कम इस सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। ८६ मेम्बर जब तक मौजूद न हों इस प्रस्ताव के पक्ष में तब तक विचार करने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती। इन सब बातों के होते हुए भी हमको यह सोचना है कि राजनारायण जी का क्या मतलब है। इस प्रस्ताव को ले आने का। उस उद्देश्य को वह हमसे बताना भी नहीं चाहते हैं। और वह सिर्फ एक बात समझाना चाहते हैं और वह हमारी समझ में आती है। वह सारे देश में कहना चाहते हैं कि आज का जो विरोधी दल है वह विरोधी दल शासन से मिलना चाहता है। शासन को बचाने के लिए, शासन की कमजोरियों को छिपाने के लिए, यह मकसद है। इस मकसद को राजनारायण जी के फलीभूत नहीं होने देना चाहिए। हम जानते हैं कि राजनारायण जी इस तरह की हरकतें आज ही नहीं कर रहे हैं। वह आइन्दा भी करेंगे। जो आइन्दा वह तैयारी कर रहे हैं उसका एक अंग यह भी है कि हमारी सारी पार्टी को तबाह करने के चक्कर में हैं और इस शासन को जितना अधिक से अधिक बल वह दे सकते हैं उसको देने में आज लगे हुए हैं। हम जरूर चाहते हैं कि इस तरह का बल राजनारायण जी को प्राप्त न होने पाये और जनता में कभी भ्रामक प्रचार का मौका न मिलने पाये। इसलिए हमें यह काम करना पड़ा। हम जानते हैं कि इस शासन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाना और अविश्वास का प्रस्ताव पास कराना हमारी शक्ति से बाहर है। जब तक जनता में अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करके इस सरकार को हटाने की तैयारी न कर लें, हम एक क्षण भी सरकार को बरदाश्त करना नहीं चाहते, हम उसको हटाना चाहते हैं, लेकिन राजनारायण जी को यह विश्वास हो सकता है कि इस सदन में इस सरकार को हटा सकें। यह मैं उनकी बुद्धि पर हमला नहीं करता। लेकिन मेरे बस की यह बात नहीं है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजनारायण जी का मकसद इस शासन को मजबूत करने का है। वह मजबूत न हो सके इसीलिए मुझे आज खड़ा भी होना पड़ा।

*श्री राजनारायण---श्रीमन्, जो उदारता आपने विरोधी दल के नेता के साथ बरती है मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ भी बरतेंगे।

श्री अध्यक्ष---शब्दों तक सीमित रहिये।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि विरोधी पक्ष के नेता माननीय गेंदा सिंह जी इस सरकार को हटाने के लिये हमारा साथ नहीं दिये, बल्कि उनके घूंघट का नकाब न खुलने पाये, इसलिये उन्होंने हमारा साथ दिया। यही उन्होंने श्रीमन्, कहा। इसके बाद श्रीमन्, साढ़े तीन वर्ष के इतिहास की कुछ चर्चा उन्होंने कर दी और मेरे ऊपर एक आक्षेप ऐसा किया कि मैंने इससे पहले इस सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा। खैर, यह भी एक तरीके से वर्तमान सरकार के पक्ष में ही बात जाती है। श्रीमन्, आप स्वत: अपने कमरे में बुला कर मुझे समझाया करते थे इस सरकार के बारे में। हमने माननीय मोहनलाल गौतम जी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगन्नाथ मल्ल---वह तो मैंने रखा था।

श्री राजनारायण---हां, ठीक है।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)---अध्यक्ष महोदय, वह पर्सनल था, मिनिस्टर के खिलाफ नहीं।

श्री राजनारायण---श्री जगन्नाथ मल्ल जी के नाम वह प्रस्ताव था। लेकिन आप देखेंगे कि इस प्रस्ताव की कुछ बातें उस प्रस्ताव में भी थी और आज का जो प्रस्ताव आया, मैं आपको श्रीमन्, बताऊं कि मैंने माननीय सम्पूर्णानन्द जी के पास कई पत्र लिखे हैं और ऐसा कोई अवसर नहीं गया, चाहे वह लखनऊ में विद्यार्थियों पर फायरिंग रही हो, चाहे वह अध्यापकों की हड़ताल रही हो, चाहे वह कानपुर के मजदूरों पर सरकारी पुलिस का प्रहार रहा हो या संकुचित अभिनवीकरण योजना रही हो, हमने तार भी दिया है गोरखपुर जेल से, हमने श्री सम्पूर्णानन्द जी को गोरखपुर जेल से ६, ७ पेज का पत्र भी लिखा है और समाचारपत्रों में भी श्रीमन् यह बात आई है कि कानपुर के मजदूरों के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है अब यह असह्य हो गया है कि हम इस प्रकार सरकार को बरदाश्त करें और समाचार पत्रों में भी यह बात आज से ३, ४ माह पहले ही आ चुकी थी, जब हम विरोधी पक्ष के नेता थे और माननीय गेंदा सिंह जी हमारे सहयोगी थे। तो यह बात आ चुकी थी कि जब सदन बैठेगा तो हम वर्तमान सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव लायेंगे। तो यदि माननीय गेंदा सिंह जी को कहीं से भी ऐसी झलक मिलती हो कि सरकार की किसी भी नीति से, जो जनता के हित में नहीं रही है, हम सहमत थे, किसी भी प्रकार, तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह अपने दिल से ऐसा ख्याल निकाल दें। आज जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है वह तो उसको जैसा स्वरूप आपने अपने अधिकार द्वारा दिया है वह है। इसके पहले ही एक प्रस्ताव आ चुका था और उस पर उन्होंने ही समय लिया था कि वे उस पर विचार करेंगे और उनकी पार्टी में उस पर विचार हुआ और उसके बाद हमको सूचना दी गई कि वह प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होंगे और इसके बाद जब यह प्रस्ताव परिवर्तित रूप में आया तो हमने उनको बताया कल भी कि हम माननीय अध्यक्ष महोदय के पास जा रहे हैं और उनसे विचार विनिमय करेंगे कि वह किस रूप में इसका विचार करेंगे और यह अधिकार तो अध्यक्ष महोदय को ही है। वह तात्कालिक भाषा में इसको परिवर्तित कर सकते हैं इसलिये अन्तिम स्वरूप तो वही रखेंगे प्रस्ताव का, लेकिन हमने उनसे कहा कि अगर वह इसमें कोई और बात रखना चाहते हैं या कोई संशोधन देना चाहते हैं, तो दें। इसके बाद में अपनी ओर से अब क्या इसमें सफाई दूं। मुझे तनिक भी इच्छा नहीं है कि मैं माननीय गेंदा सिंह जी को या उनके दल को एक्सपोज करूं .....

श्री मोहनलाल गौतम---प्वाइंट आफ आर्डर, सर। इस सदन के सामने दो तरह के स्टेटमेंट्स हुए जो एक दूसरे के विरोधी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनसे सलाह ली गई और कुछ कहते हैं कि हमसे सलाह नहीं ली गई। क्या यह इस भवन का प्रिविलेज नहीं है कि वह जाने की सत्य क्या है और कांट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देकर हम लोग भुलावे में न डाले जायं? इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि सदन का क्या अधिकार है? क्या सदन को यह अधिकार नहीं है कि वह सत्य को जाने?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जब तक कि कोई प्रिविलेज का सवाल नहीं बाकायदा आता है तब तक किसी सदस्य की बात को सत्य उसने कहा या असत्य कहा, इसके बारे में जांच सदन नहीं कर सकता। खुद किसी की बात पर विश्वास हर एक व्यक्ति कर सकता है। एक किसी का विश्वास करे, दूसरा कोई दूसरे का विश्वास करे, यह अधिकार सदस्यों का है।

[श्री अध्यक्ष]

तो यहां इस वक्त स्टेटमेंट थोड़ा सा परसनल हो रहा है, चूंकि उनका नाम ले लिया था इसलिये राजनारायण जी को मौका दे दिया गया कि वह अपनी पोजीशन को स्पष्ट कर दें ताकि जो उनका विश्वास करने वाले हों, वह उनका विश्वास करें और जो दूसरों का विश्वास करने वाले हों वह उनका विश्वास करें।

श्री राजनारायण—और श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो तो मैं सफाई दे दूं कि प्रस्ताव देने के पहले हमने इनसे कंसल्ट नहीं किया था। प्रस्ताव मैंने जब आपको दे दिया तब मैंने यह पूरी कोशिश की, उसकी एक कापी इनको भी दे दी आपको देने के बाद दस मिनट के अन्दर और एक कापी राजा वीरेंद्र शाह के दल को भी दे दी

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—अभी अभी दी है।

श्री राजनारायण—पहले प्रस्ताव की कापी। इसकी नहीं। और इसमें भी श्रीमन्, पहले के वही प्वाइन्ट्स हैं। उसी को आपने परिवर्तन करके भाषा को परिमारजित किया है इसलिये माननीय मोहनलाल गौतम जी को या किसी माननीय सदस्य को कोई भ्रम न हो कि मैंने किसी को कंसल्ट किया। विधान में कहीं यह नहीं लिखा है कि किसी को कंसल्ट करने की आवश्यकता हो। मगर हां, प्रस्ताव देने के बाद हमने बराबर यह कोशिश की। हमने कांग्रेसी मित्रों से भी, कांग्रेसी एम० एल० ए० जो चाहते थे कि प्रस्ताव आये, उनसे भी बात की

* * * * *

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह आप आक्षेप न करें।

श्री राजनारायण—ठीक है, मगर इतनी बात श्रीमन्, मैं आपके माननीय मुख्य मंत्री जी, चूंकि सम्पूर्णानन्द जी बैठे हुये हैं, उनसे बता दूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी का यह कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है। यह सवाल है पूरी कैबिनट का। उनकी कैबिनट पर, उनकी सरकार पर, उनके सिस्टम पर, जो प्रणाली है उस पर हमारा अविश्वास है और मैं माननीय गेंदा सिंह जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी अपने अन्दर इतनी राजनैतिक दृढ़ता, इतनी राजनीतिक दक्षता और इतने ऊंचे दरजे के राजनैतिक चरित्र का प्रदर्शन करेंगे कि जिस बात से वह सहमत न हों उसमें केवल इस डर से कि वह एक्सपोज न हों, मेरा साथ न दें।

श्री अध्यक्ष—(कई सदस्यों के खड़े होने पर) अब इस पर बहस अधिक नहीं होगी। मैं हर एक को मौका नहीं दूंगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—जो उन्होंने कांग्रेस दल के ऊपर आक्षेप किया था, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के ऊपर उसको या तो उनकी स्पीच में से निकाल दिया जाय या उसे वापस करने की आज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने खुद वापस ले लिया। इसलिये वह काट दिया जायगा। वह कार्वडिस शब्द वगैरह जो उन्होंने उसको बाद को उन्होंने कहा कि वह वापस लेते हैं। 'ठीक है' इन शब्दों से उनका यही तात्पर्य था।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—मेरा निवेदन यह है कि श्री राजनारायण सिंह जी ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग भी उनसे सहमत थे इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाने के लिये, कुछ एम० एल० ए० लोग, तो मेरा निवेदन यह है कि चूंकि यहां पर हाउस के सामने यह बात आ गई है तो या तो राजनारायण जी नाम बतायें या उनके भाषण से यह शब्द निकाल दिये जायं।

[*—*] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष---मैं उस चीज को नहीं कर सकता हूं मैं समझता हूं कि यह कहने का उन्हें अधिकार है यानी इस तरह से कहने का ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---मैं यह अर्ज करना चाहता था कि अगर वाकई राजनारायण साहब कोई नाम नहीं बतला सकते तो फिर कम से कम उनको इस हाउस के सामने माफी मांगनी चाहिये कि ऐसे नाम क्यों लिये गये कि तमाम हाउस के ऊपर आक्षेप आता है ?

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---मुझे सिर्फ एक ही बात अर्ज करनी है कि जिस तरह हमारे दोस्त राजनारायण जी को या गेंदा सिंह जी को इस बात की विजाहत करने का मौका दिया गया कि वह क्यों खड़े हुये, अगर कोई आदमी यह कहना चाहे कि हम क्यों नहीं खड़े हुये, तो दो मिनट का वक्त हुजूर इनायत फरमा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---नहीं, यह एक विशेष परिस्थिति में मैंने यह मौका दिया कि सदन कुछ परिस्थिति को जान ले ।

एक सदस्य---झूठ बोलने का ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, एक्सप्लेनेशन देने का । नहीं तो मेरे राय लेने के बाद, फैसला देने के बाद कोई आवश्यकता नहीं थी कि कोई स्पष्टीकरण किसी को देने का मौका दिया जाय । और यह विशेष परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि मुझे यह शक हुआ कि शायद बार-बार ऐसी परिस्थिति गलतफहमी बाकी रहने से पैदा न हो जाय । ऐसी परिस्थिति बार-बार पैदा न हो, और झगड़ा न हो, इसलिये मैंने मौका दिया जिसमें तमाम सदस्य समझ भी लें कि क्या बात है, क्यों कुछ सदस्य खड़े हुये हैं, किस वजह से खड़े हुये हैं । चाहे किसी के खिलाफ हों या न हों तो भी खड़े क्यों कर हो सकते हैं, इत्यादि बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक था । ये सब बातें किस दृष्टि से हुआ करती हैं, इसके बारे में भी ज्ञान हो जाना आवश्यक है, जिससे मैं भी गतिविधि जान कर भविष्य में उचित निर्णय दे सकूं । मुझे खुद निर्णय करने में भविष्य में दिक्कत हो सकती थी, इस कारण भी यह बात स्पष्ट करने के लिये मैंने उस वक्त मौका दे दिया और चूंकि राजनारायण जी का प्रत्यक्ष नाम लिया गया था । विरोधी दल के नेता द्वारा । इसलिये उनको वैयक्तिक स्पष्टीकरण के लिए मौका दिया । अब यहां पर यह विषय समाप्त होता है यानी यह चैप्टर क्लोज होता है ।

हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १३ दिसम्बर, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर-प्रदेश विधान परिषद ने अपनी २३ दिसम्बर, १९५४ की बैठक में एक संशोधन सहित पारित किया था । जिसको उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ फरवरी, १९५५ की बैठक में स्वीकार करके स्वीकृत संशोधन सहित पुनः पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १४ जून, १९५५ को प्राप्त हो गयी और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का १४ वां अधिनियम बन गया ।

जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली तथा मोटर विहिकिल्स रूल्स की संशोधित प्रतियों की मांग

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---मैं कुछ अगले कार्यक्रम के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, परसों मैंने आपका ध्यान एजेंडा पर मद नम्बर ५ और ८ की तरफ दिलाया था । अब भी जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली का जो अंतिम रूप है और मोटर वेहिकिल्स रूल्स का वह हमारे सामने नहीं आ पाया है । अगर सरकार चाहती है कि उन पर वाद विवाद हो तो अंतिम रूप हमारे सामने नियमों के अनुसार समय पर आ जाने चाहिये ।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---हम कोशिश कर रहे हैं श्रीमन् कि आ जायं और फिर से रखवा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं अब आपको मौका मिल जायगा। कल के बाद ७-८ रोज के लिये हाउस नहीं बैठेगा। आइन्दा जब हाउस बैठेगा तब तक आप दे देंगे।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विवाद को ३ बजे तक समाप्त करने का प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय नेता विरोधी दल और उपनेता विरोधी दल से मेरी बात चीत हो चुकी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन पर जल्दी बहस समाप्त की जाय, तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज तीन बजे दिन तक उस पर बहस समाप्त कर दी जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनरेश शुक्ल ने हमसे प्रार्थना की थी कि इस पर ३ बजे तक बहस समाप्त हो जाय पर हम उस पर राजी नहीं हुये थे। हम चाहते थे कि आज शाम पांच बजे तक पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हो जाय। उसके लिये हम अब भी तैयार हैं। तीन की बात नहीं थी, पांच पर हम राजी हुये थे।

श्री रामनरेश शुक्ल---ठीक है साहब, ५ बजे तक मैं चाहता तो नहीं था लेकिन अगर मेरे मित्र ५ बजे पर सहमत हैं तो ५ बजे तक रहे।

श्री अध्यक्ष---ठीक है। तो मैं समझता हूं कि सर्वसम्मति से यह स्वीकार होता है। तो इसी पर मैं कायम रहूंगा।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९५२-५३ का वार्षिक प्रतिवेदन

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ के खंड (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन) के १९५२-५३ के वार्षिक प्रतिवेदन, तत्संबंधी स्मृति-पत्र सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह जो वार्षिक प्रतिवेदन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है इसका विवाद इससे सम्बद्ध तो न होगा। शायद इसके लिये कोई भविष्य में तिथि निर्धारित की जायगी।

डाक्टर सम्पूर्णनन्द---जी हां। आगे कोई दिन इसके लिये होगा।

श्री अध्यक्ष---तो ठीक है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन) के १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृतिपत्रों पर विवाद (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा तत्संबंधी स्मृति-पत्रों पर, जो २१ दिसम्बर, १९५३ तथा ३० मार्च, १९५४ को सदन की मेज पर रखे गये, विवाद जारी रहेगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी आज्ञा से १९५१–५२ का स्मृति-पत्र जो मुझे उपलब्ध हो सका देख लिया। १९५०–५१ का स्मृति-पत्र मुझे देखने को नहीं मिल सका। इस स्मृति पत्र को देखने के पश्चात् भी कुछ बातों के विषय में मुझे निवेदन करने की आवश्यकता है जिनके बारे में उचित समाधान मुझे नहीं हो सका। इस रिपोर्ट में एक जगह यह लिखा है कि डायरेक्टर, ऐग्रीकल्चर ने एक कर्मचारी को सबार्डिनेट ऐग्रीकल्चर सर्विस के ग्रेड में अस्थायी तौर से ८ वर्ष तक रखा। इसके बारे में आयोग की उन्होंने कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की। स्मृति-पत्र में इस विषय में कोई बात नहीं लिखी गयी है। गवर्नमेंट की मंशा पर कोई शुबहा नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने सन् ४९ में ही एक कड़ा आदेश इस बात का जारी किया था कि नियमों की अवहेलना नहीं होनी चाहिये और जब भी कोई अस्थायी पद पर रखा जाय तो उसकी सूचना अविलम्ब आयोग को दे दी जाया करे। लेकिन फिर भी कमीशन की ५१–५२ वाली रिपोर्ट में इस बात की सख्त शिकायत हुई कि बावजूद सरकारी आदेश के सरकारी कर्मचारी बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं करते कि जो अस्थायी कर्मचारी रखे गये उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लें। बल्कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जो रख लिये जाते हैं उनको आयोग के अस्वीकार करने पर भी सरकारी ऊंचे अधिकारी बार-बार इस बात का प्रयत्न करते हैं कि किसी प्रकार उनके रखे हुये कर्मचारियों के लिये आयोग अपनी स्वीकृति प्रदान करें। आयोग, कमीशन, के शब्द यह हैं कि "बार-बार निदेश करने पर भी नियुक्त प्राधकारी अस्थायी तथा स्थानापन्न नियुक्तियां करने में अपने अधिकारों का बराबर अतिक्रमण करते हैं।" माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसे केसेज हैं कि जिस व्यक्ति को रख लिया यदि वह कमीशन के चुनाव में नहीं आया तो फिर बाहर से कर्मचारी रखे जाने का विचार ही बदल दिया गया। मिसाल के तौर पर एक डिप्टी डायरेक्टर, पंचायत जिसका वेतनक्रम २५० से ८०० रुपया था, के पद पर एक व्यक्ति ३७५ रुपये पर रख लिया गया था। कमीशन के पास जब भेजा गया तो कमीशन ने विज्ञापन जारी किया बाद में यह विचार फिर बदल दिया गया और यह कहा गया कि अब बाहर से किसी के रखे जाने की जरूरत नहीं है। चुनान्चे जिन लोगों का कमीशन के पास शुल्क आया हुआ था वह उनको वापस कर दिया गया। यह बात जब हुई जब कि उस आदमी को जिसको रख लिया गया था कमीशन ने उसके लिये स्वीकृति नहीं दी। तब विज्ञापन जारी करने के लिये सरकार ने स्वीकृति दे दी और इसके बाद विचार बदल गया कि बाहर से कोई व्यक्ति नहीं रखा जायगा।

ऐसे भी केसेज हैं कि कमीशन ने जिनको नहीं चुना उन्हीं को रखा गया और अलग नहीं किया गया। आज जो अभी १९५२–५३ का स्मृति-पत्र मिला है इसमें यह लिखा गया है कि इस बात की आशा में.....

श्री अध्यक्ष––१९५२–५३ का स्मृति-पत्र अभी विचार करने के लिये नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य––मैं तो मिसाल के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जिसको कमीशन ने अपनी स्वीकृति नहीं दी फिर भी उसको रोक लिया गया और इस आशा में रोक रखा गया कि कमीशन अपनी स्वीकृति दे देगा। इसका आशय यह हुआ कि कमीशन के अस्वीकार करने के बाद भी उच्चाधिकारी कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति रखा जाय और कमीशन को बाद में लिखते हैं। चुनान्चे कई वर्ष तक जितने समय तक रखने का अधिकार है उसमें अतिक्रमण होता रहता है और कमीशन से बराबर लिखा-पढ़ी होती रहती है। चुनान्चे इस दिक्कत को देखकर कि सरकारी कर्मचारियों को छै महीने में अपनी रिपोर्ट भेजने में शायद कोई दिक्कत रहती हो, सरकार ने इस अवधि को ६ महीने के बजाय एक वर्ष कर दिया। लेकिन वह भी काफी नहीं होगी जब कि ८–८ साल की मिसालें मौजूद हैं। इसलिये सरकारी आफिसर्स की राय और मशविरे से यह तय होना चाहिये कि कितने दिन तक अस्थायी और स्थानापन्न

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

कर्मचारी रखे जायं, इस पर अंतिम निर्णय सरकार दे इस तरह की शिकायतें नियम तोड़ने की नहीं होंगी। अधिकारियों को समय भी अधिक मिल जायगा। अस्थायी कर्मचारियों को ज्यादा दिन रखने की उनकी इच्छा भी पूरी हो जायगी।

अब भी अयोग्य व्यक्ति काफी तादाद में रख लिये जाते हैं जिसका पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक शिक्षा विभाग में जिक्र किया है। पृष्ठ ९१ में ६२ ट्रेंड अन्डर ग्रेजुएट्स को असिस्टेंट मास्टर रखने का मामला है। इसमें शिक्षा संचालक से कहा गया कि इन स्थानों पर दूसरी नियुक्तियां की जायं। इस संबंध में स्मृतिपत्र में कहा गया है कि शिक्षा संचालक ने कहा कि उन के यहां कर्मचारियों की कमी है और उनके कर्मचारी जो जिलों में हैं वह पूरी रिपोर्ट नहीं देते और उनके विभाग में काम बहुत अधिक है। इसलिये यह सब समय के अन्दर आयोग को नहीं दिया जा सका। लेकिन सब से बड़ी शिकायत इस बात की है कि कमीशन कहे कि ६२ कर्मचारी अयोग्य हैं और उनको रखते वक्त इस बात की ओर तनिक भी ध्यान न दिया जाय कि इन ६२ कर्मचारियों की जो नियुक्ति की जा रही है यह योग्य हैं अथवा अयोग्य हैं और कमीशन के सामने जब यह प्रश्न जायगा तो कमीशन उस पर क्या अपनी सम्मति देगा और जनता जब इसको देखेगी तब उसके अन्दर क्या भावना पैदा होगी। इस बात को न देखकर ६२ व्यक्तियों को रख लिया, यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फार्म मैनेजर, नीलगांव के लिये कमीशन ने स्पष्ट कहा कि यह कर्मचारी जिसको शासन ने रख लिया है, यह अयोग्य है लेकिन फिर भी बार-बार उस चीज को प्रेस किया गया कि इस नीलगांव फार्म के मैनेजर को रख लिया जाय और फिर कमीशन ने अ नी स्वीकृति दे दी। बहुत से केसेज ऐसे मिलते हैं जिनको बारबार लिखने पर कमीशन ने अपनी स्वीकृति दी। स्मृतिपत्र यह कहता है कि केवल २ ही ऐसे वाकयात हुये हैं जिनमें कमीशन की राय और शासन की राय में मतभेद हुआ और जिनमें शासन ने कमीशन की राय को कबूल नहीं किया। तो स्पष्ट है कि दो ही ऐसे केसेज हैं जिनको कोड किया गया है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि कमीशन जिन कर्मचारियों को एक बार अयोग्य कहता है, उनको फिर इस बात के लिये प्रेस करना कि उन कर्मचारियों को रख लेना ठीक होगा कहां तक उचित है, यह विचारणीय प्रश्न है।

इसमें एक स्थान पर तीन जिला विकास अधिकारी शासन की तरफ से रख लिये गये। कमीशन ने इस बात पर आपत्ति की और घोर आपत्ति की। उनमें एक को फिर तरक्की देकर . . .

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि सिद्धान्त पर ही ज्यादातर यह बहस होती है। यहां पर हर एक का उदाहरण देना उचित नहीं है। एक सिद्धान्त के संबंध में एक दो उदारहण देकर दूसरे सिद्धान्त को लेना चाहिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं श्रीमान्, सिद्धान्त की ही बात कर रहा था। मैं दूसरे विषय को ले रहा था, उसमें मैंने यह कहा कि बावजूद कमीशन की आपत्ति के एक आदमी को उच्च पद पर बैठाया गया। और इस तरह से दोनों को कायम रखा गया जब कि कमीशन ने उस पर घोर आपत्ति की। मैं और ज्यादा कुछ उदाहरण कोट करना नहीं चाहता। मेरा निवेदन यह है कि जो नियम बने और जब सरकार इन नियमों को विचार पूर्वक बनाती है तो उन नियमों का पालन होना चाहिये। अगर नियम पालन करने में कोई कठिनाई पड़ती है तो सरकार को उनका पुनर्वीक्षण कर लेना चाहिये ताकि वह नियम पूर्ण रूप से पालन किये जा सकें और सरकारी नौकरियों की भर्ती में जो जनता या उम्मेदवार हैं उनके मन में जो जबर्दस्त धारणा फैल गयी है, मैं उसको कहने में संकोच नहीं करना चाहता, एक बड़ी विषाक्त धारणा यह फैल गयी है कि जो भी नौकरियां मिलती हैं वे सब सिफारिश के आधार पर ही मिलती हैं और जिसकी सिफारिश नहीं होती है उसको नौकरी कहीं नहीं मिलती। इस धारणा को निर्मूल करना शासन के लिये परमावश्यक है। यह धारणा कैसे होती है यह हम सब को और खासतौर से शासन के विचार करने

के योग्य हैं। जहां कोई गुंजाइश इस तरह की हो और सिफारिश करने का कोई भी अंदेशा हो तो किसी न किसी तरह उसे अवश्य ही मिटाया जाना चाहिये। डिसिप्लनरी इंक्वायरी कमेटी नें इस प्रश्न पर काफी विचार किया था और नियमों में कुछ संशोधन भी किये गये थे। यह तो मुझे पता नहीं है कि उस बारे में शासन ने क्या आदेश जारी किये, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो परिस्थिति आज देखने में आती है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इस धारणा को निर्मूल करने के लिये सख्त से सख्त नियम होने चाहिये। पब्लिक सर्विस कमीशन के अतिरिक्त भी और नियुक्तियां होती हैं उनमें भी परिवर्तन किया जाय। कैसे हो इसकी तरफ सदन का समय मैं नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि तमाम नौकरियों के संबंध में मूल रूप से सरकार समय लगाकर विचार करे और इस प्रकार की धारणा को मिटाये। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे विरुद्ध एक विषाक्त वातावरण ये उम्मीदवार लोग पैदा कर रहे हैं। अगर कहीं १० स्थान खाली होते हैं तो हजारों, सैकड़ों उम्मीदवार दौड़ पड़ते हैं। सब तो नहीं लिये जा सकते और जो नहीं लिये जाते वे बहुत ही विषाक्त वातावरण समाज के अन्दर पैदा करते हैं। कभी-कभी ऐसे केसेज भी आये हैं कि फर्स्ट क्लास को नहीं लिया गया और थर्ड क्लास को ले लिया गया और उसकी वजह से यह तमाम बिष वमन होता है। यह तो नहीं मालूम होता कि उसका कारण क्या था और वह क्यों नहीं लिया गया। संभव है सब बातें सोच ली गयी हों और चुनने वाले ने इस प्रकार की जांच कर ली हो, लेकिन स्पष्टतः यह चीज बड़े घातक रूप में हमारे सामने आती है।

अभी हमारे माननीय सदस्य श्री राम वचन यादव जी ने एक मिसाल दी थी कि एक फर्स्ट क्लास फर्स्ट को नहीं लिया गया और उसकी जगह कहीं नीचे दर्जे के आदमी को ले लिया गया। इसलिये इस पर और अधिक न कह कर केवल यहीं कहूंगा कि यह प्रश्न बड़ा गंभीर है और इस पर विचार होना चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के संबंध में कोई नियम कमीशन के सामने इस बात के नहीं है कि पिछड़ी जातियों की भर्ती में कमीशन क्या रुख अख्तियार करे। अनुसूचित जातियों को रिजर्वेशन है और उनके लिये शासन भी ध्यान रखता है कि अगर अनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार काफी नीचे सीरियल नम्बर पर भी होता है फिर भी लिखा पढ़ी करके उसको स्थान देने का विशेष प्रयत्न होता है और वह उचित भी है तथा विधान के अनुकूल है कि परिगणित जातियों के लिये जो १८ प्रतिशत रिजर्वेशन है उतनी संख्या में वे आ जायं। कमीशन योग्य उम्मीदवारों को ले। पिछड़ी जातियों के लिये और प्रदेशों में रिजर्वेशन है और कानून बना हुआ है कि किन-किन जातियों के लिये सर्विसेज में विशेष ध्यान दिया जाय। उन जातियों की सूची भी कोई शासन की तरफ से किसी विभाग को नहीं भेजी गयी है। केवल शिक्षा विभाग के पास एक लिस्ट रखी गयी है जो छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये है लेकिन एप्वयटमेंट में, सर्विसेज में उनकी भर्ती के लिये इस प्रकार की कोई लिस्ट विभाग को नहीं दी गयी है और न वह पब्लिक सर्विस कमीशन के ही सामने है। नियम यह भी होना चाहिये कि कम से कम इस सदन की जानकारी के लिये जब कि पिछड़ी जातियों की तरक्की के लिये केन्द्र ने एक कमीशन बना दिया है तो . . .

श्री अध्यक्ष—आप विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—श्रीमन्, मैं कह रहा था कि जब केन्द्र ने ऐसी बातें की हैं तो नियम कमीशन के सामने यह भी होना चाहिये कि कमीशन अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया करे कि कितने परिगणित जाति के किन किन जगहों पर लिये गये और कितने बैकवर्ड क्लास के किन-किन जगहों पर लिये गये। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि बैकवर्ड क्लास कितनी

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

तरक्की कर रहा है और अनुसूचित जाति किस हद तक पहुंच पायी है, इसका भी जिक्र होना चाहिये । नियम ऐसा भी होना चाहिये कि इन दोनो वर्गों के लिये जो भी जितनी नियुक्तियांहों उनका ब्योरा कमीशन दे दिया करे । जैसे एक बार पूछा गया कि बैकवर्ड क्लास के लोग कितने गजेटेड पोस्ट पर हैं और कहां-कहां हैं, लेकिन इसका किसी को पता नहीं था इस लिये समय पर जबाव नहीं दिया जा सका । चूंकि कमीशन के सामने सभी उम्मीवार जाते हैं इसलिये उनका पूरा ब्योरा भी रिपोर्ट में आना चाहिये और इस प्रकार नियम बनाना चाहिये । मैं फिर यह कहूंगा कि बैकवर्ड क्लास के लिये सर्विसेज में विशेष रूप से ध्यान दिया जाय इस पर भी शासन को गौर करना चाहिये, ताकि इतने बड़े समुदाय के होते हुये भी जो उसका रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज में कम है वह पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये पूरा हो जायगा, विभागों के जरिये पूरा हो जायगा । इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि समय बांध दिया जाय ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आज हम इस सदन में बहस कर रहे हैं वह उस गवर्नमेंट के लिये जो प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर कायम है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुये जब हमारे भारतवर्ष का विधान बना, जिस समय पर इस चैप्टर पर विधान बनाते समय बहस हो रही थी तो उस समय सारे पहलू पर विचार किया गया और सिर्फ इस उद्देश्य से कि किसी भी देश में या किसी भी प्रदेश में जो हमारी सर्विसेज हैं वे बिल्कुल इंडिपेंडेट हों, वे अपने प्रदेश की जनता के सेवक बनें, किसी भेदभाव की चीज न करें, अपने प्रदेश की जनता की सेवा, जिस काम के लिये वे रखे गये उसे ठीक तरह से निभायें। इसी उद्देश्य से अध्यक्ष महोदय, विधान जब पास हुआ उस समय इस पर काफी विचार किया गया और इसी उद्देश्य से कि जो हमारी सर्विसेज को एप्वायंटमेंट करने वाले हैं, नियुक्त करने वाले हैं, वे लोग ऐसे हों कि जिनके ऊपर कि हमारे प्रदेश की सरकार का कोई भी असर न पड़ सके । अध्यक्ष महोदय, विधान में यह भी लिखा गया है कि किसी भी प्रदेश के लेजिस्लेचर इस मामले में सुप्रीम है और इसलिये सुप्रीम है कि जो फंक्शन आफ़ रेगुलेशंस बनेंगे उस सिलसिले में गवर्नर महोदय उनको जो बनायेंगे वह भी प्रदेश की विधान सभा के सामने रखा जायगा उनकी स्वीकृत के लिये और विधान सभा को यह अधिकार होगा कि जो रेगुलेशंस बनाये जायेंगे उनमें वह संशोधन भी कर सकती है । इस विधान की एक धारा में मैं समझता हूं स्पष्ट दिया हुआ है कि पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट गवर्नर महोदय के पास भेजेगा और वह सरकार की टिप्पणी के साथ उसे इस लेजिस्लेचर के सामने रखेगें और वह अधिकार इतना बड़ा इस सदन को दिया गया है कि जिससे हम फैसला कर सकते हैं और बता सकते हैं और हम जो जनता के प्रतिनिधि यहां आये हैं वह दोनों का, सरकार का और पब्लिक सर्विस कमीशन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकें कि जो अधिकार उन्हें विधान से मिले हैं उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं । इसी उद्देश्य को लेकर इन रिपोर्ट्स् पर हम विचार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि सारे भारतवर्ष में बेकारी की समस्या बहुत जटिल रूप धारण किये हुए है यह तो मानने की बात है ही कि हमारे गांवों के रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जिनको उनकी गरीबी के कारण शिक्षा नहीं मिल सकती है, जो बड़े-बड़े पदों पर पहुंचने में गरीबी के कारण रुक जाते हैं उनका भी प्रश्न प्रदेश के सामने विचारणीय है । हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन तो उन्हीं लोगों को लेंगे जो एक निर्धारित क्वालिफिकेशन रखते हैं । अब तो बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी सरकारी विभाग में

किसी की नियुक्ति करना है और वह चाहते हैं कि किसी की नियुक्ति की जाय तो उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वही क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दी जाती है और उसी की सारी क्वालीफिकेशन लिख दी जाती है और मामला पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेज दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि उस क्वालिफिकेशन का दूसरा आदमी नहीं मिलता और उन्हीं को रखा जाता है। मैं नहीं कहता कि ऐसा होता ही है, लेकिन जनता में ऐसे भाव हैं कि ऐसा होता है और हमारे साथ बेइंसाफी होती है। अगर आज जितनी सर्विसेज हैं, यह सारी नौकरियां जो हैं वह सब पब्लिक सर्विस कमीशन से ही नियुक्त की जाय तो आधे से ज्यादा काम हम सदस्यों का कम हो जाय। न मालूम कितने आदमी सुबह से शाम तक हमारे पास नौकरी के लिए आते रहते हैं। हमारी दिक्कत यह है कि हमारी सिफारिश से तो कुछ होता नहीं, लेकिन अगर किसी की नियुक्ति किसी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या किसी डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर की सिफारिश से हो जाती है तो लोग आकर कहते हैं कि फलां साहब ने तो उसको नौकरी दिलवा दी और आप ऐसे ही कहते हैं। हम कितना ही कहते हैं कि भाई हमारी कुछ नहीं चलती, हम तो सोशलिस्ट हैं हमारी कौन सुनता है, हमारा नाम भी अगर सुन लिया तो निकाल दिये जाओगे, किसी कांग्रेस वाले के पास जाओ तब तुम्हारा काम बनेगा, लेकिन फिर भी लोग हमें परेशान करते हैं ऐसी हमारी दिक्कत है। सदन में जो और भाई बैठे हैं वह हमारी इस दिक्कत को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें जनता में यह विश्वास पैदा करना है कि अब सिफारिश नहीं चलती। जनता के लोग इस विषय में केवल सरकार पर ही आक्षेप नहीं करते, वरन् वह पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी आक्षेप करते हैं, जनता का ख्याल है कि वहां भी सिफारिश पहुंचती है गो कि विधान में इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि किसी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन या कोई भी मेम्बर अपनी ६ साल की अवधि को पूरा करने के बाद किसी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह प्राविजन विधान में इसीलिए रखा गया है कि सरकार के प्रभाव से आगे अच्छा पद मिलने के लालच में वह किसी की न सुनलें और किसी से प्रभावित न हो सकें। इसी कारण से यह धारा संविधान में रखी गयी है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर को कोई निकाल नहीं सकता, उसे केवल राष्ट्रपति ही मिसबिहेवियर के लिए निकाल सकते हैं, वह भी तब जब कि उसका रिफ्रेन्स सुप्रीम कोर्ट के लिये कर दें। इतनी बड़ी भारी ताकत हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरों को उनकी मजबूती के लिये बनाई गयी थी और वह इसलिये बनाई गई थी कि इसके ऊपर भी कोई असर न पड़े, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे सामने कोई मिसाल तो नहीं है, क्योंकि वह गैर जिम्मेदारी की बात होगी, लेकिन जनता के सामने यह बिलकुल साफ होना चाहिये कि हम बिलकुल पाक और साफ हैं :—

"Caesar's wife is chaste, is not enough but she must appear to be chaste also."

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि हमारे जितने सिविल आफिसर्स हैं उनकी सर्विसेज की स्टैबिलिटी रहे। हमें उन पर विश्वास पैदा करना है, लेकिन साथ ही हमें उन्हें यह भी बता देना है कि हमारी सर्विसेज को कोई भी दखल नहीं देना है चाहे कोई पोलीटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आवे। कल हमारे मित्र माननीय नाराणदत्त जी ने फ्रांस की बात कही है और हमने माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण भी सुना था कि फ्रांस की सर्विसेज की तरह हमारी सर्विसेज को भी होना चाहिये। वहां रोज नयी हुकूमतें आती हैं, लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। जो जिस तरह से अपनी गाड़ी चलाता है उसी तरह से अपनी गाड़ी चलाता जाता है। मैं यह तो मानता हूं कि जो सर्विस रूल्स हैं उनके अनुसार हमारी सर्विसेज को काम करने का अधिकार है। लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि जो कोई भी सर्विसेज में आये प्रदेश की जनता के ऊपर जो चाहे जुल्म करे वह निकाला नहीं जा सकता। यह ठीक नहीं है। सरकार को अधिकार होना चाहिये कि ऐसा व्यक्ति निकाला जा सके। इसलिये सर्विसेज को यह समझ कर

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

कि उनकी सिक्योरिटी है कोई यह न समझे कि जिस उद्देश्य के लिये है उसकी पूर्ति वह न करे तो फिर उनको सर्विसेज में दखल दिया जा सकता है। आज जो सर्विसेज में डिमारलाइजेशन आ गया है उसकी जिम्मेदारी हमी लोगों पर है, हमारी पोलीटिकल पार्टीज पर है, यह हो सकता है कि जब तक हम लोगों का चरित्र इतना ऊंचा न हो तो जरूर गड़बड़ होने का अन्देशा है चाहे सर्विसेज के लोग हों, चाहे विधायक हों और चाहे कमीशन के लोगों की बात हो, लेकिन फिर भी इसकी कोशिश तो करनी ही होगी कि हम लोग ऊंचे दरजे पर पहुंचे। आज हमारी सर्विसेज के लोग, जो सेक्रेटरीज हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वह जानते हैं कि वह निकाले नहीं जा सकते वह हमारे मिनिस्टर्स के पास पहुंचते हैं, डिप्टी मिनिस्टर के पास पहुंचते हैं और वहां कहते हैं "कहिये साहब आपकी राय क्या है" ताकि जो कुछ लिखा जाय वह उनकी राय के खिलाफ न हो। जो राय मिनिस्टर्स या पार्लियामेंट्री सेक्रेरीज की होती है वही फिर फायल में लिखी जाती है। मैं यह चाहूंगा कि हमारे मिनिस्टर्स में और हमारे डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज में गट्स हों कि वह इन नोट्स के खिलाफ कह दें कि हम तुम्हारे नोट्स से एग्री नहीं करते।

आजकल एक बीमारी एक्सटेंशन की चल गई है। जिनकी सर्विसेज पूरी हो जाती हैं उनके भी एक्सटेंशन्स होते हैं। दो तीन साल पहले से वह जड़ जमाना शुरू कर देते हैं कि उनको एक्सटेंशन दिलाया जाय और गवर्नमेंट इसके लिये यह तर्क देती है कि फलां आदमी बड़ा एफीशियेंट आदमी है और ऐसा आदमी नहीं मिल सकता और इसलिये इसका रहना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उसके रखने में कोई शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष——आप क्या फ्री स्पीच दे रहे हैं ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय——सिद्धान्तों पर मैं कह रहा हूं। इसमें जो लिमिटेशंस आफ फंक्शंस में जो जुरिस्डिक्शन दी हुई है उसमें एक्सटेंशन में पब्लिक सर्विस कमीशन दखल नहीं दे सकता। अगर एक साल का एक्टेंशन नहीं हुआ होता और वह जगह खाली हो गई होती तो पब्लिक सर्विस कमीशन उसकी नियुक्ति करता। इसमें लिस्ट में हैं :—

'It shall not be necessary to consult the commission in matters relating to extensions.

When it is proposed to reappoint the retired services of the crown temporarily:

(i) to a permanent post in the service from which he has retired, or

(ii) to a temporary post created as an addition to the cadre of the service from which he retired, or

(iii) to any other temporary post the duties of which are similar to those normally dicharged by members of that service.'

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कहीं यह किया गया हो। मेरा कहना तो यह है कि यह जो एक्सटेंशंस होते हैं मैं इनकी मुखालिफत में हूं। जब हमारे देश में इतने लोग बेकार पड़े हुये हैं, जो एक्सपर्टस हैं तो उनकी एडवाइस ली जाय। उनको आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी मुकर्रर किया जाय, कोई नई पोस्ट क्रियेट की जाय, लेकिन जो नीचे के लोग तरक्की की उम्मीद में बैठे हुये हैं उनको उस मौके से महरूम न किया जाय। इससे डिमारेलाइजेशन होता है। वे समझने लगते हैं कि पता नहीं हमारा कब प्रोमोशन होगा, क्योंकि ऊपर के लोगों को एक्सटेंशन मिल जाने का अन्देशा रहता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों को कह रहा हूं। ऐसा हो जाना चाहिये कि हम लोग इस मामले में बड़े निष्पक्ष हैं। लेकिन यह जो बीमारी है कि लोगों को रिएप्वाइंटमेंट मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाता है, इससे पेंशन में

तो असर नहीं होता, लेकिन तनख्वाह उन्हें वही मिलती है। तो इसमें नीचे के लोगों को प्रोमोशन नहीं मिल पाता। मैं इस ओर संकेत अवश्य कर देना चाहता हूं कि हमारे इस सदन की राय एक्स टेंशन और रिएप्वाइंटमेंट के बारे में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में एक शिकायत है। यह हो सकता है कि उन्होंने अपनी मजबूरियों की वजह से यह कहा हो कि २०० रुपये तक की सरविसेज उनके जूरिसडिक्शन से बाहर रहें और डिपार्टमेंट्स उनका रेक्रूटमेंट स्वयं कर लिया करें। इस वजह से हमारी बड़ी बदनामी हुई। सैकड़ों पोस्ट्स क्रियेट की गई। प्लानिंग डिपार्टमेंट में सैकड़ों पोस्ट्स क्रियेट की गईं। डिस्ट्रिक्ट इन्फारमेशन आफिसर की पोस्ट्स हुई। ये सब १५०,२०० की पोस्ट्स हैं और कमीशन ने लिख दिया कि २०० तक की जो पोस्ट्स हैं इनमें आप खुद एप्वाइंटमेंट कर सकते हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। नारायण दत्त जी ने जैसा कहा अगर कमीशन के पास कुछ काम ज्यादा हो, आदमियों की कमी हो तो वहां आदमी बढ़ा दिये जायं, लेकिन अपने सर से यह बला हटे और हमारे मंत्रीगण की बदनामी न होने पाये कि हमने फेवरटिज्म किया। कोई यह न कह सके कि ये एम० एल० एज० हैं जो अपने आदमी मुकर्रर कर लेते हैं। गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता। जहां भी आप जायेंगे यही चर्चा सुनाई देगी। अगर आप इम्पार्शियल हो जायं, जो आदमी इम्तिहान में पास हो वे लिये जाय तो बहुत अच्छा होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन पर डिपेंड करे किसे वे रखें और किसे न रखें।

एक बात और है जिसे देख कर दुख हुआ। ५४-५५ की रिपोर्ट को पढ़ा। कहा गया कि जो एग्जामिनीज आये हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा नहीं है। बहुत गिर गया है। उनको ऊंची क्वालिफिकेशन के आदमी नहीं मिल पाते हैं। इतना होने पर भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उनको रिकमेंड किया कि स्टैंडर्ड गिरा दिया जाय और एप्वाइन्टमेंट कर लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रदेश है और जिस उत्तर प्रदेश को देख कर अन्य प्रदेशों के लोग सबक लेते हैं सभी लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश की ओर लगी रहती हैं कि यहां क्या हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के प्रधान मंत्री हैं, यहां के चीफ मिनिस्टर डा० सम्पूर्णानन्द हैं जो बड़े विद्वान हैं यहां का स्टैंडर्ड किसी हालत में भी गिरना मुनासिब न होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष में बैठा हुआ हूं, कोई भी आक्षेप कर सकता हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि स्टैंडर्ड का जहां तक ताल्लुक है पब्लिक सरविस कमीशन से यह कहना कि स्टैंडर्ड गिरा दिया जाय और एप्वाइन्टमेंट कर लिया जाय मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। जैसा स्टैंडर्ड है वैसा ही रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--अभी आप कितना समय लेंगे ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय--करीब १५ मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष--१५ मिनट नहीं। और लोगों को भी बोलना है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--दस मिनट दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष--पांच मिनट में खत्म कर दें।

अब हम उठते हैं। सवा दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरकार के इस सुझाव को मान लिया कि २०० रुपये तक की जो नौकरियां होंगी उनका चुनाव, उनकी नियुक्तियां डिपार्टमेंट की किसी कमेटी के द्वारा हो सकता है और ऐसा

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

ही यहां पर किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि यह भी ठीक नहीं है और जैसा कि मैंने सुझाव दिया था कि अगर पब्लिक सरविस कमीशन के मेम्बरों में कुछ कमी है तो वह बढ़ाये जा सकते हैं ।

अब यह जो रिपोर्ट हमारे सामने है उपाध्यक्ष महोदय, उसे मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि वह सभी माननीय सदस्यों ने पढ़ रखी होगी । पर इसमें से कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और हर साल की रिपोर्ट में हम उसे पाते हैं । जब से हम लोग चुन कर इस विधान सभा में आये हैं यह पहला मौका है कि जब पब्लिक सरविस कमीशन की रिपोर्ट पर यहां कुछ बहस हो पाई है और मैं आशा करता हूं कि इस विधान सभा की जो राय उनकी रिपोर्ट पर है और विधान सभा के मेम्बरान पब्लिक सरविस कमीशन की कार्यवाहियों पर जो अपनी राय प्रकट करते हैं उसको आप पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भी पहुंचायेंगे और कांस्टीट्यूशन का उद्देश्य भी यही था कि पब्लिक सरविस कमीशन भी जान जाय कि प्रदेश की जनता के प्रतिनिधियों की इस मामले में क्या राय होती है कि जो रिपोर्ट वह सदन के सामने माननीय गवर्नर के द्वारा पेश करवाते हैं ।

एक शिकायत पब्लिक सरविस कमीशन को और है उपाध्यक्ष महोदय, वह यह कि उनका कहना यह है कि सरकार की ओर से कुछ पोस्ट्स एडवर्टाइज की जाती हैं और मान लीजिये कि १० पोस्ट्स एडवर्टाइज की जाती हैं । उसके लिये दरख्वास्तें भी काफी आ जाती हैं । जब चुनाव का वक्त आता है, उनकी नियुक्तियों का वक्त आता है तो उस समय डिपार्टमेंटल हेड्स लिखते हैं कि १० की जरूरत नहीं, अब पांच की ही जरूरत है । आप पांच ही छांटिये । तो जिनके प्रार्थना-पत्र आये हुये हैं उनके साथ भी यह बड़ा भारी अन्याय होता है । यानी लास्ट टाइम में, आखिरी वक्त में जब चुनाव का वक्त होता है उस समय पब्लिक सरविस कमीशन से यह कहना कि जितने आदमी पहले कहे थे उतने न छांट कर उनमें कमी कर दी जाय यह न्याय नहीं है, दोनों के साथ अन्याय है । क्योंकि अगर कहीं दो पोस्ट्स होंगी तो उपाध्यक्ष महोदय, प्रार्थना-पत्र भी बहुत कम आयेंगे । लेकिन जहां १० पोस्ट्स होंगी वहां प्रार्थना-पत्र बहुत आयेंगे । फिर उस पर फीस पड़ती है, लोगों को आना पड़ता है, इंटरव्यू के लिये आना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं । मैं सरकार से आशा करूंगा कि वह डिपार्टमेंटल हेड्स को ऐसी हिदायतें ईशू कर दें कि पहले ही सोच विचार कर इसका फैसला कर लिया करें कि कितनी पोस्ट्स के लिये वह आदमी चाहते हैं और जितनी पोस्ट्स के लिये पब्लिक सरविस कमीशन को कहा जाय कि छांटो, उसमें कमी न की जाय ।

एक बात और कही गई है कि डिपार्टमेंटल हेड्स अपने यहां लोगों को एप्वाइन्ट कर लेते हैं और पहले ६ महीना था लेकिन अब तो एक साल तक बिना कमीशन की स्वीकृत के ही उनको नियुक्त किये रहते हैं और कितने ही ऐसे आदमी सरकार नियुक्त कर लेती है । कितने आदमी इस तरह के नियुक्त होते हैं इसकी कोई खबर कमीशन को नहीं रहती । तो कमीशन ने एक सिफारिश की है और माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा है कि जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स जितने लोगों को अपने यहां इम्प्लाय करें, चाहे वह उनको ६ महीने रखें या १ साल तक वह चलें या दो साल तक वह रहें, उन सारे आदमियों की लिस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट या छमाही रिपोर्ट पब्लिक सरविस कमीशन को भेजें कि इतने आदमियों की नियुक्ति हमने कर रखी है, एप्रूवल हो या न हो, उस पर ही पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट दे सकेगा कि इतने आदमी जो आपने भरती किये थे इनका आपने जो टाइम मुकर्रर किया था उसके अन्दर आपने पब्लिक सरविस कमीशन से कनफरमेशन नहीं कराया और दिक्कत यह है कि बहुत सी पोस्टें ऐसी हैं जो परमानेंट हैं, बहुत दिनों से चली आ रही हैं लेकिन कन्फरमेशन नहीं होता है । जिन पर हमारे आफिसर्स खुश होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें कन्फरमेशन के लिये भेज देंगे । तो मैं चाहता हूं कि सरकार जितनी ऐसी पोस्ट्स, जो बहुत दिनों से चली आ रही हैं और परमानेंट हैं, लेकिन सिर्फ कन्फरमेशन के लिये रुकी हुई हैं उन्हें पब्लिक सरविस कमीशन से कनफर्म करा लेना चाहिये, क्योंकि अगली जो रिपोर्ट हमारे सामने आये उसमें ऐसी बातें पब्लिक सरविस कमीशन को देने को

न रहें कि जिससे सरकार का हमारी जो मंशा पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करने का है, जो हमारे कांस्टीट्यूशन का मंशा है, वह पूरा होता रहे क्योंकि यह लेजिस्लेचर सुप्रीम अथारिटी है। यह दोनों की, सरकार की टीका टिप्पणी कर सकती है और पब्लिक सर्विस कमीशन अगर कोई गलती करे उस पर भी टीका टिप्पणी कर सकती है। इसलिये जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन का संबंध है वह भी होशियार रहे और हमारी सरकार भी होशियार रहे, ताकि हमारे कांस्टीट्यूशन की जो मंशा है सर्विसेज के मामले में वह पूरी होती रहे।

अब जहां तक सर्विसेज के रूल्स का सवाल है कांस्टीट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि हमारे जितने आफिशियल्स हैं उन सब की सरविसेज के रूल्स बनाये जायं। हमारे सामने जो रिपोर्ट है उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि अभी बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैं जिनके रूल्स अभी तक नहीं बने हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज के रूल्स, जिनके नहीं बने हैं, या बनने हैं, बनाये।

एक बड़ी शिकायत जिसके बारे में नारायण दत्त जी ने कहा था अभी तक हमारे इतने बड़े प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन के पास अपना कोई हाल नहीं है जिसमें कि वह विद्यार्थियों का इम्तहान ले सके। कभी सिनेट हाल लेना पड़ता है, वह भी हमेशा नहीं मिलता। यह दिक्कत उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी है और इलाहाबाद में मैं समझता हूं कि बहुत सी बिल्डिंग ऐसी होती हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन को दी जा सकती हैं और न भी दी जायं तो करोड़ों रुपये का हमारा बजट है जहां हमारी सर्विसेज की शान का सवाल है, ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है वहां पर हमारे कमीशन का इम्तहान का हाल अवश्य होना चाहिये।

अब यों तो रिपोर्ट में बहुत सी लम्बी चौड़ी बातें हैं पर सिद्धांत की जो बातें थीं उनको मैंने रख दिया और मैं आशा करूंगा कि बजाय इसके कि रिपोर्ट पर ज्यादा बहस करें उसमें समय व्यर्थ नष्ट होगा, मैं अपने भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि प्रिंसिपल्स पर कुछ बातें ज्यादा करें तो हमारी कुछ समझ में आयेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमने पहली मर्तबा इस पर बहस की है, पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे विचारों का खयाल रखेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे इन विचारों का खयाल रखेगी और जो कांस्टीट्यूशन की मंशा है उसे पूर्ण करने की कोशिश करेगी।

श्री उपाध्यक्ष---मैं अगला भाषण प्रारम्भ होने के पहले सदन को यह सूचना दे देना चाहता हूं कि अभी ऐसी इच्छा प्रकट की गई है कि समय निर्धारित किया जाय। तो १५ मिनट का समय मैं निर्धारित करता हूं प्रत्येक वक्ता के लिये।

***श्री मोहनलाल गौतम** (जिला अलीगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही सुन्दर बात है जब कि एक ही दिन इसकी बहस के लिये हो तो बहुत से लोगों को मौका मिले। इसके लिये आपने १५ मिनट का समय दे दिया ताकि सब को बोलने का मौका मिल जाय।

यह दो साल की हमारे सामने जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट है यह अच्छा होता अगर इससे पहले ही सदन के सामने आयी होती और उस पर बहस मुबाहिसा हो गया होता, आज हमको यह दिखाई दे रहा है कि इसके बाद की जो रिपोर्ट है वह भी मेज पर आज रख दी गई है और यह उम्मीद है उस पर भी जल्द ही बहस इस सदन में होगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्विसेज का सवाल इन नई परिस्थितियों में, बदली हुई परिस्थिति में बहुत ही महत्व का हो गया। अब तक जब तक कि हम गुलाम थे, एक पुलिस स्टेट यहां पर थी, उस वक्त पब्लिक सर्विसेज का काम बहुत हल्का था लेकिन स्वराज्य मिलने के बाद और हमारे यह ऐलान करने के बाद कि यह एक वेलफेयर स्टेट होगा और उस तरफ कदम बढ़ाने के बाद सर्विसेज का काम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और महत्व का हो गया है। अब तक जिस तरह से नौकरियों में भर्ती हुआ करती थी और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

जिस तरह से आम अन्दाज था, लोगों को यही खयाल था कि सिफारिशों से चीजें होती हैं, जिसकी जानपहचान ज्यादा है वही नयी नयी और लम्बी-लम्बी नौकरियो पर जा सकता है। यह पुलिस स्टेट के लिये मुनासिब चाहे हो या न हो, इस पर बहस हो सकती है। क्या मैं आशा करूं कि चीफ ह्विप साहब जरा खामोशी से सुन लेंगे? तो अब तक पुलिस स्टेट के होते हुये पब्लिक सर्विसेज का काम कोई ज्यादा कठिन नहीं था जैसा मैंने अर्ज किया, लेकिन वेलफेयर स्टेट के होने पर जो काम बढ़ गया है वह किस तरह के लोगों को भर्ती किया जाय, किस तरह के लोग उसको भरती करने के लिये मुनासिब होंगे, यह सब चीजें कांस्टीट्यूशन में भी बहुत हद तक दी गई हैं और हम चाहते हैं कि रिवाज भी उधर हो ताकि उसमें कोई कमी न रह जाय। इस वक्त हमारे सामने जो रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम है, जिस तरह का वेलफेयर स्टेट बनाने के लिये प्लांस बन रहे हैं, देखना यह होगा कि क्या जो सर्विसेज भर्ती हो रही हैं वह इस नये बोझ को बरदाश्त कर सकेंगी? अब तक जैसा मैंने अर्ज किया कि पब्लिक सरविसेज का दायरा बहुत संकुचित था, बहुत थोड़ा सा काम उनके जिम्मे था, इसलिये एक खास तरीके से उनकी भरती हो रही थी और वह अपना काम निभा सकते थे, लेकिन जो काम उनके जिम्मे पहले था उससे अब काम बहुत बढ़ गया है। पहले किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आम तौर से इस तरह से बटवारा होता था कि पालिसीज मिनिस्टर कायम करेंगे, बनायेंगे, जनरल कंट्रोल मिनिस्टर्स का होगा और कहीं एक्सपर्ट ओपीनियन सरविसेज देंगी। अब तक ऐसा ही होता रहा, लेकिन देखना होगा कि क्या बदले हुये जमाने में जब कि इस तरह प्लानिंग, योजनायें, इस समय हमारे यहां इम्प्लीमेंट करने पर जोर दिया जा रहा है क्या सरविसेज एक्सपर्ट का काम इस वक्त कर सकती हैं, क्या उनको वह नेसेसरी ट्रेनिंग है कि जो जिम्मेदारी सरविसेज पर आमतौर से डेमोक्रेटिक सिस्टम में होती है वह जिम्मेदारी उठाने की अहमियत वह रखती हैं या नहीं? उसी के साथ साथ यह भी देखने की जरूरत है कि जो चुनने वाले हैं, वह किस खयाल से चुन रहे हैं। अब तक एक खास किस्म के आदमियों को चुनने की जरूरत थी, एक खास किस्म के आदमियों के चुने जाने की जरूरत थी। तो अब क्योंकि उनके फंकशंस बदलते जा रहे हैं इसलिये उसी तरह से चुनाव जो अब तक होता रहा, क्या वह सही है, या उसे कुछ बदलना होगा। कांस्टीट्यूशन में इसीलिये यह कहा गया है कि करीब करीब आधे तो ऐसे लोग हों जो दस साल गवर्नमेंट सरविसेज में रहे हों, जिनको ऐडमिनिस्ट्रेशन का तजुरबा हो और बाकी और हो सकते हैं। अब जिनको ऐडमिनिस्ट्रेशन का तजुरबा अब तक रहता था वह एक खास किस्म का तजुरबा रहा, वह एक खास किस्म के लोगों को भरती करने की काब्लियत रखते हैं। लेकिन क्या वह बदले हुये जमाने में उस तरह के नये लोगों के चुनने की काब्लियत रखते हैं जिनकी अब जरूरत है?

इसलिए कांस्टीट्यूशन में दिया गया है कि आधे लोग नान-आफिशियल होंगे। यह लफ्ज नहीं है, लेकिन यह कहना कि आधे करीब करीब, "ऐज मैनी ऐज हाफ" उसके माने यह हैं कि बाकी नान-आफिशियल होंगे। अब जब कि हमारे सूबे के पबलिक सर्विस कमीशन में ३ हैं, ज्यादा मुनासिब होगा कि काम भी बढ़ गया है, उनके ऊपर बोझ भी ज्यादा है तो आधे से ज्यादा सर्विसेज के आदमी उसमें न हों, जैसा कि इस वक्त है। क्योंकि वह जो दूसरे आधे होंगे उनमें अहमियत और काब्लियत होनी चाहिए कि सर्विसेज में जिस तरह के नये आदमियों की जरूरत है उनको चुनने की उनमें काब्लियत हो। इस लिए मेरा यह सुझाव है कि आधे आपके नान आफिशियल भी इसमें हों तो ज्यादा मुनासिब होगा। कांस्टीट्यूशन में यह भी दिया हुआ है और सही दिया हुआ है कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन में एक आदमी हो गया तो वह फिर चेयरमैन हो सकता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जा सकता है, लेकिन सरकार की किसी और नौकरी के काबिल वह नहीं रह जाता। क्यों? इसलिये की गवर्नमेंट के हाथ में उसको कोई लालच देने को बाकी न रह जाय। वह इस खयाल से न हो कि एग्जिक्युटिव कोई लालच देकर कोई गलत काम करा सके। इसलिए उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गयी है। इसका दूसरा पहलू क्या यह नहीं हो सकता कि रिटायर्ड आदमियों को भी

पब्लिक सर्विस कमीशन में न रखा जाय, क्योंकि बाद में लालच देना या पहले देना, दोनों गलत चीज हो सकती हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि पब्लिक सर्वेंट जिनकी ६साल मियाद रह जायं, क्योंकि ६ साल तक ये रह सकते हैं या ६० साल की उम्र तक रह सकते हैं, तो जिनके ६ साल रह जायं वह कहीं से सिलेक्ट करके भेज दिये जांय और ६ साल के बाद रिटायर्ड हों, जैसा कि दूसरे मुहकमे में रिटायर होते हैं। उनके लिए यह प्राइज पोस्ट के तौर पर न रह जाय कि उनको इनाम के तरीके पर पब्लिक सर्विस कमीशन में रिटायर होने के बाद चुना जाय। अगर यह हो जाय तो वह इस उम्मीद पर कि वह कोशिश करके पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर हो सकता है या खुशामद करके हो सकता है, नहीं रहेगा।

मेरा हरगिज यह मतलब नहीं है कि कोई ऐसा हुआ हो। मैं तो एक जनरल प्रिंसिपल की बात कह रहा हूं कि इस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन में न हो और अगर कोई ४९ साल की उम्र में पब्लिक सर्वेन्ट पब्लिक सर्विस कमीशन में ५–६ साल के बाद रिटायर कर जाय तो बहुत मुनासिब होगा और लोगों को यह खयाल होगा कि यहां करप्शन नहीं है। क्योंकि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर अप्वाइन्टमेंट में भी गलतफहमी हो जाय तो कहां जाकर हमारी नाव रुकेगी यह कहना मुश्किल है। फिर तो यह जो खयाल है जो कि पुलिस स्टेटस में आम तौर से था कि सिफारिशों से काम होता है इस खयाल को हम अभी तक दूर नहीं कर पाये। अब भी यह खयाल लोगों के दिमाग में है कि नौकरी बगैर सिफारिश के नहीं मिल सकती। कहीं भी जाइये हर महकमे में यही चीज दिखलायी पड़ती है। बल्कि दूसरे लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि मकान नहीं मिल सकता और भी चीजें नहीं मिल सकतीं। ऐसी दल दल में आज हम फंसे हुये हैं और इस दल दल से हमें निकलना है। हमारी बदकिस्मती यह है कि कहां तो आज हमारी सर्विसेज के ऊपर और जिम्मेदारी आ गई है और ज्यादा और अच्छा और बड़ा काम करने की जरूरत है और कहां यह है कि जो लोग देखते हैं वह इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पब्लिक सर्विसेज का स्टैन्डर्ड और इंटीग्रिटी घटती जा रही है। मैं यह चीज, प्लानिंग कमीशन ने जिसको आमतौर से मंजूर कर लिया था वही यहां पर बयान कर रहा हूं किसी बाजारू गप से नहीं कह रहा हूं। यानी प्लानिंग कमीशन ने इस बात को माना कि सर्विसेज की एफीशियेन्सी और इन्टीग्रिटी कुछ घटती जा रही है। यह हमारे लिये कुछ अच्छी बात नहीं है। कहां तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ी, काम हमारे ऊपर ज्यादा और स्टैन्डर्ड हमारा गिरता जाय यह हमारे लिये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर प्लानिंग करनी है तो उसके लिये आनेस्ट और एफिशेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन और सर्विसेज की जरूरत होगी। इस लिये इस खयाल को दूर करने की जरूरत है और इसके लिये मैं उम्मीद करता हूं कि इस सदन के सब सदस्य चाहे वे मामूली सदस्य हों, विरोधी दल में हों, चाहे ट्रेजरी बेन्चेज में हों अगर सब कोशिश करें तो मुझे उम्मीद है कि हम उस तरफ एक कदम बढ़ा सकेंगे। बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गयी है और अगर हम सिफारिशें कर करके यह इम्प्रेशन क्रियेट कर दें कि बगैर सिफारिश के कुछ नहीं चलता तो उससे हमको आगे आने वाले जमाने में बहुत ज्यादा नुकसान होगा।

एक साहब जब नये-नये मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक पुराने ऐडमिनिस्ट्रेटर से पूछा कि क्यों भाई, लोग सिफारिश कराने के लिये आयेंगे तो क्या जवाब दें। तो उन्होंने कहा कि अगर सच–सच कह देंगे तो तुमसे लोग नाराज हो जायेंगे यह कह दिया करो कि "आल राइट, आई विल सी टु इट, आई विल डू माई बैस्ट"। यह कहां का उसूल है? अगर एक साहब आये और कहें कि पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरा लड़का एपियर हो रहा है, उसकी आप सिफारिश कर दें और यह कह दिया जाय और वह लड़का कहीं हो जाय तो वह चौपाल में बैठ कर कहेगा कि वाह, क्यों न होता, मिनिस्टर साहब ने सिफारिश करने के लिये कह दिया था, उस इम्मार्टल एम० एल० एज० ने सिफारिश करने के लिये कह दिया था.

[श्री मोहनलाल गौतम]

तो अगर यह फिजां फैली तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन हम कहते यही हैं कि "आल राइट आई विल सी"। इस तरह से जो आज हम इस एटमासफियर को बनाने में मदद देते हैं कि हर काम सिफारिश से चलता है उसको मेरे खयाल में खत्म होना चाहिये और कोशिश होनी चाहिये कि यह कह दिया जाय कि भाई, अब सिफारिशों का काम नहीं है, यह चीज नहीं चलेगी।

अब तक सिविल सर्विसेज के ऊपर जो जिम्मेदारी थी उसको ही निभाने में अगर उनको दिक्कतें पड़ रही हैं तो आगे जो और जिम्मेदारी आयेगी वह कैसे निभा सकेंगे, यह सवाल हमारे सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि पब्लिक सर्विस के एप्वाइंटमेंटस में, उसके इम्तहानों में हमेशा यह खयाल रखा जायगा कि जनता पर यह असर पड़े कि अब सिफारिशों से काम नहीं चलता। मैं तो एक कदम और भी आगे जाऊंगा कि लोकल बाडीज में भी जिस [redacted] से आज कल रेकूटमेंट हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में भी अगर सिफारिशों का यह सिलसिला खत्म हो जाय तो अच्छा हो।

एक बात मैं कह कर बैठना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो रिटायर्ड आदमी होते हैं उनको एक और फायदा है कि उनको पेन्शन बदस्तूर और तनख्वाह उतनी ही जितनी कि नान-आफिशल्स को। अगर यह तजवीज मेरी मान ली जाय कि जिसको ६ साल सर्विस के रह गये हों उसको वहां भेजा जाय तो यह चीज नहीं होगी। वरना दिक्कत यह है कि रिटायर्ड आदमी को पेन्शन वैसी की वैसी और तनख्वाह उतनी ही जितनी कि एक दूसरे आदमी को जो अपनी प्रेक्टिस् छोड़ कर आता है, तो यह चीज कोई मुनासिब नहीं है। इस तरह से अगर इन उसूलों को खयाल मे रख कर इस फिजां को अगर हम दूर कर सकें कि सिफारिशों का जमाना अब नहीं रहा, अब मेरिट से और काब्लियत से भरती होगी तो बहुत बड़ा कदम हम आगे उठायेंगे और जिस तरह का मुल्क हम बनाना चाहते हैं उस तरफ जाने मे हम कामियाब होंगे। मैंने जो २–३ सुझाव दिये हैं मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट उन पर ध्यान देगी।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)––जनाब डिप्टी स्पीकर साहब हमारे सामने जो बहस आज पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्टस पर हो रही है मैंने भी उसे सुना। यह सच है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट यहां पर हमारे सामने पेश हुई है शायद वह इस भवन की मौजूदा जिन्दगी मे पहली दफा आई है और काफी देर से आयी है। हालांकि कांस्टीटयूशन में इसकी पाबंदी के अन्दर बतलाया गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट साल ब साल गवर्नर, राजप्रमुख तथा प्रेसीडेंट को जैसा कि मामला हो, पेश की जाय और यह इसलिये रखा गया है कि उस पर जल्द से जल्द बहस हो सके और आम लोगों का नुक्ते नजर गवर्नमेंट के सामने आ सके उसके मुताल्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नमेंट का रिश्ता रेगुलेट किया जा सके।

मैं उम्मीद करता हूं कि आयन्दा से इसकी रिपोर्ट वक्त पर आयेगी और गवर्नमेंट इस सिलसिले में पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखेगी कि वह अपनी रिपोर्ट वक्त पर भेजेगा ताकि उसका वक्त पर कंसीडरेशन हो सके, क्योंकि मामला खटाई में पड़ गया तो फिर कोई फायदा नहीं हो सकता है। मुझे १९५०–५१ और १९५१–५२ की रिपोर्ट पढ़ने के बाद सबसे बड़ा अफसोस हुआ और वह यह है कि कमीशन ने इस सिलसिले में इस बात का शिकवा किया है कि पब्लिक सर्विसेज में जो लोग उम्मीदवार आते हैं उनका स्टैन्डर्ड आफ जनरल नालेज दिन ब दिन गिरता जा रहा है। यह बात हम सब के लिये बड़े दुख की है और उसकी तरफ काफी तवज्जह देनी है। मैं तो यह चाहूंगा कि हमारा महकमा तालीम खासतौर से नोटिस ले और इस बात की कोशिश करे और स्टैन्डर्ड को ऊंचा उठाने के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या मिनीमम स्टैन्डर्ड कायम करने के लिये जरूर कुछ न कुछ करना चाहिये, वरना मुझे अंदेशा है कि कुछ अर्से के बाद हमारे पास जो इसकी रिपोर्ट आयेगी वह इससे भी ज्यादा मायूस होगी ।

एक मर्तबा एक ग्रेजुएट जो पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने गया था उससे सवाल किये गये । उनमें एक सवाल यह भी था कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन है तो उसका जो जबाव था वह बड़ा दिलचस्प जबाव था । उसने जबाव दिया कि श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम हैं । मुझे ताज्जुब है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में या हमारे कालेजेज में अब भी ऐसे तालिबेइल्म मौजूद हैं, जिनकी इतनी भी पब्लिक नालेज नहीं है । ऐसे तालिबेइल्मों को यह मौका मिले कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने पहुंचे और शायद ऐसा मौका भी मिल जाय कि वह सिलेक्शन में ले लिये जायं तो वह आ न्दा हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटर बने । यह हंसी की बात नहीं है, बल्कि बहुत सीरियस है, और मैं गवर्नमेंट से इतना ही कहना चाहूंगा कि वह इस सिलसिले में कुछ न कुछ कार्य अवश्य करे ।

पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो शिकवा और शिकायत की है उसमें एक कदम और आगे बढ़ा है । उन्होंने न सिर्फ शिकायत महकमे तालीम से की है बल्कि एक शिकायत यह है कि जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं वह स्टैंडर्ड को कीप अप नहीं करते हैं, बल्कि लोअर करने में मदद लेते हैं । यह बात तो बहुत ही सीरियस है और मैं गवर्नमेंट से ख्वाहिश करूंगा कि वह इसको देखे और इसका नोटिस ले और गवर्नमेंट को इस चीज को रोकने की पूरी-पूरी कोशिश करनी चाहिये ।

इसी पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में एक जगह पर मैंने यह चीज भी पढ़ी कि इंजीनियर्स के सेलेक्शन के सिलसिले में पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ सिफारिशें तथा अपने प्रपोजल्स भेजे थे । उनमें एक यह भी था कि कम्पल्सरी ग्रुप के पर्चे में हिन्दी को रखा जाय, लेकिन गवर्नमेंट ने और चीजों को तो मान लिया लेकिन इस चीज को एप्रूव नहीं किया । मैं समझता हूं कि हिन्दी पढ़ने की हमें पाबन्दी हो गई है और मैं इस बात को महसूस करता हूं कि अभी टैक्निकल नौलिज हिन्दी में नहीं आई है और अगर इसकी शुरूआत यानी बिगनिंग नहीं की जायगी तो यह चीज इसी तरह से चलती रहेगी और अफसरान भी इस तरफ रागिब नहीं होंगे कि वह हिन्दी को अच्छी तरह से सीख सकें ।

पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बात की तरफ तवज्जह दिलाई है । उन्होंने यह कहा है कि हमारा काम साल ब साल बढ़ता चला जा रहा है । और इसके सिलसिले में उन्हें इम्तहान के लिये काफी जगह की जरूरत होती है । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिनेट हाल भी उनको नहीं मिलता है और कोई जगह इम्तहान लेने के लिये इन्तजाम नहीं किया गया है तो ऐसी सूरत में उनकी ख्वाहिश है कि एक ऐसा हाल बनाकर उनको दिया जाय, जिसमें एक हजार उम्मीदवार बैठ कर इम्तहान दे सकें । मैं समझता हूं कि उनका यह प्रपोजल और उनकी यह मांग बिलकुल सही है । अगर हम चाहते हैं कि सही तौर पर इम्तहान हो और एफीशिएन्टली इम्तहान हो और सही तारीके पर काम हो तो हमें उनकी मांग को पूरी करनी चाहिये क्योंकि यह प्रपोजल तीन साल पहले किया गया और पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट के जरिये से बहुत इमारतें बनती जाती हैं । अगर हम उनका यह प्रपोजल मान लें और उनके लिये एक ऐसा हाल बनाकर उनको दे दे कि जिसमें एक हजार लड़के बैठ कर इम्तहान दे सकें तो यह उनका एक बिलकुल सही प्रपोजल होगा ।

जनाबवाला, पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक चीज की तरफ और भी हमारी तवज्जुह दिलायी है और वह यह है कि पिछले गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में तो इन इम्तहान के मुताल्लिक पूरी हिदायत दी हुई है और उसकी दफा २४१ में जनरल प्राविजन रिगार्डिग रिक्रूटमेंट

[श्री सुल्तान आलम खां]

एन्ड कन्डीशन्स आफ सर्विस के मुताल्लिक दिया हुआ था, लेकिन हमारे इस कांस्टीट्यूशंस में इस बात को लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दिया गया है कि लेजिस्लेचर अपने यहां से इन चीजों को पास करे, ताकि वह पब्लिक सर्विस कमीशन को गाइडेन्स के लिये हो सके। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमारा लेचिस्लेचर इस किस्म के कानून को जल्द से जल्द पास करे, ताकि उसके मातहत पब्लिक सर्विस कमीशन को गाइडेन्स के लिये मौका दे और सर्विसेज के लिये जो रूल्स वगैरह बने हुये हैं उनको फिर बनाने में मदद मिले। हमें इस बात का मौका है कि हम तमाम चीजों को दोहरायें और इस पर गौर करें कि जो हमारी कन्डीशन्स और रूल्स सर्विसेज के बारे में हैं उनके बारे में अगर कोई तरमीम हो सकती है इस लिये कि ज्यादातर रूल्स वह हैं जो अंग्रेजी सरकार के जमाने के बने हुये हैं उस गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के मातहत बनाये गये हैं जो कि अब आउट आफ डेट हो गये हैं। अब इस बात की जरूरत है कि हम "नये रूल्स बनाने की तरफ" जवज्जह करें और जब तक ऐक्ट लेजिस्लेचर के जरिये से पास न हो तब तक एफीशियेन्टली इस काम को नहीं कर सकते। जो हमारे एकाउन्ट के रूल्स हैं वह बहुत पुराने बने हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी इस बात को कहा है कि हमारे पास अकाउन्ट्स के रूल्स नहीं है तो उनके रूल्स बनने चाहिये। बहुत सी हमारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनके रूल्स साथ-साथ बनाये जा सकते हैं और जिनके इम्तहान भी साथ-साथ हो सकते हैं और जिनके जरिये से किफायतशारी भी हो सकती है और सर्विसेज भी एफीशियेन्ट हो सकती है, मैं समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो यह प्रपोजल दिये हैं यह जाहिर है कि वह प्रपोजल इस खयाल से नहीं दिये हैं कि जिसमें कोई ऐडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट पर एतराज हो, इसलिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक एडवाइजरी बाडी है और वह गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। जहां तक हो सके गवर्नमेंट को उसको मानने की कोशिश करनी चाहिये, क्योंकि वह प्रपोजल जो हमारे सामने रखे गये हैं वह इस काबिल हैं कि उन पर गौर किया जाय। मैं आगे और ज्यादा न कह कर सिर्फ इतना ही अर्ज करके बैठ जाता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन को वक्त पर रिपोर्ट सालाना के भेजने की कोशिश करनी चाहिये, ताकि वह वक्त पर हाउस में आ जाय और हम लोग उस पर गौर कर सकें और वक्त पर गौर के साथ कोई अपनी राय दें सकें और उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो सके तो ज्यादा अच्छा है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत जोरदार शब्दों में हमारे तिवारी जी ने इसको क्रिटिसाइज किया है। इसके अतिरिक्त बहुत गौर के साथ मैं उपाध्यय जी के व्याख्यान को भी सुनता रहा। थोड़ी देर तक तो वे अच्छी तरह से बोलते रहे लेकिन बाद में वे जल्दी-जल्दी बोलने लगे। अगर मैं इधर से उठकर उधर जाकर बैठ जाता हूं तो यह होता है कि बीच में इधर से उधर आते जाते रहते हैं और अगर न उठूं तो स्पीच को अच्छी तरह से सुन नहीं पाता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आयन्दा से वे तथा कुछ और माननीय सदस्य भी रुक-रुक कर बोलें तो साफ सुनाई दे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण जरा धीरे रुक-रुक कर बोलेंगे तो सुनने और समझने में आसानी होगी।

माननीय तिवारी जी ने बहुत सी कानून और कायदे की बातें कीं और बाल की खाल निकाली। मैं उनको इस बाल की खाल निकालने पर मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम अपने मामले को अच्छी तरह पेश किया। लेकिन मेरी प्रार्थना उनसे यह है कि अगर कायदे और कानून से काम किया जाय तो मामला चौपट ही हो जाय। कानून कायदा से तो एक इशारा होता है, उनके द्वारा हमें काम करने के लिये एक मदद मिलती है, काम में सहायता मिलती है, लेकिन अगर हम कानून को पकड़ कर ही रह जायं तो वह काम भी खराब हो जायगा। कुछ ऐसे मौके आते हैं जहां कानून की अत्यन्त आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं जब कि हमें दूसरी ही प्रकार से काम करना पड़ता है। मान लीजिये कि कहीं पर बाढ़ आ गयी और लोग भूखों मर रहे हैं और कानून के अनुसार बगैर मंजूरी के रुपया खर्च नहीं किया जा सकता। तो अगर फौरन रुपया खर्च नहीं किया जाता और मंजूरी आने की प्रतीक्षा की जाती है तो हजारों

लोगों के भूखों मरने का अंदेशा होता है । अब हमें देखना यह चाहिये कि अगर कोई काम जान-बूझ कर बेकायदा किया गया है अपनी पार्टी या निजी स्वार्थ के लिये किया गया है, तब तो हमको उसकी शिकायत होनी चाहिये और वह शिकायत जायज भी है । आप सभी लोग देखते हैं कि जो कानून खराब हैं उनको बदलने के लिये ही हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं कि अगर किसी कानून की शिकायत है तो उसको चेंज कर दें ।

अभी-अभी आपने देखा होगा कि एक प्रस्ताव के सिलसिले में उसको ठीक बात न समझते हुए भी प्रजा सोशलिस्ट वृन्द सरकार के खिलाफ खड़े हो गए । मेरी समझ में नहीं आता कि इससे पब्लिक ओपीनियन उनके माफिक कैसे होगी । आज हम उनसे यह पूछना चाहते हैं ।

अब गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि लड़के जिस दर्जे में इम्तहान देते हैं उनके पर्चों का उनको पता लग जाता है कि वे कहां गये हैं और फिर वहां पर सिफारिश पहुंचायी जाती है । हजारों लड़के इसी प्रकार से पास होते हैं । इसलिए दर्जा पास होने के बावजूद हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन में फिर उनका इम्तहान हो । ताकि धोखाधड़ी से सार्टिफिकेट हासिल करने वाले नाकाबिल लोग वहां न आने पायें ।

दूसरी बात यह है कि यही बात काफी नहीं है कि हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग सिफारिश न मानें । हमें खुशी है कि हमारे आफीसरान बहुत अच्छे हैं और सिफारिश नहीं मानते, लेकिन यही काफी नहीं है उनको यह भी करना चाहिये कि जिसका टेलीफोन जाय, जिसकी चिट्ठी जाय उसके लिये यह प्रकाशित किया जाय कि फलां-फलां आदमी ने फलां-फलां की सिफारिश की । अगर ऐसा हो जाय तो मैं समझता हूं कि सिफारिशें रुक जायेंगी । एक तरफ तो लोग कहते हैं कि सर्विसेज में अच्छे आदमी हों, लेकिन दूसरी तरफ लोग यह भी चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार और दोस्त लोग भरती हो जायं । जब स्पीच का मौका आयेगा तो स्पीच तो बहुत अच्छी देंगे, लेकिन जब काम पड़ जायगा तो स्पीच जाने कहां चली जायगी । इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम अच्छा हो, हमारी सर्विसेज अच्छी हों तो हमें भी अच्छा बनना पड़ेगा । इसलिये हमें ऐसे ऐसे रूल्स बना देने चाहिये कि अगर कोई आदमी सिफारिश करता है तो चाहे कितना ही बड़े से बड़ा आदमी हो उसके लिये लिखकर भेज दिया जाय कि फलां-फलां आदमी ने फलां-फलां आदमी की सिफारिश की । मैं समझता हूं कि इसके लिये इतना ही काफी होगा और अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी तो करप्शन दूर हो जायगा तथा हमारी जो दिक्कतें हैं वे भी दूर हो जायंगी ।

*श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर है कि मौजूदा सदन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट और शासन के स्मृति-पत्रों पर विचार कर रहा है । जिस देरी से यह विचार हुआ इसके लिये खेद तो सभी को होना चाहिये, लेकिन आज हमें संतोष भी है जब कि आज अपनी मेज पर सन् ५२-५३ के स्मृति-पत्र को जो सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया है देखता हूं और साथ ही जब हमको पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सन् ५२-५३ की मिली है । लेकिन शासन के स्मृति-पत्रों और पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को देखने के बाद हम इसी नतीजे पर आते हैं कि शासन और पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच गम्भीर मतभेद है । अब हमें देखना है और इसका निर्णय यही सभा कर सकती है कि सरकार ठीक रास्ते पर चल रही है या पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक रास्ते पर चल रहा है । सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पर शासन में त्रुटियां होती हैं वहां मैं यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी त्रुटियां हुई हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं कोई बात ऐसी नहीं दोहराऊंगा जो कि हमारे साथियों ने अभी यहां कही है । लेकिन जहां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

तक आयोग का प्रश्न है, मैं यह कह देना चाहता हूं कि कुछ शब्दों का प्रयोग कमीशन की तरफ से किया गया है। यह कमीशन को अधिकार है यदि सरकार या कोई संस्था या कोई व्यक्ति उसके अधिकारों पर आघात करता है तो कमीशन अपनी रक्षा कर सकता है और उसके लिये प्रोटेस्ट प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब सरकार ने डेवलपमेंट कमिश्नर के निजी सहायक की नियुक्ति के लिये सिफारिश की तो कमीशन ने उसकी विशेष योग्यता को देखते हुए स्वीकृति तो दे दी, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग कमीशन की तरफ से किया गया उन पर मैं विशेष आपत्ति प्रस्तुत करता हूं और वह आपत्ति यह है कि कमीशन को अधिकार था कि वह सरकार का ध्यान आकर्षित करता कि वह किसी तरह से संविधान का उल्लंघन न करे और किसी तरह से उनके अधिकार पर आघात न करे, लेकिन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो कि पृष्ठ १३ पर है, सरकार को चेतावनी भी दी है। जो सरकार को चेतावनी दी गयी है वह तीन चार शब्दों में ही है। वह यह है—"तथा चेतावनी दी कि ऐसी भूलें भविष्य में न हों।" यह उनको अधिकार था लेकिन अधिकार दूसरे रूप में था। पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसी संस्था है जो कि सरकार के अन्तर्गत ऐडवाइजरी बाडी के रूप में है। साधारणतः उनकी सिफारिशें मानी जाती हैं और माननी चाहिये, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन को सरकार को चेतावनी देने का मैं समझता हूं कि कोई अधिकार नहीं था। मैं माननीय पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों को आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि भविष्य में अगर कोई अपनी रिपोर्ट वे प्रस्तुत करते हैं तो कम से कम उसके शब्दों को देखें जो कि उसमें लिखे जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि इसके पहले कि मैं सरकार की आलोचना करूं मैं एक बात कमीशन के संबंध में और कह देना चाहता हूं और वह बात कह कर मैं कमीशन की आलोचना समाप्त कर दूंगा। सन् १९५१-५२ की रिपोर्ट जो कमीशन की है उससे पता लगता है कि सरकार ने १९ डिप्टी कलेक्टरों को नियुक्ति के लिये विज्ञापन कराया जिसमें ५ सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिये रिजर्व थीं। कमीशन ने ६ उम्मीदवार छांटे और सरकार को सिफारिश की कि नम्बर १ से ५ तक के उम्मीदवार जो हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट की तरफ से डिप्टी कलेक्टर बनाया जाय, सरकार के पास वह रिपोर्ट आती है और जब वह देखती है कि नं० १ का जो उम्मीदवार है वह शेड्यूल्ड कास्ट का नहीं है तो सरकार ने कहा कि इस नं० १ को न लेकर नं० २ से नं० ६ तक के जो पिछले ५ उम्मीदवार हैं उनको ले लिया जाय। कमीशन ने इस बात पर आपत्ति की और सरकार को दुबारा लिखा कि ६ठे को न लेकर जो फर्स्ट है उसी को लेना चाहिये। मुझे खेद है कि बड़े-बड़े विद्वान वहां के माननीय सदस्यगण हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी सरकार को लिख दिया कि पहले वाले को लिया जाय, हालांकि सरकार ने लिख दिया था कि जो पहले नम्बर का आदमी है वह शिड्यूल कास्ट का नहीं है। इस तरह से कमीशन को न करना चाहिये था। सरकार ने यह भी लिखा था कि सरकार की नीति है कि शिड्यूल कास्ट को संरक्षण दिया जाय और उसकी पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि नम्बर १ को छोड़कर छठे को लिया जाय, छठे लड़के के लिये सरकार की तरफ से यह दलील भी दी गई कि उसके पांचवें लड़के से कुछ ही नम्बर कम हैं और अगर बाद में परीक्षण काल में वह अपने को सफल सिद्ध नहीं करेगा तो हटाया भी जा सकता है, लेकिन कमीशन ने जिद्द की, चाहे यह उनकी सिफारिश हो या जिद्द हो सरकार ने उसको नहीं माना और उनकी सफारिश को ठुकरा दिया। साधारणतः तो सरकार उनकी सिफारिशों को मंजूर ही करती है और मैं समझता हूं उसे मंजूर करना चाहिये और अगर वह उन की सिफारिशों को मंजूर नहीं करेगी तो जनता उसकी आलोचना कर सकती है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि विशेष परिस्थिति में जो कुछ सरकार ने किया वह ठीक ही किया। यह मैंने एक उदाहरण दिया कि कभी-कभी गलतियां कमीशन के द्वारा भी हुई हैं। आज हम यहां सरकार की सराहना और आलोचना जहां कर रहे हैं वहां हम पब्लिक सर्विस कमीशन की भी टीका-टिप्पणी कर रहे हैं और हमें आशा है कि हमारी इस आलोचना और टीका-टिप्पणी से सरकार और कमीशन दोनों ही गाइड होंगे।

अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा सरकार से भी कहना चाहता हूं कि नियुक्तियां कराते समय सरकार को देखना चाहिये कि हमारे प्रदेश में जिस प्रोसीजर से नियुक्तियां हो रही हैं, उस के बारे में जनता के दिमाग में यह चीज है और यह आवाज हमें सुनने को मिलती है कि नियुक्तियों के संबंध में शासन के मस्तिष्क में स्थिरता होनी चाहिये। इस संबंध में मैं दो मिसालें इसी रिपोर्ट से दूंगा। जब सरकार ने कमीशन को आर्डर या सिफारिश की कि अमुक डिप्टी डायरेक्टर आफ पंचायत को रख लिया जाय तो कमीशन ने यह कह दिया कि इसका विज्ञापन होगा और अगर अमुक व्यक्ति जिसको आप रखना चाहते हैं योग्य समझा जायगा तो जरूर लिया जायगा, लेकिन जब सरकार के पास ऐसा जवाब आया तो सरकार ने कमीशन को लिख दिया कि आप जो विज्ञापन की कार्यवाही कर रहे हैं या जो प्रबन्ध सेलेक्शन का हो रहा है उस को बन्द कर दिया जाय, अब हम बाहर से किसी को नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, जो कुछ सरकार ने विशेष परिस्थितियों में किया ठीक किया। मैं उसकी आलोचना नहीं करता, लेकिन सरकार को समझना चाहिये कि एक बार उस ने कमीशन को लिखा कि अमुक व्यक्ति को लिया जाय और कमीशन ने विज्ञापन की बात की तो फिर सरकार ने जिद्द की जैसा कि शब्दों से प्रतीत होता है। हो सकता है कि सरकार ने किन्हीं खास परिस्थितियों में ऐसा किया हो, लेकिन साधारण जनता तो इस बात को नहीं समझती, जिसकी जानकारी इस विषय में नहीं है। हमें तो उस जनता को विश्वास दिलाना है अगर यह वाकयात जनता के सामने जाते हैं तो देखना यह है कि वह इसका क्या मतलब निकालेगी, वह तो यही मतलब निकालेगी कि सरकार एक अमुक व्यक्ति को रखना चाहती थी, कमीशन ने नहीं माना, इसलिये सरकार ने कमीशन को रोक दिया। अब चूंकि समय अधिक नहीं है मैं और केसेज नहीं बताऊंगा। यह मैंने उदाहरण के लिये आपके सामने प्रस्तुत किया और इसी को देकर मैं इस प्वाइन्ट को समाप्त करता हूं।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं हालांकि कुछ हद तक दूसरे विभागों के बारे में कहा गया है, लेकिन मैं उसी विभाग को लूंगा जिसके बारे में किसी माननीय साथी ने नहीं कहा है। सन् ४७ के बाद मैं ने देखा कि एक्साइज विभाग में कम से कम ७० एक्साइज इंस्पेक्टर लिये गये, जिनमें से ४० ऐसे थे जिनके पास रिक्विजिट योग्यता भी नहीं थी, उम्र में भी ज्यादा थे और शिक्षा भी इंटरमीडिएट की नहीं थी, लेकिन फिर भी कमीशन ने लिखा है कि शिथिलता क्यों बरती गई और उम्र और शिक्षा की जो शर्त थी उसमें ढील क्यों की गई, इसका जवाब एक्साइज कमिश्नर ने नहीं दिया। बाद में उन्होंने फरमाया कि उसको घटाने की जरूरत नहीं है मुमकिन है निकट भविष्य में हम इनको निकाल दें। लेकिन आज तक वह एक्साइज इंस्पेक्टर्स चले आते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि जहां ७०-७० उम्मीदवार हों वहां जिनमें न शिक्षा की योग्यता हो और अवस्था भी ज्यादा हो तो कैसे ले लिये जाते हैं। मैं इस तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे ऐसे विभागीय अध्यक्षों के खिलाफ कार्यवाही करें जिनके खिलाफ ऐसी शिकायतें हों, क्योंकि वे जब कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं उन पर ध्यान देते हैं तो ऐसी कार्यवाही भी होनी चाहिये, जिससे जनता का हमारी सरकार में विश्वास हो।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के चीफ इंजीनियर ऐलेक्ट्रिसिटी की नियुक्ति होने वाली थी। कमीशन ने दो व्यक्तियों की सिफारिश की। एक व्यक्ति आउटसाइडर थे और दूसरे स्थानीय। मैं आउटसाइडर का मतलब समझता हूं इस प्रदेश के बाहर का आदमी। हमारी सरकार ने नम्बर दो वाले को ले लिया और नम्बर १ को नहीं, क्योंकि वह बाहरी था। मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी के तर्क से सहमत हूं कि बाहरी आदमी होने के नाते कम से कम लिखित रूप में तो यह नहीं कहना चाहिये था कि चूंकि बाहरी आदमी है इसलिये नहीं लिया गया। आर्टिकल १६ संविधान का है वह कहता है:—

> "केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जयगा।"

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

तो मैं समझता हूं कि सरकार की पालिसी होनी चाहिये कि हमारे प्रदेश वालों को स्थान होना चाहिये, लेकिन अगर हमारे प्रदेश के लोग छंट जाते हैं तो दूसरे प्रदेशों के आदमियों का भी ख्याल हमको करना चाहिये, लेकिन इस तरीके से आउटसाइडर होने के नाते लिखित रूप में यह चीज आ जाय यह ठीक नहीं है। जो संविधान है उसका कम से कम इससे उल्लंघन होता है ।

कल माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाय। मैं जानना चाहता हूं कि सदस्यों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता क्या है ? रिपोर्ट में कहा गया है कि सन् १९५१-५२ में १२७ सिटिंग्ज हुईं और करीब-करीब ६० दिन इम्तहान हुए। बम्बई प्रदेश में इसके मुकाबले में ५१-५२ में १९७ बैठकें हुईं। इसके अतिरिक्त हमारे यहां खर्चा करीब साढ़े चार लाख है, जब वहां ढाई लाख के करीब है। तो जो काम होता है वह आम तौर से नीचे के स्टाफ से होता है। अगर काम का बोझ अधिक है तो स्टाफ बढ़ाया जा सकता है न कि सदस्यों को। मैं तो समझता हूं कि हमारे देश में बम्बई की मिसाल को छोड़ दीजिये लेकिन कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां दो सदस्यों से ज्यादा हों।

मैं एक सुझाव और दे देना चाहता हूं कि जब तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हो तो कम से कम उनसे यह रिक्वेस्ट की जाय कि डिटेल्ड रिपोर्ट होनी चाहिये कि कितने प्रार्थना-पत्र आए, कितनों को लिया गया, कितने सेकिंड डिवीजनर्स थे, कितने फर्स्ट डिवीजनर्स थे, कितने की तरक्की हुई थी, कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स के थे, कितने सवर्ण थे और यह और भी जरूरी है। अभी सरकार को जरूरत नहीं है कि बैकवर्ड क्लासेज की संख्या कितनी है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि समय आने वाला है जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को या हमारी सरकार को यह पता अच्छी तरह से लगाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक साल में पता लगाया कि कितने बैकवर्ड क्लास के हैं। सरकार को यह भी मालूम करना चाहिये कि कितनी संख्या बैकवर्ड क्लास की है। कमीशन उनकी संख्या नहीं देता। बाद में सरकार को काफी कष्ट होगा। कष्ट इस प्रकार का होगा कि उन्हें अपने विभागीय अध्यक्षों से कहना होगा कि इसको तलाश करें। काफी समय खर्च होगा। रुपया खर्च होगा। उस पर अभी से तैयारी होने लगे तो अच्छा होगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, इस रिपोर्ट पर कल से विवाद चल रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना क्यों होती है हम सब लोग इसमें एकमत होंगे कि तमाम सरकारी नौकरियों में पक्षपात, कुनबापरस्ती, राजनैतिक दलबन्दी के आधार पर नियुक्तियां न हों और जो राजकीय सेवाएं हैं उन पर अच्छे, ईमानदार, कर्मठ, कुशल व्यक्ति छांट कर रक्खे जायं, जिनके बारे में किसी को शक व शुबहा न हो। श्रीमन्, हमने बहुत ही गम्भीरता के साथ गत वर्षों ५०-५१ और ५१-५२ की रिपोर्ट को देखा है। मैं समझता हूं कि यदि माननीय मुख्य मंत्री जी भी उस रिपोर्ट को शांत चित्त और गहराई से अध्ययन करेंगे तो इस नतीजे पर जरूर आयेंगे कि जिन सेवाओं और पदों पर आज नियुक्तियां हो रही हैं उस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि बिलकुल निष्पक्ष भाव से नियुक्तियां हो रही हैं। मैंने एक पूरा ब्यौरा इन दोनों रिपोर्ट्स पर तैयार किया है। अगर उन पन्नों को खोल कर देखा जाय तो हर जगह कमीशन की ओर से शासन की गतिविधि पर आपत्ति उठाई गई है और जो चीज जवाब में हम लोगों के सामने प्रस्तुत की गई है उसका भी अगर अवलोकन किया जाय तो भी कमीशन के द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान समुचित रूप से नहीं होता। अगर पहला ही पेज देखा जाय तो जो परिस्थिति स्तर की है उसका वह दिग्दर्शन कराता है। स्तर के बारे में कमीशन ने यहां तक लिखा है कि नैतिकता व कार्यकुशलता का पतन हुआ है। सरकार की ओर से यह बात कही जा सकती है कि यदि परीक्षा देने वालों में या जिनकी साक्ष्यता होती है कमीशन के सामने उन लोगों में नैतिकता व कार्यकुशलता की कमी है तो सरकार की जिम्मेदारी कैसे होती है। मैं

निहायत अदब से यह कहना चाहता हूं कि यदि प्रांत के विद्यार्थियों में, प्रांत की नियुक्तियों में, प्रांत के सामान्य नागरिकों में नैतिकता व कार्यकुशलता की कमी होती है या उनका पतन होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर ओढ़ना चाहिये,क्योंकि सरकार आज शिक्षा के जिस ढांचे को चला रही है वह ढांचा ही ऐसा है जिसमें कि अच्छे, योग्य और कर्मठ देश के नागरिक पैदा नहीं हो पा रहे हैं। सरकार को पब्लिक सर्विस कमीशन की यह रिपोर्ट एक चुनौती के रूप में लेना चाहिये और सरकार को शिक्षा के ढांचे में आमूल परिवर्तन करना चाहिये। जब मैं इस स्मृति-पत्र को देखता हूं तो मुझे यह बात कहीं भी दिखायी नहीं पड़ती कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नैतिक पतन और कार्यकुशलता के पतन की ओर संकेत किया गया है उस पतन के उत्थान के लिये सरकार की ओर से कौन सा कदम उठाया जाने वाला है। श्रीमन्, यदि नैतिक और कार्यकुशलता के पतन की बात को छोड़कर हम आगे चलें तो उस ओर भी अगर पेज तीन को देखा जाय तो उसमें शासन में और शासन के विभागों में अस्थायी नियुक्तियों पर, असाधारण समय में होने पर स्वीकृति की मांग और इसकी विषद व्याख्या की गयी है। इसके उदाहरण भी दिये गये हैं कि किस धांधली और किस मनमाने ढंग से ऐसी नियुक्तियां कर ली जाती हैं और ऐसे असाधारण विलम्ब के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति की मांग होती है। श्रीमन्, इसके बारे में भी स्मृति पत्र में जो सफाई दी गई है मैं सम्मानित सदस्यों और खासकर मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो बात वह समझते हों उसी को हमेशा सत्य के रूप में यदि समझाने की कृपा करेंगे तो ज्यादा अच्छा न होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस पर भी आपत्ति की है। यह हमारी आपत्ति नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन की आपत्ति है। अगर पेज चार को देखेंगे जहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने हिन्दी को एक मान्य विषय के रूप में मानने की सिफारिश की है। हमने स्मृतिपत्र में इस बात को नहीं देखा कि सरकार इसकी तरफ क्या कदम उठा रही है। अगर इसी तरह से श्रीमन्, आज चाहे वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट के निजी सहायक का मामला हो, चाहे वह ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर के निजी सहायक के पद का मामला हो, यदि कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी जाय तो सब में असंगतियां पायेंगे और वह असंगतियां ऐसी हैं जो कि सरकार के ऊपर लांछन लगाती हैं। श्रीमन्, मैं नाम लेकर उदाहरण नहीं देना चाहता,वरना जिन पदों के बारे में,जिन सेवाओं के बारे में कमीशन ने संकेत किया है, यदि उन व्यक्तियों को सामने रख कर के देखा जायगा तो उनका रिश्ता किसी न किसी जिम्मेदार शासक से मिलेगा, श्रीमन्, दसवें पेज में सूचना विभाग में कई नियुक्तियां हुई हैं, जिसकी कहीं चर्चा नहीं की गयी और उस संबंध में जब कि कमीशन की ओर से उसके बारे में कुछ पूछा जाता है तो उत्तर भी नहीं दिया जाता। इसी तरीके से हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी गवर्नमेंट हैंडमेड पेपर फैक्ट्री के मैनेजर के बारे में यहां पर संकेत किया था। उसके बारे में कमीशन ने जो आपत्ति की है वह केवल एक व्यक्ति की आपत्ति नहीं समझी जानी चाहिये बल्कि वह एक प्रणाली की आपत्ति समझी जानी चाहिये। एक मैनेजर के पद पर काम करने वाला व्यक्ति है। वह हटाया जाता है। उसके ऊपर खास गम्भीर आरोप लगाये जाते हैं। मगर उस व्यक्ति को दूसरे बड़े पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। कमीशन कहता है कि यदि उसके पुराने लगाये हुये आरोप गलत थे तो उसको उसी पद पर रखना चाहिये था। उसकी पदोन्नति कैसे कर दी गयी। मगर यहां पदोन्नति कर दी गयी और उनको आकूपेशनल इंस्टीट्यूट, लखनऊ के वर्कशाप सुपरिन्टेंडेंट के रूप में सुशोभित करा दिया गया। मामला तो एक, मगर इससे देखा जाय तो क्या नतीजा निकलता है? नतीजा यह निकलता है कि यदि कोई शासन का कर्मचारी किसी गबन के मामले में, किसी हिसाब-किताब के मामले में या ऐसे किसी गम्भीर आरोप में किसी स्थान से हटाया जाता है और यदि वह किसी मंत्री विशेष या किसी सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी से संबंधित होता है तो उसके लिये नये नियम और नयी प्रणाली लागू कर दी जाती है और इतनी मनमानी की जाती है कि जो सामान्य नियम हैं उनकी कोई चिन्ता नहीं की जाती। जो आरोप हैं उनको गलत साबित करके उसको और ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर

[श्री राजनारायण]

दिया जाता है । श्रीमन्, १९४६ का मामला इस सदन में बार-बार उठा है । सन् १९४६ में जब नियुक्तियां हुयी थीं, उनमें एक व्यक्ति तो एल० टी० भी पास नहीं था, उसकी आयु भी निर्धारित आयु से कम थी लेकिन वह सहायक सुपरवाइजर, सेरामिक्स के रूप में रख लिया गया । कोई भी उत्तर सरकार की ओर से स्मृतिपत्र में नहीं मिला , उस व्यक्ति का नाम लेना आवश्यक नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी और दूसरे सम्मानित सदस्य उसको जानते भी होंगे और उसकी नियुक्ति क्यों हुयी थी यह भी उन लोगों को जानकारी होगी, न हो तो स्वतः कर सकते हैं और यह नाचीज राजनारायण से पूछना चाहेंगे तो यह भी करा सकता है । इसके पेज १५ पर जो एक हरिजन सहायक अधिकारी के पद पर जो एक गैर सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति हुयी है उसके विषय में देखा जाय । कमीशन को आपत्ति थी, उसका क्या समुचित उत्तर सरकार की ओर से जाता है ? उत्तर देना तो एक बात होती है । कत्ल करनेवाला भी अदालत में जाकर अपनी सफाई देता रहता है । हमको वह परिपाटी नहीं चलानी चाहिये कि जब कि हम को सारे प्रान्त में एक स्वच्छ और सुन्दर ढांचा चलाना है, जैसा कि माननीय मोहन लाल जी गौतम ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य बनाना है । ठीक है, कल्याणकारी राज्य बनाना है और बना है, इन दोनों में बड़ा फर्क है । मैं उनकी बात को अच्छी तरह से सुन रहा था । उन्होंने कहा कि बनाना है तब तो मैं समझता हूं कि यह जो कार्य हो रहे हैं यह कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये अवांछनीय ही होंगे । कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये तो हमें इन तमाम बातों को विचार कर एक बढ़िया कदम उठाना पड़ेगा ।

श्रीमन्, १९४८–१९४९ में कृषि कालेज, कानपुर में प्रोफेसर की जगह के लिये पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये एक सरकारी कर्मचारी को अयोग्य घोषित किया गया , उसके मामले को पुनः शासन की ओर से विचार करने को भेजा जाता है । कोई उसमें कारण नहीं बताया जाता है कि इस व्यक्ति में क्या विशेषता है, लेकिन शासन की ओर से उसका मामला विचार के लिये पुनः भेजा जाता है और उसको हटाया नहीं जाता । कमीशन ने जब दुबारा लिखा कि नहीं वह अयोग्य है और उसको हटाया जाय, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और ऐसे लोग काम करते रहते हैं । १६ वें पेज में सबार्डिनेट एजूकेशन सर्विसेज में गवर्नमेंट नार्मल स्कूल्स के हेड मास्टरों का चुनाव हो चुका । १७ महीने के बाद कमीशन को यह मामला भेजा जाता है । साधारण तरीके से ६ महीने या साल भर का मामला तो समझ में आ सकता है । लेकिन यह १७ महीने का मामला शायद मुख्य मंत्री जी भी उचित न समझेंगे जैसा कि मैं समझता हूं। मैं माफ किया जाऊं, श्रीमन्, आप दो चार मिनट और बढ़ा दीजिये । श्रीमन्, इस रिपोर्ट का पेज १७ देखिये । उसमें लिखा है कि जो २१ दिसम्बर, १९४८ को बैठक हुयी थी और उसमें जिन नामों की सिफारिश हुयी थी उसकी सारी की सारी फाइल गायब हो गयी और उसके बाद २१ दिसम्बर, १९५० में जब फिर दूसरी बैठक ११ मार्च को हुयी तो कमीशन को यह बताया तक नहीं गया कि दूसरी बैठक हुयी थी और उसमें भी उन लोगों के नामों पर विचार हुआ था । तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सारी की सारी बातें आज पक्षपात के रूप में, कुनबापरस्ती के रूप में, दलगत राजनीति के रूप में होती चली जा रही है । मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने व्यक्ति विशेष के जो गुण हैं उनका परिचय दें और जब इस तरह की धांधली हो रही है और इस प्रकार की बातें हो रही हों उस समय उनको सुधारने की व्यवस्था करें वरना इस सदन में इस तरह से सफाई देने से काम नहीं चलेगा ।

कुछ लोगों को इनाम भी बांटा जाता है अच्छा काम करने के कारण, मगर वह इनाम बांटने की परिपाटी क्या है? अगर वह अफसर बढ़िया काम करेगा उसको इनाम मिलना चाहिये । मगर अपने किसी उच्च अफसर की गुड बुक्स में नहीं है । किसी निजी कारणवश तो उसका मामला गोल कर दिया जायगा । मैं यह भी चाहता हूं कि ऐसे मामले कमीशन के पास जाने चाहिये कि किन-किन लोगों को क्यों इनाम मिलता है । मुझे अभी रामनारायण त्रिपाठी जी

ने एक बहुत लम्बा पर्चा भेजा है जिसमें उन्होंने बहुत सी बातों का वर्णन किया है कि कुछ ऐसे अफसरान जिनको कि समुचित रूप से पुरस्कार प्राप्त होना चाहिये था कायदे के मुताबिक मगर वह नहीं हो पाया है ।

श्रीमन्, इसी के साथ अब यह लाल बत्ती जल गयी है, जो हमारे कांस्टीट्यूशन में पब्लिक सर्विस कमीशन में एप्वाइन्टमेंट की बात है उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आधे अफसरों की नियुक्ति करना तो हमारे कांस्टीट्यूशन में लिख दिया गया, मगर जो उसके आधे मेम्बरान हों वह कैसे हों, उन सदस्यों के लिये भी कोई ऐसी यहां पर व्यवस्था होनी चाहिये, जिनके ऊपर कोई उंगली न उठा सके । जिनके बारे में यह न कह सके कि चूंकि स्पीकर के पद से हटाये जाने वाले थे इसलिये इनको फलां स्थान दे दिया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन में । ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये । अगर इस तरह की धारणायें बनती जायंगी तो मैं श्रीमन्, यह निश्चित रूप में आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी और सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हम निष्पक्षता की बात करते हैं सर्विसेज में वह नहीं हो पायेगी । माननीय रामनारायण जी की तरफ से एक मिसाल दी गई । कुछ अमरीका का हवाला दिया गया, इंगलैन्ड का दिया गया, फ्रांस का दिया गया । इंगलैन्ड और अमरीका के सिस्टम में बड़ा फर्क है, मगर ये हवाले दे करके हमारा काम नहीं चल सकता । "Do unto others what you would be done by" दूसरों से जिस तरीके का व्यवहार पाने की बात आप सोचें उसी तरीके का व्यवहार आप दूसरों के साथ करें । इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन में स्वच्छता हो और जो उसके सुझाव हों या नियम उपनियम हों उनको माना जाय ।

एक बात कमीशन ने और कही है अपनी रिपोर्ट में, कई ऐसी सेवायें हैं जिनके लिये कोई नियम ही नहीं बनाये गये, जैसे सबार्डिनेट इंडस्ट्रीज सर्विस, सबार्डिनेट जेल, केन ट्रांसपोर्ट और बस डिपार्टमेंट, राज्य विधान मंडल सचिवालय इन सब के बारे में हैं । इनके बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कोई अभी तक समुचित नियम नहीं बन पाये हैं । ऐसे नियम बनने में क्यों देर होती है ? इनके बारे में भी होने चाहिये नियम और . . . . .

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सिद्धांततः सही है और इसके सम्बन्ध में दो रायें नहीं हो सकती हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकार जो हैं वे सुरक्षित रखे जायं और उनके अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार की बाधा न आनी चाहिये और उनके अधिकारों का अपहरण करना यह सदैव के लिये हानिकारक प्रतीत होगा । मान्यवर वह हस्तक्षेप चाहे सरकार द्वारा हो, चाहे किसी विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा हो या किसी भी कोने से हो, कहीं से भी हस्तक्षेप किया वह सर्वथा अनुचित है । श्रीमन्, इसके साथ यह भी भूलना उचित न होगा कि बहुत सी परिस्थितियां हैं, जब कि सरकार कमीशन के अंतिम निर्णय के लिये अपने फैसले को रोक नहीं सकती है । यह भी सच है कि बहुत से टैम्पोरेरी अप्वाइन्टमेंट्स करने होते हैं और बाद को पब्लिक सर्विस कमीशन के पास वह निर्णय भेजा जाता है और उनकी मंजूरी ली जाती है । यह कहना कि हर परिस्थिति में सर्विसेज के हाथ बांध दिये जायं जब तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन का फैसला न हो जाय, यह ऐडमिनिस्ट्रेशन में सम्भव नहीं है ।, मान्यवर, यह भी कहा गया है कि बहुत से केसेज में आयु का प्रश्न जो था या उसकी जो लिमिट थी वह भी वेव आफ कर दी गयी यानी वह नियम जिनका पालन करना आवश्यक था, अनिवार्य था, उनका भी पालन नहीं हुआ आयु के सम्बन्ध में । श्रीमन्, यह करना उचित न था परन्तु साथ ही साथ यह भी न भूलना चाहिये कि बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर एज लिमिट बढ़ाई जा सकती है या उसके बढ़ाने में कोई महान् आपत्ति न होनी चाहिये, क्योंकि यदि कोई पुरुष या कोई भी अधिकारी किसी विशेष योग्यता को रखता हो तो केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

इस आधार पर कि वह जो कैद बनायी गयी है उसके अन्तर्गत नहीं आता है या उसके जो नियम हैं उसके अन्दर नहीं आ पाता है महज इस बुनियाद पर उसको सर्विसेज से वंचित रखना मैं समझता हूं यह भी हानिकारक होगा।

आज पब्लिक सर्विस कमीशन और सरकार के सम्बन्ध में जो कुछ त्रुटियां इस सदन में बतायी गयी हैं उनसे इन्कार नहीं हो सकता और सरकार को सदैव यह स्मरण रखना चाहिये कि उसमें एक प्रकार का संतुलन होना चाहिये, इन दोनों विभागों में भविष्य में चलकर कोई ऐसी चीज, ऐसी परिस्थिति न उलझ जिससे कि सर्विसेज के सुचारु रूप से काम चलने में एक बाधा साबित हो। यही नहीं एक कठिनाई और भी है श्रीमन्, और वह यह है कि इंटरप्रीट करने में नियमों के रेगुलेशंस के या सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या अप्वाइंटमेंट या पब्लिक सर्विस कमीशन के मातहत होना चाहिये, इसमें भी बहुत ही कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। यही नहीं कुछ नायब तहसीलदार जो कि पार्टीशन के बाद इस सूबे में आये उनका फैसला सम्भवतः आज तक भी नहीं हो पाया कि उनका अंतिम निर्णय सरकार द्वारा किया जायगा, अथवा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। तो केवल इंटरप्रीट करने में अगर वर्षों बीत जायं तो यह भी उचित नहीं प्रतीत होता और इससे सर्विसेज के लिये बहुत डिमारेलाईजिंग एफेक्ट होता है। श्रीमन्, इनके दोनों के अधिकार क्षेत्र के बारे में और इनके नियमों के बारे में कोई गुंजाइश ऐसी न रहनी चाहिये, जिसमें कि इस तरह का तूलतवील चाहे सरकार द्वारा, चाहे कमीशन द्वारा किया जाय। उदाहरण के लिये बहुत से मिसाल कहे गये, मेमोरेंडम के बहुत से पन्नों का तजकिरा आया। मैं उस ब्योरे में, उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल सिद्धांतों तक अपने को सीमित रखना चाहता हूं। आज हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के पास बहुत काफी बोझ है और जो कुछ कार्यभार वह संभालते हैं वह बहुत बड़ा है। मैं इस प्रश्न पर माननीय नारायण दत्त से सहमत हूं कि अगर कमीशन की स्ट्रेंथ तीन से पांच कर दी जाय तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं दीखती। यह सच है कि केवल बम्बई पब्लिक सर्विस कमीशन में ही मेम्बरों की तादाद ५ है, लेकिन सिर्फ एक जगह है, और जगह नहीं है यह कोई ऐसी दलील नहीं है जिस से यह सुझाव ठुकराया जा सके। श्रीमन्, यह शिकायत एक ऐसा रूप धारण कर रही है कि जिससे यह प्रतीत होता है कि कुछ हेड्स आफ दि डिपार्टमेंट इस पर मुतवातिर, लगातार जिद किये बैठे रहते हैं कि जिस तरह से हो सके पब्लिक सर्विस कमीशन की बात न चलने पाये या उनकी इच्छाओं की पूर्ति में किसी प्रकार की रुकावट न हो। मैं केवल इतना कहूंगा कि सिद्धांततः जहां यह गलत है, यह ऐसा दोष होता जा रहा है जोकि किसी भी ब्युरोक्रेसी में नहीं होना चाहिये, क्योंकि सर्विसेज की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। अगर उन्होंने अपने इस भार को अच्छी तरह से नहीं संभाला तो इस प्रदेश में बहुत जबरदस्त ठेस पहुंचेगी। यह मुझे स्वीकार है कि इस प्रदेश की सर्विसेज के बारे में चाहे जो कुछ कहा जाय, वह सर्विसेज ऐसी हैं जोकि आज इस मौजूदा कांग्रेस सरकार के चलाने में बहुत हद तक जिम्मेदार हैं और उन्हीं का दिमाग है, उन्हीं की करतूत है और उन्हीं के ऊपर दारोमदार है कि जिससे कांग्रेस सरकार आज चल रही है। मैंने यह माना कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री बड़े विद्वान् हैं, यह भी मैंने माना कि कैबिनेट में बहुत से ईमानदार हैं जो अपने कार्य को अच्छी तरह से चला रहे हैं और चला सकने की योग्यता रखते हैं। परन्तु इसमें शुबहा नहीं कि हमारे इस प्रदेश में ब्युरोक्रेसी का जो एक स्थान है वह ऐसा उच्च होता जा रहा है, जिसको देखकर सभी एक हद तक शंकित होते जा रहे हैं और यह भी सोचते हैं कि अगर इस प्रदेश में किसी भी जीवन में कुछ सुख है, कुछ शक्ति है तो वह केवल उन्हीं तक सीमित है।

मान्यवर, मुझे यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है और आपके द्वारा मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उनके रहते हुये हमको एक विश्वास अवश्य है और यह हम अच्छी तरह से समझते हैं कि उनको इस भार को संभाले हुये इतने थोड़े दिन हुए हैं कि हम उनके खिलाफ न तो उनसे शिकायत कर सकते हैं और न गैर से। अतः यह आशा रखते हुए कि वह दिन अवश्य आयेगा जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे इस प्रदेश में रह चुका है उससे कहीं उत्तम होगा।

में कैबिनेट के विरुद्ध नहीं कहना चाहता, परन्तु आज मेरी यह भावना जरूर थी कि मंत्री महोदय को इतना समय देना चाहिये जिससे कि वह इस प्रदेश में लोगों को साबित कर सकें और दिखा सकें कि इसमें गुंजाइश है उन्नति की और बहुत कुछ करना इसमें बाकी है, जिसको थोड़े समय में वह चाहें तो कर सकते हैं और चाहें तो कुछ समय अधिक भी लगा सकते हैं। परन्तु यह न भूलें कि किसी भी स्थान पर किसी भी सरकार के लिये यह समझना कि वह मनमाने ढंग से एक इस तरह का रवैया अख्तियार करते हुये चले, जिससे कि दूसरों को कुछ कहने के लिये गुंजाइश बाकी न हो, कोई सुनवाई और समाप्त न हो। मैं समझता हूं वह चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्बन्ध में हो, चाहे ऐडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में हो हमारे इस प्रदेश में वेलफेयर स्टेट जहां लक्ष्य हो––माननीय गौतम जी का कहना यह सच है कि बनानी है, मुझे यह खुशी है कि उन्होंने यह नहीं कहा कि बन चुकी ऐसे प्रदेश मे यह भार हमारे मुख्य मंत्री पर है और उनको यह देखना है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन जिसके बारे में हमको अभी तक गर्व करने के लिये कोई कारण नहीं था वह इतना अच्छा हो जाय जबकि हम यह समझ सकें कि ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि एक डेमोक्रेसी की रूप रेखा है, एक वेलफेयर स्टेट के लिये सचमुच लोग चिंतित हैं और उसके निर्माण के लिये हम पदारोपण कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष––(श्री नवल किशोर के खड़े होने पर) मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि जितना संक्षेप में हो सके उतना कम समय लेने की कृपा करें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)––जी, बहुत अच्छा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की १९५०–५१ और १९५१–५२ की जो वार्षिक रिपोर्टों के ऊपर विवाद चल रहा है और उस सम्बन्ध में जिन माननीय साथियों ने भाषण दिये उनको मैंने सुनने की कोशिश की। कुछ ने तो यह कहा कि गवर्नमेंट की यह नीति है कि वह जो करना चाहती है उसके लिये पी० एस० सी० को इस्तेमाल करती है ताकि वह उसके कामों पर स्टैम्प लगा दे रबर स्टैम्पिग अथारिटी की तरह यह भी कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन की अवहेलना करके जो नियुक्तियां होती हैं वे योग्यता के आधार पर नहीं होतीं, बल्कि उस आधार पर होती हैं कि किस का असर उसपर ज्यादा है। मान्यवर, मैंने उन रिपोर्टों को पढ़ा और उनके साथ जो स्मृति–पत्र थे उनको भी पढ़ा। मुझे तो उनके पढ़ने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि गवर्नमेंट के अन्दर जो एप्वाइंटिंग अथारिटीज हैं और जो पी०एस०सी० है उनमें एक किस्म की रस्साकशी चल रही है कि उन दोनों में से कौन सुप्रीम है और बहुत कुछ जो इसके अन्दर बातें लिखी गयी हैं वह इस टसल का एक परिणाम है। मेरी मंशा यह कतई नहीं है कि पी०एस०सी० ने जो कमेन्ट्री की है उसका कोई आधार नहीं है। कई जगह ऐसी नियुक्तियां हुयी हैं जो नहीं होनी चाहिये थीं और जो हो गयी थीं तो उनकी समय के अन्दर सूचना पब्लिक सर्विस कमीशन को दे देनी चाहिये थी। पब्लिक सर्विस कमीशन को यह भी शिकायत है कि जो टैम्पोरेरी अप्वाइन्टमेंट्स होते हैं उनकी सूचना भी कई वर्ष तक उसके पास नहीं पहुंचती है। इसके सम्बन्ध में जो नियम हैं उनकी अवहेलना अधिक होती है उन्होंने बहुत से व्यक्तिगत केसेज भी दिये, जिनको मेरे साथियों ने सदन में पढ़ा।

श्रीमन्, मैं अपने उन साथियों से सहमत हूं जिन्होंने यह कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के काम में अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाय। मैं उनसे इसमें भी सहमत हूं कि सरकार को जहां तक सम्भव हो उसकी सिफारिशें मान्य होनी चाहिये, लेकिन मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं जैसा कि कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन की पोजीशन एक सुप्रीम अथारिटी की बनायी जाय। इन रिपोर्टों के पढ़ने से यह मालूम होता है कि अधिकांश में सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों को माना और जहां नहीं माना, उन पर खतोकिताबत करने के बाद या तो गवर्नमेंट ने अपनी बात बदल दी या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन सहमत हो गया। इसके माने यह हुये कि दोनों में एक अंडरस्टैन्डिग की बात हुयी।

[श्री नवल किशोर]

यह सही है कि दोनों में आनेस्टली डिफरेंसेज की गुंजाइश हो सकती है । इसके साथ-साथ में यह भी मानता हूं कि गवर्नमेंट के अन्दर जो काम करते हैं वह मनुष्य हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो लोग काम करते हैं वह भी मनुष्य हैं मनुष्य के अन्दर मानवीय कमजोरी होती है इस तरफ भी है और उस तरफ भी हो सकती है । ऐसी भी मिसालें मिल सकती हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर यह भी देखा गया और कैंडीडेट के एनेलेसिस करने पर पता लगा कि ऐसे लोगों की सिफारिश की गयी जो शुरू से आखिर तक थर्ड क्लास रहे, हमेशा थर्ड डिवीजन में आये । वाइवा वोसी में अच्छे यानी सेन्ट परसेंट मार्क्स होने की वजह से उनकी अच्छी पोजीशन आ गयी । मैं कोई उस पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं । लेकिन यह कह रहा हूं कि कभी-कभी निर्णय करने में गल्ती भी हो सकती है । पब्लिक सर्विस कमीशन एक कंसल्टेटिव बाडी है, ऐडवायजरी बाडी है, इसकी ऐडवाइस मान्य है, लेकिन मैं यह नहीं कहता और यह नहीं मानता कि इसका निर्णय आखिरी शब्द है विशेष तौर पर आजकल जैसा कि उसका ढांचा बना हुआ है ।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ जहां मैंने इंसानी कमजोरी की बात कही वहां एक पहलू यह भी है कि हम एक प्रजातंत्र के ढांचे में रहते हैं और अक्सर ऐसे भी मौके आते हैं जब जनता की तरफ से या उनके प्रतिनिधियों की तरफ से बहुत सी बातों में सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसको रोकना या उसको न मानना, यह सरकार के लिये कभी-कभी कठिन हो जाता है । मैं इस सम्बन्ध में जो इसमें इंडिविजुअल एक्जाम्पिल दी गयी है उनमें न जाते हुये इतनी बात जरूर कहूंगा कि जो भी उन्होंने कमेंट्स किये उनका जवाब सरकार ने दे दिया है और जवाब तो हर बात का हो सकता है और हो ही जाता है । ठीक है, मैं बिना किसी आक्षेप के किये यह कहना उचित समझता हूं कि हमें इतना ही काफी नहीं है कि हम ईमानदार हैं बल्कि यह भी आवश्यक है कि दूसरे लोग भी समझें कि हम ईमानदार हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि काम करने के ढंग की बात है । मैंने देखा है कि कई जगहों में कुछ काम इस ढंग से किये गये कि जिससे खामख्वाह एक संशय दिमाग में पैदा होता है या पैदा होने की गुंजायश है । जिन अधिकारियों ने ऐसा किया उनके दिमाग में चाहे न हो, लेकिन जन-साधारण के दिमाग में सन्देह पैदा हो सकता है । मैं एक उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह कहा है कि एक दफा बिजली (हाइडेल) के महकमे के लिये एक चीफ इंजीनियर की आवश्यकता पड़ी । तब २,७५०-१२५-३,००० रुपये के ग्रेड की एक पोस्ट एडवर्टाइज की गयी । पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक साहब को चुना जो कि आउट साइडर थे । उसके बाद के नम्बर पर हमारी प्रान्तीय सरकार के एक अधिकारी जो विभाग में थे उनको चुना । उसके बाद उस ग्रेड को घटा कर १,८००-५०-२,००० रु० कर दिया गया और हमारे यहां के जो अधिकारी थे उन को उस पद पर नियुक्त किया गया । यद्यपि आयंगर कमेटी ने भी इस सम्बन्ध में यह बात कही थी जिस समय इरीगेशन से हाइडल को अलग करने की बात कही गयी थी कि उसका जो उच्च अधिकारी हो वह बाहर से बुलाना चाहिये । क्योंकि विभाग में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो उस पद को संभाल सके । ग्रेड कम करने की बात गलत ही थी ।

इसी तरह से एक मसला डवलपमेंट कमिश्नर के कार्यालय के सुपरिन्टेन्डेन्ट का था जिस समय उनके कार्यालय को जनरल सेक्रेटेरियट से मिलाया गया, तब इस पद के विषय में पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछा गया । उन्होंने यह कहा कि अपर डिवीजन में असिस्टेंट में से ही किसी को इस पद पर प्रमोशन देना चाहिये । तब उन महानुभाव को पर्सनल असिस्टेंट बना दिया गया । मैं परिस्थितियों को ज्यादा नहीं जानता कि इसमें कोई विशेष बात थी मगर इन चीजों से कभी-कभी सन्देह अवश्य पैदा हो सकता है और इसके अन्दर किसी न किसी के साथ पक्षपात की बात पैदा हो सकती है । इसलिये हमको यह चाहिये कि जो कार्य हो इस ढंग से हो, जिसमें किसी को सन्देह की गुंजायश नहीं होनी चाहिये । हमारे यहां जो

पद हों उनके लिये व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करना चाहिये न कि व्यक्ति के लिये पद को खोजना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में और ज्यादा न जा कर कुछ अपने सुझाव भी रखना चाहता हूं। इसमें जो शुरू में पब्लिक सर्विस कमीशन का कमेन्ट है वह अधिक महत्व का है बजाय इसके कि डिटेल में केसेज को देखा जाय। पृष्ठ २ पर यह दिया हुआ है कि --

"उम्मेदवारों की मौखिक व साक्षात्कार परीक्षाओं के आधार पर कमीशन की यह धारणा हुई है कि साधारण कोटि के ग्रेजुएटों के ज्ञान का स्तर नीचे गिर रहा है।"

इसके अन्त के वाक्य को भी मैं पढ़ना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि "यदि शासन व शिक्षा, अधिकारी यह चाहते हैं कि आगामी सन्तान शिक्षा में अपरिपक्व न रहे तो उन्हें इस ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ताकि ऐसी स्थिति पैदा न हो जिससे जनता तथा शासन की कार्यकुशलता व नैतिकता का पतन हो।" मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्व की चीज है। इस सम्बन्ध में मैं यह चाहता हूं कि जैसा उनका कमेन्ट है उस पर पूर्ण ध्यान दिया जाय। दूसरे बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैं जिनके नियम नहीं बने हैं। उनको तुरन्त बनाया जाये। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो मौजूदा पब्लिक सर्विस कमीशन बना हुआ है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। उसके नियम पहले के ही बने हुये हैं। हमारे कांस्टीट्यूशन में यह दिया हुआ है कि जहां तक सम्भव हो आधी संख्या में गैर सरकारी आदमी ही उसके अन्दर रहें। मगर इस समय हमारे यहां उनका अनुपात २:१ है।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं चाहता हूं कि सदस्यों की तादात तीन से बढ़ा कर चार कर दी जाय ताकि दो गैर सरकारी लोग उसमें आ सकें। हमारे यहां पब्लिक लाइफ में बहुत इमिनेंट लोग हैं, मैं चाहता हूं कि उनमें से पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर बनाए जायें। वे पब्लिक लाइफ को अच्छी तरह से जानते हैं और उसकी आवश्यकताओं तथा अन्य बातों को भी समझते हैं। जिस तरह के अधिकारियों की आप को आवश्यकता है वैसे अधिकारी यही लोग आप को चुनकर दे सकते हैं। हमारे सरकारी कर्मचारी जो इस कमीशन के सदस्य बनाए जाते हैं वह उस समय के हैं जिस समय यहां पर अंग्रेजी सत्ता थी। उस जमाने की आवश्यकताएं और आज की आवश्यकता में बहुत अन्तर है। अन्त में एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि एक बार कमीशन ने एक सिफारिस की थी कि इंजिनियरिंग सर्विसेज के लिए भी कंपिटीशन का तरीका चालू किया जाय। सरकार ने पहले तो इसको मान लिया था, लेकिन अब किन्हीं कारणों से उसको नहीं माना है। मेरा कहना है कि सरकार फिर से इस पर विचार करे और इन सर्विसेज के लिये कंपिटीशन का तरीका मान ले।

श्री शिवनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सुन्दर अवसर पर बोलने का मौका दिया और इसके साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद दूंगा कि वह भी आज सीना तान कर हाउस के सामने आ गयी है। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने सामने वही आदर्श रखें जो सेंटर ने रखा है। जिन्होंने पिल्लई साहब को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में रख लिया है। हमारा कहना तो यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में लोग बुद्धिमान ही रक्खे जायें। पी० एच० डी०, एम० ए०, एम० ए० एल० टी० रक्खे जायं। इतना ही नहीं अगर हमारे प्रान्त का कोई आदमी अधिक योग्य हो तो वह भी रक्खा जाय। क्योंकि अगर बाहर का आदमी रक्खा जायगा तो उससे यह आशा की जा सकती है कि वह टेलीफोनबाजी के चक्कर में न आयेगा, नोट्स के चक्कर में न पड़ेगा और आज जो टेलीफोन की शिकायत होती है वह न होगी। कहा जाता है कि वहां पर सिफारिशें चलती हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस

[श्री शिवनारायण]

कमीशन से उस की एक दो मिसाल भी नहीं दी। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन यह करने लग जाय तो हर आदमी जो टेलीफोन करता है, जो नोट उस को लिखता है, उसकी आवाज बन्द हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि सेलेक्शन के सिलसिले में सर्विसेज के लिहाज से हर एक डिपार्टमेंट के नियम होने चाहियें और उस नियमावली के अनुसार सेलेक्शन होना चाहिये तथा उस नियमावली में विशेष अन्तर न होना चाहिये और पब्लिक सर्विस कमीशन में हर साल उसको भेज देना चाहिये, ताकि पब्लिक सर्विस कमीशन को यह इत्मीनान हो जाय कि गवर्नमेंट उनके ऊपर डिपेंड करती है। आफीसर्स की वहां पर कमी है इसलिये देर होती है और अगर किसी का इन्क्रीमेंट होना है तो वह बरसों तक रुका रह जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, ताकि कोई एतराज न होने पाये।

दूसरी बात यह है कि हरिजनों का पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो सेलेक्शन हुआ उसमें हमारे जो लड़के रिजेक्ट किये गये हैं उनके बारे में रिपोर्ट में एक नोट होता कि इतने लड़के इन-इन कारणों से रिजेक्ट किये गये, उनमें यह यह कमियां थीं, ताकि मैं गवर्नमेंट से कह सकता कि हमारे लड़के गरीब हैं और उसके कारण से वे ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, उनको हेल्प मिलनी चाहिये लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से यह नोट नहीं आया। मैं आपके द्वारा यह अनुरोध करूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन से इस प्रकार का नोट आना चाहिए। चेयरमैन और मेम्बरान हमें इस बात को बतायें कि हमारे लड़कों में क्या-क्या कमियां है जिनकी वजह से वे नहीं आ पाते, ताकि हम उनको कंपिटीशन के लायक बना सकें।

रिपोर्ट में यह भी देखने में आया कि सिफारिशें चलती हैं और कहा भी जाता है सिफारिशें होतीं है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं मिला। सिफारिशों की शिकायत करना आसान है, लेकिन जिस आदमी को हम कहीं बैठाते हैं उस पर हमें विश्वास करना चाहिए, गवर्नमेंट पर भी हम को विश्वास करना होगा। मदनमोहन जी ने बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने २०० रुपये के नीचे के लिए इनकार कर दिया है और कहा है कि हमारे हाथ से निकाल दिया जाय अब बताया दिया जाय कि इसमें हमारी गवर्नमेंट का क्या दोष है १२० रु० पर ग्रेजुएट्स रखे जाते हैं, प्रोफेसर रखे जाते हैं, बी० ए० एजटी० रखे जाते हैं, सी० टी० और इन्सपेक्टर्स रखे जाते हैं।

सन् ३७ के पहले जो डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल होते थे वे पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते थे और असिस्टेंट मास्टर भी जाते थे तो उस वक्त हमको बहुत बढ़िया आदमी मिलते थे, उस वक्त हमारी मशीनरी ठीक चलती थी। लेकिन आज की हालत तो यह है कि हमारे यहां बहुत से टीचर्स लटके हुये हैं। वे न पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने बुलाये जाते हैं और न उनकी सर्विसेज परमानेंट की जाती हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो टेम्पोरेरी हैंड्स हमारे यहां दो-दो, तीन-तीन वर्ष से काम कर रहे हैं और जिनका जीवन त्रिशंकु की तरह से लटका हुआ है उनका नाम पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेज दिया जाय। जो यह कहा गया है कि फर्स्ट क्लास रह गये और थर्ड क्लास वाले ले लिये गये तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि थर्ड क्लास वाला भी फर्स्ट क्लास वाले के साथ परीक्षा में कम्पीट कर सकता है। हो सकता है कि परीक्षा में फर्स्ट क्लास वाला जो कि उसको १० क्वेश्चन्स दिये गये उसको तो ठीक कर लिया, लेकिन कमीशन के सामने इंटरव्यू में जाने पर प्रेक्टिकल में लटक गये। अक्सर यह सुनने में आता है कि वहां पर किसी पोस्ट ग्रेजुएट से पूछा गया कि पं० जवाहर लाल नेहरू कौन हैं उसने जवाब दिया कि वे हिन्दुस्तान के प्रेसीडेंट हैं। तो जहां पर इस तरह के पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वहां पर उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। मेरा तो कहना है कि जो अच्छा से अच्छा कैंडिडेट हो उसको कमीशन के सामने भेजा जाय और उस की ईमानदारी से जांच हो।

रिपोर्ट को पढ़ने से मालूम होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान आगरा में हुआ, लखनऊ में हुआ, इलाहाबाद में हुआ और कहीं पर प्लानिंग आफसर ने गार्डी की, तो कहीं किसी और आफिसर ने गार्डी की। तो करप्शन तो वहां होने की नौबत हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और पब्लिक सर्विस कमीशन से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इम्तहान में एक हजार आदमी बैठें, चाहे दो हजार आदमी बैठें, लेकिन वह इम्तहान चेयरमैन की निगरानी में होना चाहिये। इससे गड़बड़ी नहीं हो सकेगी और सेलेक्शन करके बढ़िया आदमी मिल सकेंगे। वरना आजकल की हालत तो यह है कि पिस्तौल ले कर लोग कापियों में नकल कर लेते हैं। तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हजार आदमी बैठें या दो हजार बैठें इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो इम्तहान हो वह ऐसे लोगों के सामने हो जो ट्रेंड हों, जहां चैयरमैन स्वयं मौजूद हों, इससे कमीशन की डिगनिटी बढ़ेगी और स्टेट की भी डिगनिटी बढ़ेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन में ७ आदमियों को रखा गया है, लेकिन हमारे यहां तीन आदमी हैं। हमारे यहां एक कहावत है कि "तीन तिकड़ महा बिकड़" तो तीन का जो अंक है वह अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिये या तो तीन के बदले चार कर दिया जाय या पांच कर दिया जाय, पांच सबसे सुन्दर है, क्योंकि हमारे यहां पांच पंच परमेश्वर माना जाता है। इसलिये जो ३ का अंक है उसे हटा कर ५ कर दिया जाय। अभी हमारे एक भाई ने बतलाया कि श्री राजनारायण जी भी तीन ही आदमी हैं। तो वह भी अन्धेर है, वहां भी खराबी है, तीन तिकड़ महा बिकड़, राजनारायण जी आज नाराज भी थे।

श्री अध्यक्ष--उनकी गैरहाजिरी में आप उनके सम्बन्ध में कुछ न कहें।

श्री शिवनारायण--दूसरी बात मुझे अध्यक्ष महोदय, यह कहनी है कि जहां ४० सीट खाली होती हैं वहां कमीशन इंटरव्यू में १२० आदमियों को बुलाता है, एकदम से तिगुना। इसका नतीजा यह होता है कि जो लड़के इंटरव्यू में आते हैं वे ६, ६ महीने तक और ८, ८ महीने तक इन्तजार करते रह जाते हैं, लेकिन उनको कोई नोटिस भी नहीं होती कि क्या रिजल्ट रहा। इस तरह से लड़के इन्तजार ही करते रह जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हमारा नाम तो पेपर में निकल ही गया है तो वहां से कुछ आयेगा ही। तो पब्लिक सर्विस कमीशन को इसका भी इन्तजाम करना चाहिये कि उनको कुछ दिनों के बाद ही नोटिस मिल जाय कि उनके सम्बन्ध में क्या हुआ और मेरा तो कहना यह है कि जितने आदमियों को आपको रखना हो उतने ही आदमियों को इंटरव्यू में बुलाइये। अगर बाद में और की जरूरत पड़े तो फिर १५ दिन के बाद ऐडवरटीज़मेंट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हजारों ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स गली-गली मारे-मारे फिरते हैं। कारण यह है कि जब कमीशन इंटरव्यू में किसी को बुलाता है तो उसके लिये कोई रेल का किराया तो देता नहीं है और इस तरह से जो आदमी दूर-दूर स्थानों से जैसे अल्मोड़ा से और-और जगहों से इलाहाबाद आता है वह तो आने-जाने के एक्सपेंसेज में ही पिट जाता है। दूसरी बात यह है कि परीक्षा की जो फीस रखी गयी है वह भी बहुत ज्यादा है। इसलिये उसको भी कम करना चाहिये। जहां तक एडवरटिजमेंट की बात है कि कम से कम ४ महीने पहले वह अखबारों में हो जानी चाहिये, ताकि गांव के कोने-कोने में जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स पड़े हुये हैं उनके पास तक इसकी नोटिस पहुंच जाय। जैसा कि श्री मदन मोहन उपाध्याय जी ने कहा कि बहुत से स्थानों में लोगों को नोटिस नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गांव में रहने के नाते, वहां की परिस्थिति और वहां के वायुमंडल में वे घूमते-फिरते हैं, खेती-बारी करते हैं। जैसे कि राजा साहब अप टु डेट ग्रेजुएट बैठे हुए हैं वैसे ग्रेजुएट वहां नहीं रहते हैं। वह लखनऊ में रहते हैं, बड़ी-बड़ी इमारतों में दारुलशफा में रहते हैं, इनमें और उनमें बड़ा अन्तर है। इसलिये

[श्री शिव नारायण]

मैं निवेदन करूंगा कि ४ महीने पहले से एडवर्टाइजमेंट होना चाहिये। इसमें सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, मैं कहूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कमियां हैं उनको भी उन्हें दूर करना चाहिये और यह तो सरकार का बड़प्पन है कि उसने हाउस में इन रिपोर्ट्स को पेश किया है और उसने एक सही काम करने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि यह सरकार का फर्ज भी था। इसके अलावा सरकार को कमीशन को मजबूर करना चाहिये कि वह २०० रुपये के ग्रेड की जगहों को फिर से अपने हाथ में ले और उनकी तादाद बढ़ाना भी जरूरी है। इसके अलावा संविधान की धारा के विरुद्ध कोई काम न होना चाहिये और हमें उसकी मान-मर्यादा का ध्यान रखना चाहिये और उसके बमूजिब जिस तरह से हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया है, उसकी इज्जत इसी में है कि कोई काम शिकायत का सरकार न करे, तभी हमारे देश में डेमोक्रेसी सही मानों में चल सकती है और फले फूलेगी और मजबूत होगी और यह रिपोर्ट सदन में आई है यही इस बात का सबूत है कि हम डेमोक्रेसी ठीक से चला रहे हैं, इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं और चाहता हूं कि हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन भी मजबूत हो और अच्छा काम करे।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)——माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया है कि यह पहला अवसर है कि इस सदन में पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर विवाद हो रहा है। यह किन्हीं कारणों से भले ही पहला अवसर हो, परन्तु मैं उम्मीद करता हूं कि यह किसी भी हालत में आखिरी अवसर न होगा। हमने आज एक नई रिपोर्ट भी सदन के सामने पेश कर दी है और मुझे आशा है कि जल्द ही उस पर भी विचार करने का अवसर सदन को मिलेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट्स पर जो वाद विवाद होता है मैं समझता हूं कि उससे सरकार को हर तरह से फायदा ही होता है। हमारे लिये कोई चीज छिपाने की नहीं है। इस बात की जरूरत नहीं है कि जितनी बातें शासन में हों उन सबकी हम सफाई देने की कोशिश करें, मैं समझता हूं वह बिल्कुल गलत बात होगी अगर मैं खामख्वाह हर चीज के लिये वकालत की कोशिश करूं, क्योंकि हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, इतने आदमी यहां काम करने वाले हैं, वहां कभी किसी मौके पर किसी से कोई गलती न होती हो कोई कायदे कानून के विरुद्ध काम न हो जाता हो ऐसी बात संभव नहीं है। अगर कोई कहे तो गलत बात है, जरूर गलती होती है। लेकिन अगर ऐसी बात होती है जो नियमों के विरुद्ध हैं और उनकी तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन का ध्यान सदन के माननीय सदस्य आकृष्ट करायें या सरकार की किसी गलती की तरफ यहां के माननीय सदस्य ध्यान आकृष्ट कराते हैं तो उससे हमारा और प्रदेश का कल्याण होता है और हम उन माननीय सदस्यों के अत्यन्त ऋणी हैं जो इस तरह से हमारी गलतियों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं।

कई माननीय सदस्यों ने नैतिकता की तरफ, निष्पक्षता की तरफ आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया है और उस पर बहुत जोर दिया है। यह एक ऐसी बात है जिसके सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। मैंने कई मौकों पर जो फ्रान्स की सिविल सर्विसेज का जिक्र किया था, उसका भी यहां जिक्र हुआ। यह सही है कि मैंने फ्रांस की सरविसेज का जिक्र किया है और यों और देशों में भी सरविसेज हैं, लेकिन सचमुच मैंने जहां जहां देखा मैं कई कारणों से फ्रांस की सिविल सर्विसेज से बहुत प्रभावित हुआ और हम चाहते हैं कि फ्रांस या जहां कहीं भी हों वैसी सर्विसेज हमारे यहां भी हों। हमारा शासन डिमोक्रेटिक है। आज एक पार्टी के हाथ में शासन हो सकता है और कल दूसरी पार्टी के हाथ में शासन हो सकता है। लेकिन डिमोक्रेसी तभी चल सकती है जब उसको चलाने वाली जो मशीनरी है सरविसेज की वह अच्छी हो, एफीशियेंट हो और निष्पक्ष हो। मिनिस्टर्स चाहे जितने भी काबिल क्यों न हों, लेकिन वे अकेले शासन को नहीं चला सकते। मिनिस्टर्स

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहे कमजोर भी हों लेकिन सर्विसेज अगर ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं तो शासन का काम बहुत दिनों तक और जिसे अंग्रजी में कहा जाता है मोमेन्टम तरीके से वह बहुत दिनों तक चलता जायगा। यों तो अयोग्य आदमियों के हाथ में शासन है तो वह बिगड़ जायगा ही लेकिन फिर भी अगर सर्विसेज ईमानदार हैं तो वह बहुत दिनों तक चल ा जायगा। तो सभी चाहते हैं कि ऐसी बात न होने पाये जिससे सर्विसेज में इनएफीशियेंसी की बात, और पक्षपात की बात हो लेकिन हां एक बात थोड़ी सी निवेदन करने की है कि जैसा जमाना है और जिस तरह से हमारे देश में जमाना बदल रहा है उस को देखते हुये हम लोगों को थोड़ा सा अंग्रेजी शब्द में ज्यादा चेरिटेबिल होना चाहिये। और एक दूसरे पर अधिक विश्वास रखना चाहिये। वह जमाना जब कि हमारे देश में एक संदेह और सस्पिशन का वातावरण बना हुआ था उसको हमको छोड़ना होगा। कभी न कभी इस विशस सर्किल को तोड़ना होगा। हमें पब्लिक सर्विस कमीशन पर विश्वास करना पड़ेगा, गवर्नमेंट पर विश्वास करना पड़ेगा और सरकारी अहलकारों पर विश्वास करना होगा और बिना इस तरह के विश्वास के काम नहीं चलेगा। जब तक कि हम एक दूसरे की नेकनियती पर विश्वास न करें तब तक काम नहीं चल सकता। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी अधिकार हों उस सम्बन्ध में मैं आगे कहूंगा लेकिन एक बात मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। बार-बार चर्चा इस बात की होती है कि अमुक अधिकारी पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिये जायं। जिसक कानून बनाने का अधिकार है, वह दे। ठीक है। लेकिन उसका दूसरा रुख है कि अगर वह अधिकार गवर्नमेंट के सरकारी अहलकारों के हाथ में रहे कुछ समय के लिये ही सही तो उन अधिकारों का दुरुपयोग होता है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात पर गौर करें कि दूसरे देशों में काम कैसे होता है। जहां से पब्लिक सर्विस कमीशन का आइडिया आया इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स में। आप वहां देखें कि वहाँ सचमुच पब्लिक सर्विस कमीशन को क्या अधिकार हैं, जो यहां देना उचित समझा जाता है, नहीं है। माननीय सदस्यों को पता होगा कि दो तीन साल हुये अमेरिका से एक मिनिस्टर आपिलबी जो कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बहुत बड़े एक्स्पर्ट माने जाते हैं वह यहां आये और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसको देखा जाय तो उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया है कि यहां पर हर चीज में शासन के मामले में किस तरह से पब्लिक सरविस कमीशन को अधिकार दिया गया है। उनका कहना है कि जहां तक ऐप्वाइंटमेंट की बात है उस को छोड़ कर आगे चल कर डिसिप्लिनरी ऐक्शन, डिसमिसल, प्रमोशंस इन सब के मामले जो होते हैं उन में एक जगह से ले कर दूसरी जगह तक हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है उसके हाथ में अधिकार होते हैं क्योंकि वह लोग समझते हैं कि क्या होना चाहिये। हो सकता है कि सरकारी आफिसर्स में भी बुरे आदमी हों, मिनिस्टर्स में भी बुरे, अच्छे आदमी हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन में भी सभी प्रकार के आदमी हैं लेकिन जो लोग ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम चलाते हैं वह सब लोग पक्षपात ही करेंगे और किन्हीं आदमियों को नुक्सान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या और लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक आध जगह पक्षपात हो सकता है बुरा या अच्छा, लेकिन जो शासन का काम चलाते हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनको परखने का मौका होता है इतने आदमियों के काम को। उनका विश्वास न किया जाय और ऐसे लोग जो शासन से दूर रहते हैं जिनके सामने केवल काग़ज आता है मनुष्य नहीं आता उसका डे टु डे काम नहीं आता। उनका जजमेंट निश्चय ही ठीक होगा। उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य है कि यहां हिन्दुस्तान में ऐसा है और जगहों में ऐसा नहीं है।

अच्छी खासी रिपोर्ट है उनकी। मैं यह नहीं कहता कि वह वेद वाक्य है लेकिन हमें यह बात सोचनी होगी कि अपना अविश्वास कितना करते जायंगे। आखिर हमी में से कोई जज होता है। हम पक्ष पात के साथ काम करते हैं लकिन महज दूसरी कुर्सी पर बैठ जाने

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

से जो पब्लिक सर्विस कमीशन की कुर्सी है वहां ईमानदारी से काम करेंगे, निष्पक्षता से काम करेंगे। ऐसा क्यों? हमें अपने ऊपर विश्वास करना होगा। मैं नहीं कहता कि पब्लिक सर्विस कमीशन का अधिकार न बढ़ाये जांय लेकिन एक पहलू यह भी है। मुझे इस बात को देख कर खुशी हुई कि इन रिपोर्टस् को जिन माननीय सदस्यों ने पढ़ा उन्होंने उसका परिश्रम से अध्ययन किया। मैं चाहता हूं कि हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिये कि और देशों में कैसे शासन चल रहा है। कभी आगे चल कर इस प्रश्न पर विचार हो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकार क्या हैं और कैसे होने चाहिये, क्या परिवर्तन होना चाहिये वह अध्ययन जो होगा उसके प्रकाश में उन्हें इन बातों के निर्णय करने में मदद मिलेगी और हम सब को फायदा होगा। यह विचार करने की चीज है।

अपने भाषणों में माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने और अपने मित्रों ने भी कमीशन को भी कुछ सुझाव दिये हैं कि उनकी रिपोर्ट्स में क्या-क्या बातें होनी चाहिये। जो यहां वाद-विवाद हो रहा है इसकी रिपोर्ट अगर कमीशन के सामने गई तो मैं समझता हूं कि वे इस पर विचार करेंगे और सचमुच मेरा भी ऐसा ख्याल है कि इन चीजों के समावेश से कमीशन की रिपोर्ट और भी अधिक उपयोगी हो जायगी। इसके साथ ही शायद कुछ माननीय सदस्यों का यह ख्याल था कि गवर्नमेंट ने जो एक नोट लिखा है उस नोट में कुछ क्रोध का अन्दाजा लगता है और कुछ कमीशन की कुछ आलोचना करने की कोशिश की है। तो क्रोध की बात नहीं है लेकिन यह जरूर है कि कमीशन की समिति में बड़े विद्वान् लोग हैं। उन्होंने कई जगह सलाह दी है। हमने नम्र भाषा में यह याद दिलाने की कोशिश की है कि कमीशन साल भर में जो काम करे उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखने के लिये पेश करे लेकिन ऐसा लगता है कि एक आध जगह ऐसी चीजें आ गयी हैं जो अप्रासंगिक हैं। अपनी समझ में तो बहुत नम्र भाषा में याद दिलाने की कोशिश की है। उदाहरण के लिये कई बातें ऐसी होती हैं जिससे गवर्नमेंट और कमीशन में मतभेद है। गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी अफसर काम करने बैठते हैं और ऐसी बात होती है कि हर मौके पर कमीशन से पूछ कर काम नहीं कर पाते और कमीशन के सदस्य किसी एक बात पर विचार करते हैं और जब वे विचार करने बैठते हैं तो हमसे पूछ कर नहीं बैठते। तो परिणाम यह होता है कि एक ही चीज के दो पहलू हो सकते हैं। बहुत सा काम चिट्ठी पत्री से चलता है लेकिन चिट्ठी पत्री से काम नहीं चलता तो हमारे प्रदेश में यह कन्वेंशन-सा हो गया है कि चीफ मिनिस्टर और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के बीच में एक डी० ओ० पत्र चल जाता है और कई बातें तै हो जाती हैं। कभी-कभी दोनों में मुलाकात हो जाती है। कोई तारीख या मियाद मुकर्रर नहीं होती। जो मतभेद के मसले हैं वे तय हो जाते हैं। तै होने में कोई सैद्धान्तिक मसले नहीं होते। जैसे अमुक पद पर अमुक आदमी की नियुक्ति करने में अमुक प्रोसीजर होना चाहिये या अमुक चिट्ठी इस तरह जानी चाहिये थी या नहीं इस तरह के मसले तै होते हैं। लेकिन अगर कोई सैद्धान्तिक प्रश्न हो जो आगे चल कर नजीर बनने वाली हो तो बात दूसरी है लेकिन जो इंडिविजुअल सवाल होता है कि इस मामले में ऐसा होना चाहिये था वह मामले तय हो जाते हैं। या तो गवर्नमेंट की बात कमीशन ने मान ली या गवर्नमेंट ने कमीशन को मनवा लिया और वह बात खत्म हो जाती है। मैं समझता हूं कि उन बातों के देने से कोई नतीजा नहीं। अगर वह उसूल का सवाल होता जिससे आगे चल कर कामों पर असर पड़ने वाला हो तो हम उनको लिखते लेकिन जो इंडिविजुअल मामलात होते हैं उनको रिपोर्ट में दिखाने से रिपोर्ट भले ही बड़ी हो जाती हो लेकिन कोई नया प्रकाश नहीं पड़ता। इसलिये इन्हीं दो-एक बातों की ओर इशारा किया गया था। क्रोध की या नाराजगी की तो कोई बात नहीं थी। मैं यह देखता हूं कि एक शब्द का प्रयोग हुआ। उससे माननीय सदस्यों को कुछ भ्रम हुआ और उससे हमको तकलीफ भी हुई। वह लफ्ज है "आउट साइडर"। उसका अर्थ यह लगाना कि आउट-साइडर का अर्थ है उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाले। जरूर एटीमालोजी से यह अर्थ

निकलता है कि जो बाहर का है, उत्तर प्रदेश के बाहर का भी आउट साइडर हो सकता है। लेकिन बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार में कोई खास अर्थ चला आता है। तो जहां तक सर्विसेज की बात है, उसमें किसी को धोखा नहीं होगा, जहां दूसरे प्रदेश वाले का मतलब होता है, यू०पी० डोमीसाइल्ड या नान यू० पी० डोमी साइल्ड का प्रयोग होता है और "आउट साइडर" या "आउट साइड" से मतलब होता है जो सर्विसेज में नहीं है। उनको इतना कहने के बजाय कि हू इज नाट इन आलरेडी सर्विस (who is not already in service) उनके लिए भारत वर्ष में "आउट साइडर" शब्द जोड़ा गया है। सम्भव है कि जिन देशों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है वहां भी इस अर्थ में इश शब्द का प्रयोग होता हो। जहां तक इस सरकार की बात है, केवल दूसरे प्रदेश का रहने वाला होने की वजह से किसी आदमी का न लिया जाय, मैं समझता हूं कि इसके लिये हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का रिकार्ड किसी भी प्रदेश से अच्छा है। यहां जो भी एडवांज मेंट्स होते हैं सब में यही रहता है। अगर हर बात बराबर हो तो उत्तर प्रदेश के आदमी का पहला हक होगा। मैं समझता हू कि इनमें किसी को मत-भेद नहीं होगा। लेकिन इस बात के न होते हुए उत्तर प्रदेश में बराबर दूसरे प्रदेश वाले लिये जाते हैं। इस बात का ख्याल नहीं करते कि बाहर वालें आदमी को न लें। दूसरे प्रदेश के बार में मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा कि कृपा करके दूसरे प्रदेशों की सिविल लिस्ट उठा कर देखें कि उत्तर प्रदेश के कितने आदमी दूसरे प्रदशों में हैं। मुश्किल से उंगलियों पर गिनने वाले मिलेंगे। म नहीं कहता कि वह नियमों को नहीं बरतते लेकिन एक फनामिनन है जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं कि दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत कम मौका मिलता है। हमारे यहां इस बात का कोई पक्षपात नहीं किया जाता सिवा इसके कि बराबर योग्यता होने पर उत्तर प्रदेश वाले का एक हक होता है। "आउट साइडर" से हमारा यह हरगिज मतलब नहीं था कि उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाले हों। केवल इतना ही मतलब था कि सर्विस में नहीं था।

कमीशन की जो राय है वह बिलकुल सही राय है कि जहां पर नियमों के अनुसार इस बात का अधिकार किसी को है चाहे गवर्नमेंट या सबार्डिनेट अथारिटी को कि बिना कमीशन के पूछे छः महीने या साल भर तक के लिये नियुक्त कर ले तो उसकी सूचना कमीशन के पास जानी चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य जो रिपोर्ट उनके सामने है वह तो है ही उसके अतिरिक्त अब जो रिपोर्ट उनके सामने रखी गयी है उसमें ज्यों-ज्यों वे देखेंगे त्यों-त्यों इस बात की शिकायत कम होती दिखायी देगी। जहां भी गवर्नमेंट की नोटिस में आया कि किसी ने किसी वजह से किसी केस को दबा रखा है, इस मेमोरंडम में तो हम दिखा नहीं सकते कि हमने किसी को क्या तम्बीह दी। लेकिन कम से कम यह उनसे कहा गया कि बहुत गलत चीज है। नियम की अवहेलना होती है, इससे बदनामी होती है। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें शक की बात नहीं कि उसमें पक्षपात की भी कुछ कसेज में गुंजाइश रहती है। एक बात जरूर है जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे कहा गया है कि सात-आठ वर्ष हुए कई नियुक्तियां कर ली गईं और कमीशन का ध्यान आकृष्ट नहीं कराया गया। १९५० में से आठ वर्ष निकाल दिए जायं तो मालूम होगा कि १९४२ या १९४३ में नियुक्तियां हुईं। उस वक्त दूसरी गवर्नमेंट थी। पब्लिक सर्विस कमीशन उस वक्त भी था। इतना ध्यान रखने की बात है कि वह नियुक्तियां सात–आठ वर्ष पहले हुईं। उस वक्त एडवाइजरी रिजीम थी। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन उस वक्त भी था। इसके मानी यह हैं कि आठ वर्ष पहले की नियुक्तियां जिनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन से शिकायत आयी है या तो उस गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन को सूचना नहीं दी, पब्लिक सर्विस कमीशन को पता नहीं लगा या पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको नोटिस में

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

लाना उचित नहीं समझा। जब यह गवर्नमेंट आयी पहले-पहल गवर्नमेंट आयी उसको पता लगते भी कुछ समय लगा, जब पता लगा तो पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने लाया गया। दो-तीन वर्ष के बाद हुआ तो गलत चीज है। आठ या सात वर्ष पहले के एप्वाइन्टमेंट की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी किन्हीं दूसरे लोगों की है।

एक चीज का मैं और जिक्र करूंगा। माननीय नारायण दत्त जी ने इस बात का जिक्र किया कि गवर्नमेंट में और कमीशन में अगर कोई मतभेद हो जाय तो उसकी निवृति कैसे होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि जो तरीका सेन्टर में बरता जाता है वही यहां बरता जाय। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उसी तरीके को बरतते रहे हैं, शायद हमारा तरीका कुछ उनसे अच्छा ही है। उन्होंने कहा है कि अगर मतभेद हो जाय तो लिखा-पढ़ी करके उस मामले को निपटा लिया जाय और उन्होंने बताया कि वहां एक सब कमेटी होती है एप्वाइंमेंट की, उसके सामने यह मामला आता है और जब वह कमेटी इस बात को एप्रूव कर दे कि नहीं। हमें कमीशन की राय को नहीं मानना है तब ही मतभेद किया जाता है। हमारे यहां भी यही है कि अगर कमीशन की राय किसी नियुक्ति के संबंध में आती है तो उसके बाद यहां पहले मिनिस्ट्री गौर करती है और अगर मतभेद होता है तो कमीशन से लिखा-पढ़ी की जाती है। अगर फिर भी मामला तय नहीं होता तो हमारे यहां कोई कमेटी नहीं है लेकिन वह मामला पूरी केबिनेट के सामने आता है। केबिनेट में अगर वह बड़े महत्व का मामला नहीं है और कोई फैसला हो सकता है तो वह वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला होता है कि जो इतने ही महत्व का है और ऐसा समझा गया कि उसको बढ़ाना ही चाहिये तो उसके केबिनेट के फैसले के बाद ही मतभेद किया जाता है।

एक राय यह हुई कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाय। चर्चा आयी कि यह निश्चय हो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति कैसे हो। जहां तक संख्या की बात है उसमें तो अगर काम ज्यादा है तो उनको संख्या बढ़ानी ही चाहिये। अभी तक जितना हमने गौर किया उससे हमको ऐसा पता लगा कि कोई जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन अगर गवर्नर महोदय को मालूम पड़ेगा कि यहां काम ज्यादा बढ़ गया है तो जरूर संख्या बढ़ा दी जायगी। गुन्जाइश कानून के अन्दर इसमें दिक्कत की बात नहीं है। जहां तक यह सवाल है कि सदस्यों की नियुक्ति कैसे हो, यह बड़ा टेढ़ा सवाल है। ऐसे सवाल कि जिनमें व्यक्तियों का जिक्र होता है, उनमें नियम (रूल) लिखना बहुत कठिन होता है और वह किसी न किसी पर छोड़ना होता है और मैं समझता हूं कि जो सदस्य हैं वह अच्छे हैं। मुझे कुछ अफसोस हुआ इस बात की चर्चा करते हुए। माननीय राज नारायण जी ने यह कहा कि निष्पक्षता होनी चाहिये और अच्छे आदमी जाने चाहिये। यह तो ठीक है लेकिन साथ ही उन्होंने एक मिसाल दी इस बारे में कि एक आदमी मिनिस्टर होता होता रह गया और यह कि कोई स्पीकर था, उसको हटाना था तो उसको पब्लिक सर्विस कमीशन में कर दिया गया। जाहिर बात है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चैयरमैन हैं वह पहले स्पीकर थे। तो उनकी यह बात जो पढ़ेगा, समझेगा कि यह उनके ऊपर आक्षेप है, यह जाहिर सी बात है। यह हो सकता है कि कहते समय उनका यह ख्याल न रहा हो लेकिन इस बात की मिसाल देना बहुत गलत बात है। उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही कहा होगा लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्तियां होती हैं। जाहिर बात है कि उसमें गवर्नर और कुछ लोगों की राय ली जाती है। अब यह कहा जाय कि उन जजों के हाथ में लोगों की जान-माल रहती है और लोगों की अनमोल जान का सवाल भी आता है, तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और इस तरह की कोई शिकायत सुनने में नहीं आयी। मेरी समझ में तो यह जो पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के नियुक्ति की बात है वह जैसी है उसको वैसी छोड़ देना अच्छा होगा। इस बात पर भरोसा करना चाहिये कि जो भी चुनाव करेगा उसकी बोनाफाइडी में हमें विश्वास करना चाहिये और यह

मानना चाहिये कि वह सब से उपयुक्त आदमी समझ कर ही निष्पक्षता के साथ किसी सदस्य को चुनेगा और ऐसा आदमी ही वहां रखा जायगा और वह आदमी वहां ईमानदारी के साथ अपना काम करेगा ।

माननीय नारायण दत्त जी ने लिमिटेशन और फंक्शन्स की तरफ ध्यान दिलाया था और उन्होंने यह कहा था कि एक तो जो शेड्यूल हैं वह ऐग्जास्टिव नहीं है यानी कई और सर्विसेज हैं जिनके नियम भी नहीं हैं । लेकिन उसके लिये ऐसा है कि जब कभी कोई जरूरत पड़ती है तो एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से वह चीज सर्विसेज में दाखिल की जा सकती है । मसलन मिसाल के लिये अभी २७ जुलाई को एक आर्डर निकला है अपने यहां डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को, लिखा हुआ है उसमें कि "The post of Superintendent, Sales and Agencies, Government U. P. Handicrafts should be within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission." इसलिये ऐसी जो सर्विसेज आती जाती हैं उनको, चाहे शेड्यूल छपे या न छपे उसके लिये, कमीशन के परव्यू के अन्दर डाल दिया जाता है ।

यह भी शिकायत है कि हमारी सर्विसेज के रूल्स नहीं बने हैं । रूल्स बराबर बनते जाते हैं और एक बात ख्याल रखनी चाहिये वह यह कि इस वक्त जिस जमाने में हम हैं वह परिवर्तन का जमाना है । इस समय कई ऐसी चीजें होती हैं जो साधारण समय में नहीं होती और कई मिशाल ले लें जो कानून हैं जो अंग्रेजी में बनते हैं उनमें बड़ी विधि के साथ जो शब्द हैं वही लिखे जाते हैं । अभी तक हिन्दी की कोई टर्मिनोलोजी बाजाब्ता नहीं बनी, लेकिन हम कानून रोज बनाते हैं, रोज शब्द हम बनाते हैं, कानून का काम रोक नहीं सकते । तो जब भी जरूरत यह पड़ती है कि नई-नई सर्विसेज क्रियेट करनी होती हैं, डेवलपमेंट का जमाना है, इसमें नई–नई सर्विसेज पैदा होती हैं तो उस वक्त एप्व इंटमेंट कर लेना होता है । होता यह है कि इसी से मिलती–जुलती सर्विसेज के रूल्स बरत लिये जाते हैं । तरीका यह होता है कि ऐपाइन्टमेंट डिपार्टमेंट रूल्स बनाता है फिर केबिनट के सामने आते हैं, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाते हैं राय के लिये कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं ? लेकिन यह मैं मानता हूं कि रूल्स बनने चाहियें क्योंकि यह अच्छी बात है और हम कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके रूल्स बनाये जायं ।

यह कुछ ख्याल हुआ कि जो रिऐमप्लाय कर लिये जाते हैं सरकारी अफसर उनके सम्बन्ध में कोई शायद नियम नहीं है । नियम तो है जो कि उसके तीसरे पेज पर रूल नम्बर ५ है । उसमें खास तौर से यह इलस्ट्रेशन दे करके समझाया गया है कि सरकारी अफसर अगर रिऐमप्लायड हो वह कैसे हो या ऐक्सटेन्सन कैसे हो । साधारण तौर से मैं सहमत हूं कि ऐक्सटेन्शन नहीं दिया जाना चाहिये । और एक नियम तो है ही कि सिवाय इसके कि पब्लिक सर्विस में बहुत जरूरी है, इसको छोड़ कर महज व्यक्ति के लिये कि वह स्वस्थ है, काम करने लायक है कोई ऐक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिये । मैंने इसी बेसिस पर कई आदमियों को इन्कार किया और मैं चाहता हूं कि जिन आदमियों के हाथ में ऐसी ताकत है उनको भी ऐसा ही करना चाहिये । या तो कोई खास टेक्नीकल एक्सपर्ट हो जो जल्दी रिप्लेस नहीं हो सकता या किसी खास काम में लगा हुआ हो जो थोड़े ही दिनों में खत्म होने वाला होता है तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिये । ऐसी बातों को छोड़ कर और कभी ऐक्सटेंशन नहीं देना चाहिये । यह बिलकुल सही बात है । ऐसे केसों के अतिरिक्त अगर कहीं होता है तो गलत होता है, जरूर इस बात को हमको ख्याल रखना चाहिये और मैं कोशिश भी करता हूं ।

एक सवाल यह था कि जो कम्पलसरी रिटायरमेंट का सवाल है वह पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाय । उसका जाना बहुत मुश्किल है । कम्पलसरी रिटायरमेंट जो है

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

वह साधारण तरह से एक पनिश्मेंट की चीज नहीं है । इनएफीशियेंसी एक ऐसी चीज है जो कागज पर साबित करना मुश्किल होता है। कभी-कभी किसी आदमी की ऐन्टी-नेशनल ऐक्टीविटीज होती है, आम तौर से देखा जाय कम्पलसरी रिटायरमेंट के बहुत कम केसेज होते हैं । लेकिन कभी-कभी ऐसी जरूरत हो जाती है कि ऐसे आदमी को हटाना ही पड़ता है पब्लिक इंटरेस्ट में तो ऐसे केसेज को पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने लाना और फिर उसी रिकर्ड से साबित करना मुश्किल हो जाता है । इसलिये इस बात को पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने लाना मुश्किल है ।

इसी तरह ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसलों को पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने लाने की बात होती है । आखिर ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ? माननीय सदस्यों को मालूम है कि योरप के कांटीनेंट में, कई देशों में ऐसा है कि जहां सरकारी अफसरों के मामले किसी अदालत में नहीं जाते । वह तो हमेशा एक तरह के ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने जाते हैं । हमने भी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसीलिये बनाया कि किसी सरकारी अहलकार के ऊपर मान लीजिये कोई रिश्वत का मामला अदालत में जाय तो न जाने कहां-कहां वह घूमता रहे, न जाने कितनी उसकी अपीलें होती रहें, और उसमें काफी देर लग सकती है । तो अगर ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाने की बात रख दी जाय तो एक कोर्ट आफ अपील और कायम हो गई और जो हमारा मकसद था कि जल्दी फैसला हो जाय ऐसे मामलों में, तो वह होने के बदले एक अदालत और बन गई और एक और अपील की बात पैदा हो गई । तो जो जल्दी काम करने का मंशा था वह खत्म हो गया । जो हमारी डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी कमेटी का मतलब था वह सारा का सारा खत्म हो गया ।

इसी तरह के छोट-छोटे पोस्ट्स हैं २०० रुपये से नीचे के, उनका भी जिक्र हुआ । उनके भी पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने की बात आयी। मेरा अपना ख्याल है कि इससे बहुत दिक्कत हो जायगी। ऐसी छोटी-छोटी पोस्ट्स की नियुक्तियों का काम अगर उनको दिया जाय तो काम बहुत बढ़ जायगा और देरी बहुत बढ़ जायगी। यह ऐसी जगहें हैं जहां आदमी की परसनैलिटी ज्यादा महत्व की चीज हुआ करती है, परिश्रमी है या नहीं, यह चीज ज्यादा महत्व की हुआ करती है । तो ऐसी जगहों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती ।

खास तौर से यहां पुलिस का जिक्र आया । नारायण दत्त जी ने भी कल पुलिस का जिक्र किया । यह तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया के किसी भी देश में फौज या पुलिस किसी भी ट्रिब्यूनल के सामने नहीं जाती और न मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूं । जहां डिसिप्लन की बात होती है, वहां पर सारी की सारी डिसिप्लन चौपट हो जायगी, वह फोर्स सारा खत्म हो जायगा अगर इस तरह से उसके अप्वाइंटमेंट्स हुए । मैं समझता हूं कि यह तो किसी का मतलब न होगा कि कांस्टेबुल या हेड कांस्टेबुल की नियुक्ति कमीशन करे, बच जाता है सब-इंस्पेक्टर । उसके लिए दो दो डी० आई० जी०, एक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक साइकोलाजिस्ट, और दो हमारे इस सदन या उस सदन के सदस्य, इतने आदमी बैठ कर उसका सेलेक्शन करते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि इतने आदमियों के बीच कैसे कांसिपेरिसी हो जायगी और पक्षपात हो जायगा । यह मैं नहीं कहता, यह हो सकता है कि सात आदमियों के अपने एक एक फेवरिट हों, वह सातों अपना एक-एक कर लें, लेकिन यह मैं नहीं मान सकता कि तीन आदमियों में तो पक्षपात नहीं होगा और सात आदमियों में पक्षपात हो जायगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां एक हवा है कि सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं हो सकता । सारे काम सिफारिश से होते हैं । दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा विशस सर्किल हमारे यहां है । कोई भी तरीका रखा जाय जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि ऐसे भी लोग आते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर भी आक्षेप करते हैं, तो यह एक ऐसी हवा

फैली हुई है जिसमें हर जगह लोगों में हर एक के लिये यही भाव भरा है। ४०० आदमियों में एक आदमी अगर लेना है तो तो जो बाकी ३९९ बचेंगे उनको कुछ न कुछ कहना ही है। अपने को कोई भी अयोग्य नहीं कहता। चुनने वाले को ही वे बेइमान बतायेंगे, दूसरी बात और वे कहेंगे क्या ? तो हम लोगों को अपने यहां के विशस सर्किल को किसी तरह तोड़ना होगा। थोड़ा अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें जो कोई भी हमारे सामने ऐसी बात कहता है ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बाबत या पब्लिक सर्विस कमीशन की बाबत या किसी की बाबत, उससे हम यह कहें कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी बात नहीं हो सकती, दो एक बार अगर हम इस तरह से इस चीज को दूर करने की कोशिश करें तो यह चीज खत्म हो जायगी। नहीं तो कोई नहीं बचेगा चाहे जो तरीका आप रखें सबमें यही बात होगी। तो हमको आपको दो एक बार इस बात को करना होगा कि जो हमारे सामने बेइमानी या पक्षपात की शिकायत ले कर आता है उससे हम यह कहें कि तुम झूठ बोलते हो, हमारे देश के आदमी बेईमान नहीं हो सकते। दो एक बार ऐसा हम कर दें तो यह हवा खत्म हो जायगी।

एक चीज का और जिक्र कर दूं। एक नहीं बल्कि दो का। एक तो यह राय थी माननीय नारायणदत्त जी की कि जो लोकल बाडीज हैं उनमें जो बड़ी-बड़ी जगहें हैं उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये भरा जाय। यह कठिन हो सकता है लेकिन यह भी नहीं है कि हमारे सामने यह ख्याल न हो। अभी सम्भव है जो कारपोरेशन बिल आपके सामने आवे उनमें यह सवाल आपके सामने आये। बार-बार सवाल आता है बड़ी-बड़ी पोस्ट्स को प्रांविश्यलाइज करने का। यह तो सम्भव चाहे न हो कि उनको सरकारी नौकर बना दें। लेकिन इस मानी में अगर प्रांविश्यलाइज हो सके तो अच्छा है कि यही पब्लिक सर्विस कमीशन या इससे मिलती-जुलती कोई बाडी चुने और ऐसा कोई रास्ता निकल सके जिस से कि लोकल बाडी का अफसर किसी वजह से अगर वहां न टिक सके तो उसका दूसरी जगह ट्रांस्फर हो सके। यह दोनों चीजें सामने है और जो दो चार बड़ी बड़ी पोस्ट हैं शायद उनके लिए करना इस समय आवश्यक था। यह हो सकता है म्युनिसिपल बोर्ड में एक अफसर है, किसी की गलती हो, मेम्बरों से नहीं पटती है तो वही बदला जा सकता है। बोर्ड के मेम्बर तो नहीं बदले जा सकते, वही फिर हटाया जा सकता है। तो या तो वह फिर वहीं जमा रहे और फ्रिक्शन होता रहे, या निकल जाय। तो अच्छा है कि कोई रास्ता निकल सके जिस से आसानी से ट्रांस्फर हो सकें। यह चीज हमारे सामने है और जिस समय भी आगे चल कर मौका हुआ तो हम देखेंगे।

अन्त में माननीय नारायणदत्त जी ने पूछा था कि पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन के रिसर्च ब्युरो का क्या हुआ। तो उसका तो जहां से जन्म हुआ था वहीं वह लय हो गया। यानी २८ सितम्बर, १९४८ को स्वर्गीय गोपीनाथ जी के जमाने में, उसके बाद १८ जनवरी, १९४९ को गोपीनाथ जी के देहान्त के बाद जब पंडित अमरनाथ झा चेयरमैन हुए तो उन्होंने मुख्य मंत्री माननीय पं० गोविन्द वल्लभ पन्त को एक पत्र लिखा, जिसमें से मैं थोड़ा सा पढ़े देता हूं –

"There is considerable indefinitness as to the exact function of the Bureau."

यानी अब तक यह निश्चित नहीं कि वह ब्यूरो क्या करेगा। तो जहां तक समझ में आता है उसके चार काम होंगे—

"1. To advise the Commission on Administrative matter, that is, in service cases where there are appeals from Officers or references from Government where the Governor contemplates taking any action against an officer, or cases of compensation or gratuity or legal expenses.

2. To publish a journal.

3. To build up a Library.

4. To get monographs written and published."

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

यानी पहला तो यह काम होगा कि जो शासन से संबंध रखने वाले मामले हों कमीशन को सलाह देना। दूसरा एक जर्नल निकालना। तीसरा एक लाइब्रेरी स्थापित करना। चौथा यह कि विभिन्न शासन संबंधी मामलों पर मोनोग्राफ लिखाना और उनको पब्लिश कराना।

तो जहांतक पहला ऐडमिनिस्ट्रेशन सम्बन्धी काम है जिसमें सलाह देने की बात है तो--

"There are standing rules which have to be applied, and on which, the Commission feel, no advice is necessary."

उन्होंने कहा कि नियम बने हुए हैं इसलिये किसी सलाह की जरूरत नहीं है। जहां तक अखबार का ताल्लुक है, पहला तो ठीक निकला लेकिन दूसरे के लिए लेख ही नहीं मिले। इसलिए इस काम के लिए किस यूनिवर्सिटी टीचर को रखा जाय जो सम्पादन के काम को करे। तीसरे लाइब्रेरी की बात है, किसी हैडक्वार्टर में काम करने वाले उच्च कर्मचारी से यह काम लिया जा सकता है, अलग से प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

"This can be easily done by a Senior Assistant."

चौथी बात जो मोनोग्राफ लिखाने और पब्लिश कराने की है उसके सम्बन्ध में कमीशन की यह राय हुई कि यह काम किसी यूनिवर्सिटी से कराना चाहिये। इसलिए उन्होंने राय दी कि,

"The commission are of opinion that this function is one which can properly be undertaken by a University."

और यह कहा कि उसके लिए हैडक्वार्टर में इतना बड़ा स्टाफ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है --

"The Commission are by no means certain, in the light of the experience gained during the current year, that any useful purpose will be served by maintaining such an elaborate staff for the Bureau."

इसलिए उन्होंने राय दी कि ब्यूरो तोड़ दिया जाय।

एक चीज का नारायण दत्त जी ने और जिक्र किया कि परीक्षा के लिए एक हाल बनाया जाय और दूसरा सुझाव यह था कि एक कैंडीडेट्स होम खोला जाय। तो उन्होंने कहा कि--

"The Commission feel that the Candidates Home will not function. It is therefore proposed that this should be abandoned."

उन्होंने कहा कि कैंडीडेट्स होम सफल नहीं होगा, इसलिये उसका इरादा छोड़ दिया जाय।

तो उनका ऐसा खत आने के बाद बहुत दुःख के साथ मुख्य मंत्री जी ने उनको लिखा--

"In view of what you have said in your letter, I am afraid the Bureau of Research will perhaps have to be closed down."

"जैसा आपने लिखा है उसके अनुसार इस ब्यूरो को बन्द करना पड़ेगा। आगे उन्होंने लिखा--

"You do not see any necessity for starting the Candidates Home; so that idea has to be dropped."

आपकी राय में कैंडीडेट्स होम की जरूरत नहीं, इसलिए इस ख्याल को छोड़ना पड़ता है।

इस प्रकार जिस ब्यूरो के बनाने की बात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से उठी थी वहीं से यह राय हुई कि इसको खत्म कर देना चाहिए।

दूसरी बात इम्तहान के लिए हाल की थी। यदि ऐसा कोई हाल हो तो अच्छी बात है। अगर थोड़े से रुपये का प्रबन्ध हम कर सकें तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस वक्त तो जरूरत रुपये की है और मैं समझता हूं कि "फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट" के हिसाब से जिस चीज की पहले

आवश्यकता हो उसे पहले करना है। इसलिय अगर किसी और तरीके से हम काम चला सकें तो अच्छा है। मुझे यही थोड़ी सी बातें निवेदन करनी थीं और फिर माननीय सदस्यों को, जिन्होंने मेरा ध्यान इन सब बातों की ओर आकृष्ट किया है, धन्यवाद देता हूं और यह आशा करता हूं, कि ज्यों-ज्यों आगे चलकर हमारी फाइनेंशियल दिक्कतें दूर होती जायंगी, माननीय सदस्य खुद देखेंगे कि माननीय सदस्य से जहां हमारा मतभेद हुआ है, ऐसे मामले कम होते जायंगे। और जो शिकायतें शासन के सम्बन्ध में उनकी हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जायगी और उनके रूप में बहुत फ़र्क हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—अब मैं समझता हूं कि आज के लिये कोई कार्य नहीं रहता है। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ अगस्त, १९५५

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७३ पर)

सन् १९५४ में एटा जिले में थानेवार डकैतियों, चोरियों, कत्लों और स्त्रियों के भगाने से संबंधित मामलों का विवरण

थाने का नाम	डकैती			चोरी			कत्ल			स्त्रियों को भगाना		
	रिपोर्ट की गई	मुकदमे चलाये गये	सजा हुई	रिपोर्ट की गई	मुकदमें चलाये गये	सजा हुई	रिपोर्ट की गई	मुकदमें चलाये गये	सजा हुई	रिपोर्ट की गई	मुकदमे चलाये गये	सजा हुई
१—सरोन ..	३	३	—	२२	६	१	४	२	१	—	—	—
२—अलीगंज ..	३	३	२	३४	६	—	४	३	—	२	२	१
३—सहावर ..	५	४	—	१०	३	१	३	३	१	१	—	—
४—पटियाली ..	१	१	१	२३	४	१	६	५	१	—	—	—
५—गनडड वारा ..	—	—	—	९	२	१	३	३	२	—	—	—
६—अमनपुर ..	२	१	—	१२	६	—	१	१	—	१	१	—
७—कासगंज ..	३	२	१	४४	१०	६	५	२	१	४	४	२
८—कोतवाली ..	२	२	१	५१	१३	३	६	३	—	२	२	—
९—जलेसर ..	३	२	—	१९	५	३	२	—	—	१	१	—
१०—मझैरा ..	६	५	१	१९	५	३	९	६	३	१	१	—
११—सिरपुरा ..	१	—	—	१०	२	१	४	२	—	१	—	—
१२—निधौली कलां ..	२	२	१	१५	७	५	२	१	१	४	२	—
१३—अवागढ़ ..	—	—	—	११	३	—	—	—	—	—	—	—
१४—जैथरा ..	४	२	२	२५	४	१	३	१	—	—	—	—
१५—सकीत ..	३	१	—	१६	१	—	३	१	—	१	१	—

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७३ पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या २१ में वर्णित सूची।

बन खंड	टोंगया केंद्र
बहराइच	गांधी
,,	ककरदरी
,,	बदला
,,	मोहबव नगर
,,	राजापुर
,,	बस्ती
,,	लौकी पुरवा
,,	बनकटवा
गोरखपुर	तिलकोनियां
,,	रामगढ़
,,	मिलमपुर
,,	जगपुर
,,	भोखारी
,,	कंपियरगंज
,,	गिरधरपुर
,,	सुरपार
,,	खैरमपुर
,,	आचटगढ़
,,	लछमीपुर
,,	नाथनगर
,,	निचलोल
,,	डोमा
रामनगर	रामपुर
,,	चौपड़ा
,,	लेटी
सहारनपुर	कल्लूवाला
,,	बुधनि
,,	बनियाबाला
,,	लाकड़कोट
,,	गंजर बन
,,	रसैलपुर
,,	तिरा
,,	हारनौल
,,	पथरी

बन खंड		टोंगया केंद्र
सहारनपुर	..	खजनवार
,,	..	मौहाद
,,	..	अंधनेरी
,,	..	गंजर बन कम्पार्टमेंट १
,,	..	चिरक
,,	..	पथरी
,,	..	मोहाद ब्लाक
,,	..	सुख कं० २
,,	..	गंजर बन कं०
,,	..	वेतवन पश्चिमी
,,	..	अधनेरी कं०
,,	..	रोली
,,	..	चिरक
,,	..	पथरी
देहरादून	..	सतीवाला
,,	..	दलीपनगर

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७५ पर)

आजमगढ़ शहर में १-४-५३ से बिजली की दरों की तालिका

	सक्ल दर प्रति यूनिट	डिस्काउन्ट	दर डिस्काउन्ट देने के बाद
रोशनी तथा पंखा	०-८-०	०-१-०	०-७-०
घरेलू धंधों ..	०-६-०	०-१-०	०-५-०
सिनेमा—			
प्रथम ४०० यूनिट प्रतिमास के उपयोग पर ..	०-६-०	०-१-०	०-५-०
४०० यूनिट के ऊपर उपयोग पर ..	०-५-०	०-१-०	०-४-०
औद्योगिक धंधों			
प्रथम १०० यूनिट प्रति बी० एच० पी० पर	०-४-०	०-०-६	०-३-६
द्वितीय १०० यूनिट प्रति बी० एच० पी० पर	०-३-६	०-०-६	०-३-०
और इसके ऊपर	०-३-०	०-०-६	०-२-६

नोट:—डिस्काउन्ट बिल देने के १४ दिन के अन्दर बिल की रकम जमा करने पर दिया जाता है।

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७७ पर)

जिला आजमगढ़ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७/११७/१५१ के अन्तर्गत फरवरी–मार्च मास में हुई गिरफ्तारियों का विवरण।

तहसील का नाम	गिरफ्तारियों की संख्या
१—सागरी	११
२—लालगंज	५
३—फूलपुर	३
४—सदर	१२
५—घोसी	२५
६—मुहम्मदाबाद	—

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७८ पर)

No. 5049/III—86-1951

FROM

SRI K. P. BHARGAVA, I.C.S.,
CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

To

ALL HEADS OF DEPARTMENTS, COMMISSIONERS OF DIVISIONS,
DISTRICT OFFICERS AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, August 21, 1952.

Subject: **Shikar Parties arranged for Government Officers**

SIR,

I AM directed to say that Government have for some time past had under consideration whether government officers should participate in *shikar* parties arranged by or with the assistance of non-official gentlemen or other subordinate government servants. While there is nothing wrong about an officer doing occasional shooting or going in for *shikar* in his spare moments just as a pastime, the participation in organized *shikar* parties not unoften gives cause for complaint. Some of those who acquire and develop a taste for *shikar* are at times unable to resist the temptation of giving preference to *shikar* even over other legitimate claims on their time. Besides *shikar* is an expensive pastime and it is difficult to arrange for it except with the assistance, direct or indirect, of influential non-officials or subordinates. Any help from such people places government officers under an obligation to them and may conceivably place them in an embarrassing position. The acceptance of such help may also give rise to criticism, however,unfounded and unjustifiable, in respect of the discharge of the public duties of a government servants.

General Admn. Deptt.

2. While there is no desire on the part of Government to prevent their officers from participating in an occasional shoot as a form of healthy sport when they are free from their duties and public business does not call for their attention, indulgence in organized *shikar* parties, which involves the acceptance of hospitality of, or of assistance in the organization (including the use of their servants, etc.) thereof from, influential non-official gentlemen or the subordinate government servants, stands on a different footing and the practice has to be deprecated in the public interest. Government have, therefore, decided that government officers should scrupulously refrain from participating in such *shikar* parties and also otherwise if *shikar* interferes with the due performance of their duties.

3. I am to request you kindly to bring these orders to the notice of all the officers working under your control.

Yours faithfully,
K. P. BHARGAVA,
Chief Secretary.

No. 5049(1)/III—86-1951

COPY forwarded for information to —

(1) All Personal Assistants to the Ministers.
(2) All Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries.
(3) All Departments of the Secretariat.

By order,
N. S. PANDEY,
Deputy Secretary to Government, Uttar Pradesh.

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७८ पर)

बल्ब की शक्ति वाट्स में	कम से कम जलने के घंटे	पुराने रेट जो अभी जारी हैं				नये रेट जो कम्पनी लगाना चाहती है					
		(क) दिये हुये कम से कम घंटों में जलने का कुल चार्ज			(ख) कम से कम घंटों के ऊपर अधिक घंटों में जलने पर प्रति १०० या उससे कम घंटों के लिये चार्ज			(ग) दिये हुये कम से कम घंटों में जलने का कुल चार्ज			(घ) १,८०० घंटों के ऊपर प्रति १०० घंटों या उससे कम घंटों में जलने का चार्ज		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
३०	१८००	२४	०	०	१	२	०	३८	०	०	१	२	०
४०	१८००	३२	०	०	१	४	०	४५	०	०	१	४	०
६०	१८००	४८	०	०	२	०	०	५६	०	०	२	०	०
१००	१८००	७०	०	०	३	४	०	८८	०	०	३	४	०
१५०	१२००	८०	०	०	६	०	०	१०४	०	०	६	०	०
२००	१२००	१०५	०	०	७	८	०	१३२	०	०	७	८	०
३००	१२००	१६०	०	०	११	०	०	१७८	०	०	११	०	०

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७–४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८० पर)

जिला बुलन्दशहर के थाना बिसरख, दादरी, दनकौर तथा सिकन्दराबाद हल्कों से १–१२–१९५४ से ३१–५–१९५५ तक बन्दूक के लाइसेंस के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या तथा उनमें थानेवार दिये गये लाइसेंसों की संख्या

थाने का नाम	१–१२–१९५४ से ३१–५–५५ तक दिये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या	१–१२–५४ से ३१–५–५५ तक दिये गये लाइसेंसों की संख्या
बिसरख ..	६	—
दादरी	२६	१
दनकौर	१९	४
सिकन्दराबाद	३१	५

संसद भवन

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८३ पर)

रायबरेली जिले में सन् १९५३ और सन् १९५४ में डाके, चोरी और कत्लों की सूची—

सन्	डाके	चोरी	कत्ल
१९५३	३२	६७६	३०
१९५४	२७	६९९	२८

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३–४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८३ पर)

COPY OF PARAGRAPHS 421 TO 424 OF THE MANUAL OF GOVERNMENT ORDERS

A—Official calls

Civil officers calling on Commissioners of divisions.

421. Heads of departments should impress on officers subordinate to them the necessity of calling officially on the Commissioner of the division in which they are serving as it is necessary that he should be acquainted with them. It should be remembered that the Government of the country is one entity and not a disunited set of departments and that the Commissioner in his division represents Government in all matters relating to the civil government of the division.

Heads of departments (on tour)to meet Commissioners and District magistrates.

422. Heads of departments when visiting districts should as a general rule take the opportunity of conferring with the Magistrate (and, when the district is a divisional headquarters, with the Commissioner as well) on the various subjects connected with their departmental inspections in order to learn the views of the district and divisional officers and to bring to their attention any matters which are of importance. The Deputy Inspectors General of Police when visiting districts should invariably meet the Magistrate.

B—Relations between Magistrates and Judges

Visits by Judges of the High Court.

423. Whenever the Chief Justice or any other Judge of the Allahabad High Court visits a district on inspection duties the District Magistrate will himself call on the Judge and also instruct every Sub-Divisional Officer who may be in the station at the time to also pay a formal call by leaving their cards. The District Magistrate concerned will be informed in advance of the Judge's tour programme on the occasion of such visits.

Courtesy calls between officers of the executive and Judicial services.

424. When ever a new Collector or a new District Judge is posted to a district all Deputy Collectors and Judicial officers and all officers of the Judicial service below the rank of District Judge should call on the new Collector or new District Judge as the case may be. When there is a change in Collectors the new Collector should call upon the District Judge. Similarly, when there is a change of District Judges the new District Judge should call upon the Collector.

No. 04039/II B-48

FROM

SRI B. P. BAGCHI, I.C.S., DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT,
UNITED PROVINCES.

TO

ALL DISTRICT OFFICERS,
UNITED PROVINCES.

Dated Lucknow November 25, 1948

Subject: **Courtesy Calls**

SIR,

I AM directed to say that it has been decided that District officers on arrival in a new district should pay courtesy calls on the Chairman of the Municipal Board and the President of the District Board, such calls will be returned by the Chairman and the President.

Yours faithfully,
B. P. BAGCHI,
Deputy Secretary.

No. 04039(1)/II B-48

COPY forwarded for information to all Commissioners, United Provinces.

By order,
B. P. BAGCHI,
Deputy Secretary.

No. 04039(2)/II B-48

COPY forwarded for information and necessary action to L. S. G. Department.

By order,
B. P. BAGCHI,
Deputy Secretary.

D. O. No U. O. 1335/III
U. P. CIVIL SECRETARIAT, GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Dated Lucknow, October 5, 1950.

DEAR SIR,

Courtesy calls and contacts between officers inter se

It has come to the notice of Government that there have been instances where the failure on the part of some officers to extend reasonable courtesy to officers of other departments or to cultivate social contacts has resulted in the work of the officers concerned being adversely affected. It is quite conceivable that in many of the instances no offence was actually meant but this is not always apparent to the person who think, that some action or omission on the part of one of his colleagues was due to his being inconsiderate or because he thought that it was not necessary to return the courtesy that was extended to him. Government will like all officers to realise that courtesy consideration to others with whom they come in contact in the course of their official work is never wasted and that it often opens the way for smooth working and better relations between different departments of Government. District Magistrates and Superintendents of Police must in particular realise that in view of the important positions that they hold, their responsibility in this matter is perhaps even heavier than that of officers of other departments. It was perhaps inevitable that in the existing circumstances officers of other departments in the district should feel that their status should be most fully recognized. Any feeling on their part that this has not been done tends to cause a feeling of resentment which almost always has the effect of making inter-departmental co-operation in the districts less effective than it should be. It is, therefore, of importance that District Magistrates and Superintendents of Police should show due courtesy and consideration to officers of other departments, that they should return the calls of such officers who are of equivalent status and rank of superior status and rank, and make every effort to see that whenever such officers have occasion to meet them anything which might given them the impression that they have been neglected is avoided. Greater attention to matters of this kind would result in better relations between the officers of various departments and consequently to a much smoother working in the districts.

2. One way of securing attention to matters of this kind might have been the issuing of elaborate instructions which officers were called upon to observe, but Government believe that a better way of securing the same would be to appeal to the good sense of the officers themselves and after calling their attention to this important aspect of their duties leave it to them to conduct themselves in a way which does not give rise to any justifiable criticism or resentment.

Yours sincerely,
BHAGWAN SAHAY,
Chief Secretary.

To
(1) All Heads of departments,
(2) Commissioners of Divisions,
(3) District Officers,
(4) District and Sessions Judges, and
(5) Other Principal Heads of Offices, Uttar Pradesh.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५८ एल०—१९५५—७९६ ।

Bharat Digest